राजस्थान विधान सभा

दशम बैठक, मंगलवार, दिनांक १३, मार्च सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातःकाल ८. ३७ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ५०

जनवरी १९५५ के पश्चात् आर. ए. एस. व आई. ए. एस. अधिकारियों के स्थानान्तर

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ जनवरी १९५५ के बाद कुल कितने आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अफसरों के तबादले किये गये ?

(ख) ऐसे कितने अफसर हैं जिनके तबादले चार्ज लेने के पहले ही रद्द कर दिये गये ?

(ग) ऐसे कौन कौन आई. ए. एस. और आर० ए० एस० आफीसर हैं जिनके तबादले १ जनवरी सन् १९५५ के बाद एक से अधिक मर्तबा किये गये हैं ?

(घ) उक्त अफसरान में किस किस का तबादला कितने कितने समय के अन्तर पर कहां से कहां किया गया ?

(ङ) बार बार तबादले किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—(क) ३४९

(ख) ३८.

(ग) आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रखी हुई सूची में दी गई है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ब) प्रशासनिक आधार पर।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—यह प्रशासनिक आधार क्या है साहब ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कइयों का प्रोमोशन हो जाता है इस वजह से चेन्ज होते हैं, कई सिलेक्ट हो जाते हैं इस वजह से चेन्ज होते हैं, ज्यादा समय रह जाते हैं एक जगह पर तो चेन्ज होते हैं और कुछ को दूसरी जगह परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—विष्णुदत्त शर्मा का चार माह में दो मर्तबा तबादिला किया, उसका क्या कारण है ? आई. ए. एस. के लिस्ट ३ पर दर्ज है जो कि चार माह में दो बार तब्दील हुए हैं। इसके प्रशासनिक कारण क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—विष्णुदत्त शर्मा; कौन से शर्मा से मतलब है ?

श्री चांदमल मेहता—आई. ए. एस अधिकारियों की जो सूची दी है उसमें नम्बर ३ पर दर्ज हैं जिसमें यह है कि २. ५. ५५ को डायरेक्टर सिविल सप्लाईज़ से कलेक्टर अलवर बने और २४. ६. ५५ को उनको डायरेक्टर आफ डेवलपमेंट बनाया गया। इनमें कौन से प्रशासनिक कारण हैं ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट कारण है। कलक्टर के स्थान पर उनको डायरेक्टर डेवलपमेंन्ट बना दिया।

श्री चांदमल मेहता—चार महीनों में उनका स्थानान्तर दो मर्तबा किया गया उसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दो मर्तबा नहीं हुआ है। कलक्टर अलवर की जगह से डायरेक्टर डेवलपमेंन्ट बनाया गया।

श्री चांदमल मेहता—मेरे ख्याल से सूची को नहीं देखा गया है। २. ५. ५५ को डायरेक्टर सविल सप्लाईज़ के स्थान से कलक्टर अलवर बनाया गया और उसके बाद कलक्टर अलवर से २४. ६. ५५ को डायरेक्टर आफ डेवलपमेंन्ट बनाया गया। तो इस तरह से दुबारा चार महीनों में तब्दील किये जाने के क्या प्रशासनिक कारण थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि पुराने जो काम करते थे वे गवर्नमेंन्ट आफ इन्डिया में चले गये।

Page No 3

श्री चांदमल मेहता—गवर्नमेंट आफ इंडिया में चले गये तो क्या इनके सिवाय दूसरे कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं मालूम हुए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे कि मैं अनुपयुक्त किसको बताऊं, सब उपयुक्त हैं। उपयुक्त-अनुपयुक्त का प्रश्न् नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—नम्बर ६ पर लिस्ट में श्री सम्पतमल भंडारी। उनका तबादला ५६ में किया गया और फिर तबादला ५६ में किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले वाला ५६ गलत है, १०. १०. ५६ लिखा गया है जो अभी तक आया नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनका भी पांच महीने के अन्दर दो दफा तबादला किया गया ? यदि हां, तो प्रशासनिक कारण क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उनको रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसायटीज़ की जगह पर लगाया गया है।

श्री चांदमल मेहता—लगाया गया तो ठीक है, लेकिन पांच महीने में दो दफा इधर उधर किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि प्रशासनिक कारण स्पष्ट होते जा रहे हैं। रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसायटीज़ के स्थान पर उनको लगाया गया और कलक्टर कोटा के स्थान पर वहां की स्थिति के कारण से भेजे गये थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि यह जो रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसायटी का पद है वह आर. ए. एस. केडर का है तो फिर आई. ए. एस. केडर के आदमी को क्यों भेजा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा जहां तक ख्याल है वह आई. ए. एस. पद का है। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो आर. ए. एस. के पद के लिये हैं, किन्तु यदि किसी स्थान के लिये आई. ए. एस. आदमी को रखना ज्यादा उपयुक्त समझा जाता है तो उनको लगाया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मुख्य मन्त्री की जानकारी में है कि पिछली मर्तबा यह बताया जा चुका है कि रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसायटी के पद पर जो व्यक्ति कार्य करते थे वे आई. ए. एस. के सिलेक्शन में आ गये इसलिये उनको दूसरे स्थान पर भेजा गया, तो फिर वापिस आई. ए. एस. केडर के व्यक्ति को यह स्थान क्यों दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि वे वहां से क्यों हटाये गये, इसमें जाना मैं पसन्द नहीं करूंगा। प्रशासनिक जितने भी हेरफेर है उनके डिटेल्स में जाना पसन्द नहीं करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—आर. ए. एस. की जो लिस्ट मुझे दी गई उसके नं० ११ पर दर्ज है उस व्यक्ति का तबादला एक वर्ष में तीन बार किया गया, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—The only purpose of seeking information during the question hour is to show to the house that the Government has transferred so many officers within such a short period. But to cross examine on every detail is not desirable. That will take away the very dignity.

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में जितने भी तबादले आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारियों के किये गये उतने राजस्थान निर्माण के बाद कभी नहीं हुए?

श्री अध्यक्ष—That is a different matter.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है जितने एडमिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज इस वक्त में हुए पहले शायद कभी नहीं हुए हों।

प्रश्न संख्या ५१

जिम्नेजियम हेतु भीलवाड़ा इन्टर कोलेज के लिये २० हजार रुपयों की स्वीकृति

श्री टी. एम. बापना, एम. एल. ए. (१६४६)—Will the Minister for Education be Pleased to state:—

(1) What is the grant allotted by the Central Government to various Colleges in Rajasthan for Gymnasium?

(2) Whether Rs. 20, 000/- out of this have been allotted to the Government Inter College, Bhilwara?

(3) Is it fact that the Executive Engineer, P. W. D., Bhilwara has invited tenders for this work and accepted one of them?

(4) Has the Chief Engineer, P. W. D. (B. and. R.) been informed of this allotment? If so, on what date? If not, why not?

(5) Will this money be utilised this year or allowed to lapse?

Page No 5

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप-शिक्षा मंत्राणी)—(1) Nil.

(2) The question does not arise.

(3) The tenders were called but not accepted.

(4) The question does not arise.

(5) The question does not arise.

श्री तेजमल बापना—इस प्रश्न के भाग (क) का जवाब समझ में नहीं आया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—No.

श्री अध्यक्ष—'No' is very difficult to be understood.

प्रश्न संख्या ५२

तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की प्रोवीजनल सिनियारिटी लिस्ट कब बनाई गई ?

(ख) उक्त लिस्ट के खिलाफ प्रिजेन्टेशन करने के लिए कौन सी तिथी निश्चित की गई है ?

(ग) उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व कितने आवेदन पत्र रेवन्यू बोर्ड के पास पेश हुए, और कितने आवेदन पत्र राज्य सरकार के पास पेश हुए ?

(घ) रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी तरफ से फाइनल लिस्ट पेश कब की ?

(ङ) सरकार द्वारा फाइनल लिस्ट कब प्रकाशित की गई ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—(क) तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की प्रोवीजनल सीनियारिटी लिस्ट राजस्थान राजपत्र संख्या ६।६६ दिनांक १८. ८. ५४ में प्रकाशित हुई।

(ख) उक्त लिस्ट के विरुद्ध रिप्रिजेन्टेशन करने के लिए राजस्व मंडल ने एक माह की अवधि राजपत्र के प्रकाशित होने की तिथि से निर्धारित की थी जो कि राजपत्र दिनांक १८. ८. ५४ में प्रकाशित हुई।

श्री संपतराम]

(ग) उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व राजस्व मंडल के पास १६७ रिप्रजेन्टेशन प्राप्त हुए। राज्य सरकार के पास रिप्रजेन्टेशन नहीं मांगे गये थे।

(घ) राजस्व मंडल ने अपनी तरफ से फाइनल लिस्ट दिनांक ११. १२. ५४ व २६ १२.५४ को प्रकाशित की गई।

(ङ) लिस्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, प्रकाशन के लिए लिस्ट राजस्व मंडल को भेज दी गई है।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५४ में जो लिस्ट फाइनल होगई थी उसको अभी तक प्रकाशित नहीं करने के क्या कारण है?

श्री सम्पतराम—गवर्नमेंट ने उस पर विचार कर लिया है और वह लिस्ट प्रकाशन के लिए राजस्व मंडल को भेज दी गई है, अब जल्दी ही प्रकाशित हो जायगी।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि सन् ५४ में जो लिस्ट राजस्व मंडल द्वारा फाइनल कर दी गई थी उसको अब तक न प्रकाशित करने के क्या कारण हैं, वह मैं जानना चाहता हूं?

श्री सम्पतराम—गवर्नमेंट ने सारे केसेज को डिटेल्स में देखा और जिन लोगों के रिप्रजेन्टेशन्स आये थे, उनका राजस्व मंडल द्वारा भी कन्सीडर किया गया या नहीं यह भी सरकार ने देखा और उसके बाद वह लिस्ट राजस्व मंडल के पास प्रकाशन के लिए भेज दी।

श्री चांदमल मेहता—क्या गवर्नमेंट ने जो फैसला राजस्व मंडल से किया उसमें फेरफार की है?

श्री सम्पतराम—जहां आवश्यकता महसूस हुई अवश्य किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—मैं पूछता हूं, किया है या नहीं?

श्री सम्पतराम—किया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह का परिवर्तन करने के संबंध में जो व्यक्ति इस परिवर्तन के शिकार हुए हैं और जिनकी सिनियोरिटी लिस्ट पर असर पड़ता है उनको सुनने का मौका सरकार ने दे दिया या नहीं?

श्री सम्पतराम—सरकार के पास इस संबंध में जितने भी लोगों के रिप्रजेन्टेशन आये उन सब पर उनके व्यक्तिगत रिकार्डस् को देख कर निर्णय किया गया।

श्री चांदमल मेहता—जब कि सरकार के सामने रेवेन्यू बोर्ड का निर्णय मौजूद था फिर उसमेंजो कुछ तब्दीली की उस निर्णय के विरुद्ध तब्दीली करने की सरकार के सामने क्या क्या वजूहातें थीं और इसके लिए जिन व्यक्तियों की सिनियारिटी लिस्ट पर असर पड़ता था उनका सुनने का मौका दिया या नहीं ?

श्री सम्पतराम—इस तरह की बात मुश्किल से एक दो केसेज में हुई होंगी जब कोई माननीय सदस्य कहते है तो उस पर भी विचार करना तो जरूरी हो ही जाता है।

श्री चांदमल मेहता—एक दो केसेज ऐसे कौन से थे जिसमें खासतौर से सरकार ने दिलचस्पी ली ?

श्री सम्पतराम—यह अलग से सवाल है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार ने इस मामले पर कितने समय तक विचार किया ?

श्री सम्पतराम—समय मैंने बताया जब से राजस्व मण्डल ने वह लिस्ट सरकार के सामने पेश की उसके बाद से वापिस राजस्व मण्डल तक पहुँचने तक का समय विचार में लगा समझिये।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५४ से अबतक सरकार इस पर विचार करती रही ?

श्री सम्पतराम—मेरे ख्याल से राजस्व मण्डल में वह लिस्ट प्रकाशन के लिए भेज दी गई और जब तक वह पबलिश नहीं हो जाती तब तक विचाराधीन मानना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसके प्रकाशन में देर इसलिए की गई है कि माननीय मन्त्री महोदय कुछ आदमियों को आर. ए. एस. में भेजने में इन्टरस्टेड थे यदि लिस्ट आउट हो जाती तो उनको आर. ए. एस. में नहीं भेजा जा सकताथा ?

श्री सम्पतराम—ऐसी तो कोई है बात नहीं लेकिन फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष में इन्टरेस्ट को जाहिर करें तो उस पर खास तौर से विचार किया जाता है ताकि कोई गल्ती न हो पाये।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे माननीय सदस्य कौन हैं ? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं ?

श्री सम्पतराम—मैं नाम लेना उचित नहीं समझता।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं इस जबाव को स्पष्ट कर दूं, आर. ए. एस का सिलेक्शन होने के पहले ही यह लिस्ट फाइनल हो चुकी थी, राजस्व मण्डल ने बना दी थी।

श्री चांदमल मेहता—आपको पिछले सेशन में जो जवाब दिया गया है उसकी जानकारी है या नहीं, जवाब में यह कहा गया था कि अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई उससे पहले आर. ए. एस में जाने वाले व्यक्ति आ चुके थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे पूरी जानकारी है, R.A.S. का सलेक्शन गत अधिवेशन के बाद हुआ है और उसमें पहले तहसीलदारों की सिनियोरिटी लिस्ट फाईनलाइज हो गई थी। लास्ट सेशन में तो आर. ए. एस के व्यक्ति आ चुके थे।

श्री चांदमल मेहता—मुख्य मन्त्रीजी का जो जवाब हैं वह मैं आपको पेश कर दूंगा। अब इस लिस्ट का अन्तिम प्रकाशन कब तक हो जायगा ?

श्री सम्पतराम—बहुत जल्दी प्रकाशित हो जायगी।

श्री चांदमल मेहता—बहुत जल्दी की कोई अवधि भी है गत अधिवेश में भी यही आश्वासन था और इसमें भी यही ?

श्री सम्पतराम—राजस्व मण्डल से वह लिस्ट पहुंच चुकी हैं जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है।

प्रश्न संख्या ३५.

स्थानीय विकास हेतु राजस्थान में पंच वर्षीय योजना के लिए स्वीकृत धन राशि

श्री सरदारसिंह—क्या मंत्री रूरल डेवलपमेन्ट विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) लोकल डेवलपमेन्ट के हेतु राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट-वाईज प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी धन राशि स्वीकृत की गई थी !

(ख) क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी इस कार्य हेतु कोई धन राशि दी गई थी ? अगर हां तो कितनी ?

(ग) उसमें से तहसील वाईज कितनी कितनी वितरित की गई और किस किस कार्य हेतु दी गई

(घ) अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

Page No 9

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) लोकल डेवलप्मेंट वर्क्स की योजना १९५३-५४ से चालू हुई। १९५३-५४ से १९५५-५६ तक जिलेवार जो रकम स्वीकृत की गई उसकी सूची मेज पर रख दी गई है।

(ख) हां, टोंक जिले के लिए उपर्युक्त तीन वर्षों में १,३७,२०० रुपये स्वीकृत किये गये थे।

(ग) उसमें से भिन्न भिन्न तहसीलों को निम्न प्रकार दिया गया :

नाम तहसील	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	कुल
टोंक	५,०००	९,०००	९,६००	२४,१००
मालपुरा	८,०००	११,७००	६,८५०	२६,५५०
टोड़ा		९,०५०	१,०१५०	१९,२००
निवाई	३,०००	३०००	७,९७५	१३,९७५
उनियारा	४,०५०	१४,५५०		१८,६००
दूनी	१०,०००	८,९५०	११,०२५	२९,९७५
योगः—	२६,०००	४६,२५०	६०,१५०	१३,२४०

(घ) जी हां।

श्री सरदारसिंह—राजस्थान में डवलप्मेंट कार्य जो होते हैं, किसी डिपार्टमेंट द्वारा कराये जाते हैं या किसी संस्था द्वारा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिए नियम है जहां तक मेरा खयाल है पांच हजार से ज्यादा के जो पी० डब्लू० डी० वर्क्स के टाइप वाले वर्क हैं वह तो पी० डब्लू० डी० के सुपरवीजन में होते हैं बाकी लोकल डवलप्मेंट कमेटीज् के जरिये कार्य किया जाता है।

श्री सरदारसिंह—तो उनकी जांच किस अफसर द्वारा कराई जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डिस्ट्रिक्ट अफसर के द्वारा।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या गंगानगर जिले में भी ऐसी रकम मंजूर की गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां, ५३।५४ में ४४१००। ५४।५५ में ७५२५४। ५५।५६ में ९८६००।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--वह तहसीलवाइज क्या है ?

Page No 10

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रश्न तो टोंक का था, फिर भी मैंने गंगानगर का बता दिया, अगर आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो अलग से प्रश्न कर लीजिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—किस आधार पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज रकम निर्धारित की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो जिस डवलप्मेंट के काम में इन्ट्रेस्ट रखते हैं, उनको इन सब बातों की तो कम से कम जानकारी रहनी ही चाहिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—कोटा के लिए कम मिला।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं, मैं बता दूं। कोटा में ५५।५६ में १,१५,०५०) रुपया मिला है।

श्री कंवरलाल जेलिया—उदयपुर को कितना मिला ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर को भी मिला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बीकानेर को तो नही, पर उदयपुर को कोटा से करीब पौने दो गुना ज्यादा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—दुर्भाग्य है कि बीकानेर के लिए कोई उत्तर नहीं और उदयपुर की भी रकम नहीं बताई गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रश्नकर्ता की जानने की मंशा है। तो उसमें उदयपुर को कोटा से अधिक मिला है क्यों कि उदयपुर की पापूलेशन कोटा से ज्यादा है।

श्री सरदारसिंह—दूनी हाई स्कूल के लिए १० हजार रुपया और दूनी स्कूल के लिए ६ हजार रुपया, तो क्या ये दो स्कूलें हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं।

प्रश्न संख्या ५४

१ जनवरी, ५५ के बाद आई० ए० एस० और आर० ए० एस० केडर के क्रियेट किये गये पद

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्यमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 11

[श्री चांदमल मेहता]

(क) १ जनवरी, ५५ के बाद आई० ए० एस और आर. ए. एस केडर की कितनी नई पोस्ट क्रिएट की गई ?

(ख) उक्त पोस्ट किस किस विभाग में किस किस डेजिग्नेशन की क्रिएट की गई तथा उनके कायम किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त पोस्ट में टेक्नीकल कौन कौन हैं ?

(घ) टेक्नीकल पोस्ट पर किन किन की नियुक्तियां की गई हैं और उनकी टेक्नीकल क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) आई. ए. एस. २
आर, ए. एस. ३१

(ख) आवश्यक सूचना की सूची सदन की मेज पर रक्खी है ।

(क) जनहित में ।

(ख) कोई नहीं ।

(ङ) प्रश्न नही उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो सूची दी गई वह अपूर्ण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा ख्याल है कि वह अपूर्ण नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एडीशनल डाइरेक्टर की भी कोई पोस्ट क्रिएट की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप अपना प्रश्न ठीक तरह से समझ लेते तो यह दिक्कत नहीं होती । आपने यह पूछा है कि १ जनवरी ५५ के बाद आई० ए० एस और आर० ए० एस केडर की कितनी नई पोस्ट क्रिएट की गई ? उसके उत्तर में मैंने बताया कि आई. ए. एस. की दो और आर. ए. एस. की ३१ पोस्टें क्रिएट की गई और इनको आई. ए. एस. और आर. ए. एस. के इक्विवालेंट डिक्लेअर कर दिया ।

श्री चांदमल मेहता—अडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन की कोई नई पोस्ट क्रीएट की गई ?

Page No 12

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आई. ए. एस. केडर में नहीं की गई। आर. ए. एस. पोस्ट के केडर की इक्विवालेन्ट डिक्लेअर की गई। दोनों के बीच में अंतर होता है पोस्ट क्रीएट करने में क्योंकि आई. ए. एस की पोस्ट केन्द्रीय सरकार की सेंक्शन से होती है और आर. ए. एस की पोस्ट के लिए भी सेंक्शन होती है पर इन दोनों के इक्विवोलेन्ट पोस्ट क्रीएट करने का राइट राजस्थान सरकार को होता है और वही इसमें किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—मैंने दोनों के बारे में पूछा था। अब एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की पोस्ट को आप आर. ए. एस. में मानते हैं या आई. ए. एस. में या इन दोनों केडर की पोस्ट्स के अलावा कोई तीसरी केडर की पोस्ट कायम की है, यह जानने की मेरी इच्छा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आर. ए. एस. की पोस्ट के इक्विवालेन्ट है यह।

श्री चांदमल मेहता—पर इस पोस्ट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, यह कैसे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आर. ए. एस. में इसका नाम होना चाहिये। आर. ए. एस. में नाम नहीं है तो इसमें होना चाहिए।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ की भी कोई पोस्ट क्रिएट की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी पोस्ट तो क्रिएट की गई है, पर अभी किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक मरतबा नियुक्ति हो चुकी थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब कि ए० के० राय ने चार्ज लिया था तब नियुक्ति हुई थी पर बाद में वह पोस्ट खाली ही रही है।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर यह अपूर्ण लिस्ट क्यों दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अपूर्ण कहां है ?

श्री चांदमल मेहता—यह नाम नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पोस्ट तो थी पर परमानेन्ट पोस्ट उस वक्त नहीं होगी। अब पोस्ट क्रीएट की गई या नहीं चूंकि कोई नियुक्त उस पर नहीं थी इसलिए इस वजह से नाम नहीं होगा।

श्री चांदमल मेहता—ये जो ऐडीशनल कलक्टर मुकर्रर किये गये हैं नये चार पांच तो नये एडीशनल कलक्टर मुकर्रर करने के सम्बन्ध में आधार क्या माना गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ जिलों में अधिक काम था ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे जिले भी हैं जहां कि काम के अधिक होने पर भी एडीशनल कलक्टर नहीं बनाये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में नहीं है । वहां के अफसर कलक्टर कमिश्नर रिपोर्ट करते हैं, उसी आधार पर ये नियुक्तियां की जाती हैं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—ऐसी पोस्टें किन-किन दूसरी पार्ट बी स्टेटों में हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—होंगी ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—किस पर्टिक्युलर स्टेट में है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह होगी, इस तरह का उत्तर कैसे फरमाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह जवाब भी दे दिया । This House is not competent to reply about other States.

श्री विश्वम्भनाथ जोशी—I hope, Sir, the Hon'ble Minister is expected to be well informed.

श्री अध्यक्ष—Not about other States.

श्री चांदमल मेहता—असिस्टेन्ट खुदकाश्त कमिश्नर किस आधार पर बनाये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—काम के आधार पर ।

श्री चांदमल मेहता—जो इसमें तीन जिले दिये गये हैं; सीकर, नागौर और झुंझनूं, तो इससे क्या यह माना जावे कि इन तीनों जिलों के अलावा और कहीं इस तरह का काम नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आम तौर से सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोब्लम इन तीनों ही जिलों में है ।

प्रश्न ५५

गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बांदीकुई में छात्राओं व वहां अध्यापिकाओं की उचित व्यवस्था करना

श्री विश्म्भरनाथ जोशी—Will the minister for Educiation be pleased to State :—

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

(a) What is the total number of students in the Government Girls Shool, Bandikui at present ?

(b) Is the present strength of the teaching staff in this institution sufficient in view of the number of students ?

(c) If not, when the shortage of staff is likely to be made good ?

(d) Is it also a fact that there is a shortage of furniture and 'tat pattis' in this school ? If so, when is this likely to be removed ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-शिक्षा-मन्त्राणी) :

(a) 229 students.

(b) Yes, Sir.

(c) The question does not arise.

(d) Yes, Sir.

(e) The shortage will be removed very soon as the purchases are being made.

प्रश्न ५६

रूपनगर तहसील में बारानी जमीन का लगान निश्चित करना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) रूपनगर तहसील में बारानी जमीन का लगान क्या-क्या मुकर्रर है ?

(ख) गत वर्ष बिना नाम भूमि का लगान उक्त तहसील में किस रेट से वसूल किया गया ?

(ग) चालू वर्ष में ऐसे कितने किसान हैं जिनसे गत वर्ष के मुकाबले में अधिक लगान वसूल किया गया है ?

(घ) ऐसे कौन-कौन किसान हैं जो उक्त जमीनों पर पांच वर्ष से अधिक से काबिज हैं ?

(ङ.) उक्त जमीनों का अधिक लगान वसूल करने का आदेश किन कर्मचारियों द्वारा किस कानून के अन्तर्गत दिया गया ?

(च) जयपुर जिले में इस तरह लगान बढ़ा कर वसूली करने की किन-किन तहसीलों में कार्यवाही की गई है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो लगान सवाया वसूल होता रहा इस वर्ष सारी तहसील में दुगुना वसूल हो रहा है ?

श्री सम्पतराम, (उपमन्त्री, राजस्व विभाग)—आपने इस सम्बन्ध में मुझे सूचना दी थी, यह और जो सूचना आपने दी उसके आधार पर परती पर डेफीनेट जांच की जा रही है। एक जिम्मेदार अफसर को भेज कर। जांच के फलस्वरूप जो नतीजा निकलेगा उसी के मुतल्लिक एक्शन लिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि दुगुना लगान वसूल किया गया कि नहीं ?

श्री सम्पतराम—आपकी सूचना के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के पूरा होने पर मालूम पड़ेगा कि वास्तव में कितना वसूल किया गया है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी इसका परिणाम हमें मिलेगा।

श्री सम्पतराम, (उपमन्त्री)—(क) रूपनगर तहसील को दो हलके तशखीस में विभाजित किया गया है। इन हलकों की बारानी दरें निम्न प्रकार है।

किस्म जमीन	हलका १			हलका २		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
बारानी अलिफ	१	२	६	१	२	६
बारानी अव्वल प्लस	०	१२	६	०	१२	६
बारानी अव्वल	०	१०	०	०	८	६
बारानी दोयम	०	७	६	०	५	३
बारानी सोयम	०	५	०	०	३	६

(ख) गत वर्ष बिला नाम भूमि जो बिला इजाजत काश्त की गई उसका लगान बन्दोबस्त के निर्णयानुसार ऊपर दर्ज की हुई रेटों से सवाई रेट में वसूल होती रही, लेकिन इसके बजाय गलती से तहसील सरवाड़ की सिवाय चक की रेट से वसूली की गई।

(ग) यह सूची सारी तहसील के कुछ किसानों की गत वर्ष और चालू वर्ष के खातों की नये सिरे से तैयार कराकर उससे मुकाबिला करने में ही हो सकती है और इसके तैयार कराने में जितने समय व महनत की जरूरत है उसमें कुछ लाभदायक फल निकलने की आशा नहीं है।

(घ) इस तहसील में काश्त फिरती होती है और पांच वर्ष के कागजात की सूची कुल तहसील के पांच वर्ष की खतौनियों की जांच करने के बाद ही बन सकती है। मैं समझता हूँ कि यह भी ऐसा सवाल नहीं है।

[श्री सम्पतराम]

(ङ) सवाया लगान वसूल करने का आदेश कलक्टर, जयपुर ने बन्दोबस्त की रिपोर्ट के आधार पर और रियासत किशनगढ़ के पुराने अमल के मुताबिक दिया प्रतीत होता है।

(च) जयपुर जिले की और किसी तहसील के बाबत सवाया लगान वसूल करने का कोई हुक्म नहीं दिया गया।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय ने कलक्टर जयपुर को यह आदेश दे दिया था कि इस तरह वसूली बन्द करो। फिर भी कलक्टर जयपुर ने वसूली कराई और मिनिस्टर महोदय के हुक्म को नहीं माना ?

श्री सम्पतराम—इससे इन्कार नहीं कर सकता कि आपने मुझे इत्तला दी। पर हम जांच करा रहे हैं, जांच करने पर ही तो कोई कार्यवाही की जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—इस तरह का आदेश देने के बाद लगान वसूली होती रहे और मन्त्री महोदय के हुक्म की तामील नहीं हो और ज्यादा सख्ती से और लगान वसूल किया जा रहा है क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री सम्पतराम—ऐसी जानकारी तो नहीं है कि मेरे हुक्म के मुताबिक कार्यवाही नहीं की गई है फिर भी हम जांच करवायेंगे और यदि इस प्रकार की कार्यवाही किसी ने की है तो उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या दुबारा माननीय मन्त्री को इत्तिला दी गई कि आपके हुक्म की तामील नहीं हो रही है और किसानों से बढ़ा हुआ लगान वसूल हो रहा है ?

श्री सम्पतराम—आपने क्या किया और क्या कहा था, यह एक अलग सवाल है। लेकिन मेरी समझ में जो बात आई वह मैंने की और मैं समझता हूं उस पर अवश्य ही कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—The Hon. ble Member should address the chair, no mutual addresses.

श्री चांदमल मेहता—क्या जो अधिक लगान वसूल किया है उसे मन्त्री महोदय किसानों को वापिस दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सम्पतराम—एन्क्वायरी हो रही है पूरा होने पर दूसरी कोई कार्यवाही यदि आवश्यक हुई तो की जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—जब श्री मेहता ने अधिक लगान वसूल करने के सिलसिले में चना दी तो वह किस तारीख को दी गई।

श्री सम्पत्तराम—यह निश्चत तारीख तो उन्हें ही याद होगी, शायद एक दो माह पूर्व की बात है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या मन्त्री महोदय जयपुर के आस पास के किसी गांव में जाकर तथ्य की जानकारी करना उचित समझते हैं ?

श्री सम्पतराम—यह कोई जरूरी नहीं है कि मन्त्री स्वयं मौके पर जाकर ही जांच करें। सरकार के दूसरे बहुत से आफिसर होते हैं जिनके द्वारा जांच की जा सकती है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश जयपुर जांच कर रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—जबकि उन पर एक ऐसा महत्वपूर्ण आरोप लगाया जा रहा है, तब भी क्या मन्त्री जी यह उचित नहीं समझते कि स्वयं जाकर वस्तुस्थिति की जांच करें।

श्री अध्यक्ष—No.

श्री श्रीदास गोयल—इसमें यह निवेदन कर रहा हूं कि...............

श्री अध्यक्ष—It is not incumbent for a Minister to go on the spot and enquire.

श्री श्रीदास गोयल—कुछ........

श्री अध्यक्ष—It is no question. He gives an assurance that the enquiry is being held.

प्रश्न संख्या ५७

सीकर, खेतड़ी, व उनियारा ठिकानों की जागीर पुनर्ग्रहण के समय दी गई बकाया की सूचियों के अनुसार वसूली

(श्री शम्भूसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह ने प्रश्न पूछा)

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह है कि सीकर, खेतड़ी, उनियारा ठिकानों ने रिजम्शन के समय बकाया रकम की लिस्टें सरकार को दी थीं ?

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

(ग) उसमें से सरकार ने कितनी रकम वसूल की है ?

(घ) वसूलशुदा में से किस २ ठिकाने को सरकार ने कितनी २ रकम अदा करदी है और कितनी अब भी बाकी है ?

(ङ) बकाया रकम सरकार कब तक वसूल करके दे देने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) ठिकाना उनियारा व खेतड़ी ने रिजम्शन के समय बकाया की लिस्ट सरकार को दी थी। ठिकाना सीकर ने नहीं दी।

(ख) ठिकाना उनियारा की बकाया लिस्ट ४२८०८ रुपया ३ आने की थी। ठिकाना खेतड़ी ने जो लिस्ट दी उसके मुताबिक कुल रकम बकाया ४२,४४२ रुपया थे। मगर उसमें ७२८८ रुपये नाकाबिल वसूल कायम हुए। इस तरह कुल रकम काबिल वसूल ३५,१५४ रुपये रही। ठिकाना सीकर के कागजों से जो बकाया की फहरिस्त बनी उससे कुल बकाया ३,२२,५०० रुपये हुई। मगर जब उसकी जांच की गई तो सिर्फ ६६, १३२ ही काबिल वसूल माने गये।

(ग) ठिकाना उनियारा के अब तक २०,०४७ रुपये १० आने ६ पाई वसूल हुए हैं व ठिकाना खेतडी के २१,१६० रुपये वसूल हुए और ठिकाना सीकर के ५,८२४ रुपये १३ आने वसूल हुए हैं।

(घ) वसूलशुदा रकम में से ठिकाना उनियारा को १२,८५० रुपये अदा कर दिये गये हैं और ७१६७ रुपये देना बाकी हैं जो बाद मिनहाई खर्चा वसूली अदा कर दिये जावेंगे।

ठिकाना खेतड़ी को १८,३४१ रुपये अदा किये जा चुके हैं व २,८१६ रुपया देना बाकी है, जो खर्चा वसूली काटकर अदा कर दिये जावेंगे।

ठिकाना सीकर की जमाशुदा रकम में से खर्चा वसूली काटकर बाकी रकम वापिस देने को तहसीलदारान को हिदायत कर दी गई है।

(ङ) सब ठिकानो की मय ठिकाना उनियारा, खेतड़ी व सीकर की बकाया जल्द वसूल कर खर्चा वसूली करके बाकी रकम ठिकाने दौरान को जल्द से जल्द करने के लिये तहसीलदारान को फिर सख्त ताकीद करदी गई है।

श्री जसवन्तसिंह—यह बकाया रकम उनके सो काल्ड कर्जे के पेटे में या सरकारी रकम बाकी होने के पेटे में क्या नहीं काटा जायगा ?

श्री सुखाड़िया—वैसे काटे तो जा सकते है ।

श्री जसवन्तसिंह—काटा तो सभी जा सकता है । सरकार के हाथ में सत्ता है । यदि यह भी नहीं दे तो उसका सवाल नहीं है । मेरा सवाल तो यह है कि जो बकाया है और वह उनको अदा करना है उसमें सो काल्ड कर्जे के अगेन्स्ट में या सरकार का और किसी चीज का बकाया है उसके अगेन्स्ट में नहीं काटा जायगा ?

श्री सुखाड़िया—जो सूचना मुझे मिली है उसमें ऐसा रखा है कि वह काटा नहीं जायगा । उससे जाहिर होता है कि वह काटा नहीं जायगा ।

श्री सरदारसिंह—माननीय मंत्री महोदय से में यह निवेदन करूंगा कि तहसील उनियारा में ५,६२२ रुपये काट लिये गये और उसका ए. जी. के पास नोट आया है ।

श्री सुखाड़िया—वह मैंने अर्ज किया कि शायद खर्चे का काटा गया है ।

श्री सरदारसिंह—वह खर्चे का नहीं काटा है । वह दरअसल में हमारे ऑफिसरों की पेन्शन के और न मालूम किस २ कॉन्ट्रीबुशन के तरीके पर काट लिया गया और बगैर इत्तला के ?

श्री सुखाड़िया—मुझे क्षमा करेंये कि आप जिनको पेन्शन दिलवाना चाहते हैं रूल्स के अन्दर उनको पेन्शन देना है तो उसको काटना ही चाहिए ।

श्री सरदारसिंह—मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि वह बगैर इत्तिला दिये हुआ है । हमने उनको रुपये दे दिये होंगे, पेन्शन उनको दे दी होगी । लेकिन बात यह है कि हमको इत्तिला तो करनी चाहिए । उन्होंने इत्तिला नहीं की और डाइरेक्टली ही काट लिया हैं । उन सबको हमने रुपया दे दिया है ।

श्री सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इस विषय में उनियारा जागीरदार साहब और जागीर मिनिस्टर अलग से बात कर लें तो अच्छा हो ।

एक माननीय सदस्य—जमा कितना लगाया गया और बकाया निकला तो नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—Not veryclear

श्री सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि जब इनकी लिस्ट में बहुत सा रिड्यूस किया किया तो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

उसके अन्दर लाग-बाग के इन्वेलिड एरियर्स नहीं है। उनको डिडेक्ट करके केवल वेलिड एरियर्स हैं।

एक माननीय सदस्य—इन जागीरदारों से जो रकम बकाया पुरानी है और अदम वसूली है उसको न काटकर उनको पैसा दे दिया जाता है और गरीब किसानों को थाने में बिठला २ कर वसूली की जाती है।

श्री सुखाड़िया—ऐसा है कि जो बकाया है वह इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के अन्दर से कुछ काटा जाता है और टोटल कम्पेन्सेशन के अन्दर से कुछ काटा जाता है। इसलिए सारा इसमें से काट लिया जाय इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। सरकार के सामने वह फीगर्स हैं जो कुल मिलाकर इनसे काटा जाना चाहिए तो उसमें फर्क नहीं है। वसूली बकाया की हो रही है उसमें लीगली जो ड्यू होता है वह दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य—क्या यह भी सही है कि हमारे यहां समझ बूझ कर वसूली की है और सरकारी रकम इनमें अभी बकाया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५८।

जयपुर डिवीजन के ग्रामों में चरागाह की भूमि पर ग्रामवासियों का नाजायज कब्जा

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या सरकार की जानकारी में जयपुर डिविजन के अन्तर्गत बहुत से ग्रामों में चरागाह की भूमि पर कुछ ग्रामवासियों द्वारा नाजायज कब्जा कर लिये जाने का कोई घटनायें आई हैं?

(ख) यदि हां, तो उन्हें बेदखल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई है?

(ग) क्या सरकार तहसीलदारों व असिस्टेन्ट कलेक्टरों की इस प्रकार चरागाहों व अन्य सार्वजनिक भू सम्पति पर नाजायज कब्जा करने वालों की सरसरी तौर पर कार्यवाही करके बेदखल करने के अधिकार प्रदान करेगी?

Page No 21

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) जहां जहां ऐसे मामले नोटिस में आते हैं, उनमें मुकद्दमे कायम किये जाकर बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

(ग) तहसीलदारान को आदेश दे दिया गया है कि वे चारागाहों को पंचायतों को सम्हाल दें। और जहां कहीं भी चरागाह में से जमीन दबाये जाने की शिकायत होगी वहां पंचायतें जेर दफा न० १८३ राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही करेंगी। तहसीलदारान को हिदायत कर दी जायगी कि जहां तक हो सके इन मामलात को जल्द से जल्द फैसल करें।

श्री विशंबरनाथ जोशी—आपने अभी कहा कि मुकद्दमा चलाया जाता है क्या ये मुकद्दमे सरकार की तरफ से चलाये जाते हैं या प्राइवेट पार्टीज की तरफ से गांव वालों को कहकर कराये जाते हैं, किस तरह से कानूनी कार्यवाही की जाती है ?

श्री संपतराम—सरकार की तरफ से भी मुकद्दमे चलाये जाते हैं लेकिन जहां कोमन लैंड होती है वहां और गांवों के लोग भी आपस में चलाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—ये मुकद्दमे क्रिमिनल साइड में भी होते हैं या रेवेन्यू कोर्टस तक सीमित होते हैं ?

श्री संपतराम—जैसी परिस्थित होती है वैसे ही ये मुकद्दमे हो सकते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या क्रिमिनल ट्रेस पास के ऐसे मुकद्दमे चलाये गये ?

श्री संपतराम—यह अलग सवाल है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या क्रिमिनल ट्रेस पास की जरूरत समझकर मुकद्दमे चलाये गये या नहीं ?

श्री संपतराम—क्रिमिनल ट्रेसपास के मुकद्दमे नहीं चलते तो कानून में यह सेक्शन रखने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री विशंभरनाथ जोशी—इस प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने के लिये सामूहिक रूप से मुकद्दमे चलाने पड़ते हैं। इसके वगैर गांव में मवेशियों को चराने के लिये तकलीफ उठानी पड़ती है।

श्री संपतराम—आपकी दिक्कत को सरकार महसूस करती है लेकिन काम तो कानून

[श्री सम्पतराम]

के मुताबिक ही होगा। इसमें कितना समय लगेगा यह हम नहीं कह सकते। लेकिन गवर्नमेन्ट का जहां तक सवाल है जितनी जल्दी की जा सकेगी उतनी जल्दी की जायगी।

श्री विशंभरनाथ जोशी—क्या सरकार इसकी इन्क्वायरी करने वाले अफसरों को समेरी ट्राइल का अधिकार देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मन्त्री) लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने पावर्स रखी हैं कि इस तरह से कोई मामला पेश हो तो फौरन तय किया जाय।

प्रश्न संख्या ५६

जनवरी १६५५ के पश्चात् रसद विभाग की सिक्योरिटीज के व्यापारियों की सरकार के पास जमा धन राशियें

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग व रसद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ जनवरी, १६५५ को रसद विभाग की सिक्योरिटीज के कितने रुपये व्योपारियों के सरकार के पास जमा थे व उनमें से कितने रुपये व्योपारियों को लौटाये जा चुके हैं ?

(२) ३१ जनवरी, १६५५ को कितने रुपये देने रहे ?

(३) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन व्यक्तियों के कितने कितने रुपये अभी तक जमा है ?

(४) उक्त रकम के वापिस नहीं लौटाने के क्या क्या कारण है।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग व रसद मन्त्री)—(१) जनवरी, सन् १६५५ को व्योपार की सिक्योरिटीज के इस विभाग के पास ७७०७०१ रू० ० आ० ६ पा० जमा थे।

(२) १ जनवरी, १६५५ के बाद सिक्योरिटी के रुपये २६४४१ व्योपारियों को लौटाये गये।

(३) ३१ जनवरी, १६५५ को सिक्योरिटी के ७५४८६० रु० ०आ० ६पा व्योपारियों को वापिस देने रहे।

Page No 23

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(४) किशनगढ़ सब डिवजन के कुल १६०० रुपये व्यापारियों के जमा हैं, जिसकी सूची इस प्रकार है।

१. श्री रूपचन्द बापना २५० रु०

२. श्री ब्रजमोहन अग्रवाल १०० रु०

श्री अध्यक्ष—कितनी बड़ी सूची है।

श्री भोगीलाल पंड्या—सिर्फ १५ नाम है :

३. श्री रूपचन्द गिरधारीलाल १०० रु०

४. श्री इन्द्रचन्द्र बोहरा १०० रु०

५. श्री लालचन्द चारडिया १०० रु०

६. श्री भंवरलाल खन्डेलवाल १०० रु०

७. श्री पीरमल उर्फ पेशुमल निहालचन्द १०० रु०

८. जीवतराम तुलसीदास १०० रू०

९. पीरूमल मूलचन्द १०० रू०

१०. क्लाथ एसोशियेशन सरवाड़ २५० रू०

११. ,, ,, सांपैलो २५० रू०

१२. सूरजमल छीतरमल २०० रू०

१३. रहमान अली काजी ५० रू०

१४. जगदीश प्रसाद ५० रू०

१५. नोरतनमल भायलाल लादूलाल ५० रू०

योग १६०० रूपया

(५) सिक्योरिटीज् के न लौटने का कोई कारण नहीं है। ज्यों ज्यों पार्टी के प्रार्थना पत्र आते हैं त्यों त्यों खानापूर्ति करके सिक्योरिटी वापिस दे दी जाती है। अगर किसी ने प्रार्थना पत्र दिया होगा तो उसकी खानापूर्ति हो रही होगी।

श्री चांदमल मेहता—आपने फरमाया कि नहीं लौटाने का कोई कारण नहीं है तो क्या अकारण ही ये रूपये रखे गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस को रुपयों की जरुरत होती है वह प्रार्थनापत्र देता है और खानापूरी करके रूपये वापिस मिलते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्रार्थना पत्र सभी के आये हैं लेकिन सरकार रुपये लौटाने में जल्दी नहीं करना चाहती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार जल्दी ही देना चाहती है लेकिन १५ आदमी जो बताये हैं उनमें से ११ ने तो कार्यवाही की है लेकिन चार के बार बार सूचना देने पर भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री चांदमल मेहता—जब ११ ने खानापूर्ति करदी तो उनको रुपये नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैने कहा न कि खानापूर्ति होने पर रुपये देने की कार्यवाही की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या ११ आदमियों ने खानापूर्ति करदी तो अब तो जल्दी पेमेन्ट कर देना चाहिये ?

श्री भोगीलाल पंड्या आप पूछें तो मैं बता सकता हूँ कि कौनसी तारीख को खानापूर्ति हुई; अभी हुई या पहले हुई।

श्री चांदमल मेहता– ७ लाख रुपयों की रकम में से पूरे वर्ष से सिर्फ २६ हजार रुपये लौटाने का क्या कारण है बाकी रुपये क्यों नहीं लौटाये गये ?

श्रीभोगीलाल पंड्या—कोई पार्टी आई ही नहीं तो किस को लौटाते ? पहले सप्लाई डिपार्टमेन्ट चल रहा था, कंट्रोल चल रहा था, इसलिये पहले लेने के लिये लोग नहीं आये इसलिये जल्दी नहीं की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या खानापूर्ति कराने के लिये उनको कहा गया ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री चांदमल मेहता—क्या खानापूर्ति जल्दी कर दी जाय इसके संबंध में कोई कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष—आपको बतलाया न कि एस. डी. ओ. कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद—क्या इस खानापूर्ति का संबंध उदरपूर्ति से भी है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ६०

१६ जून ५४ के पश्चात् पुनर्ग्रहीत ठिकानों को दिया गया अन्तःकालीन मुआवजा

श्री शंभू सिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १६, जून १६५४ से अब तक कितने ठिकानों को रिजम्पशन हो चुका है और कितनों का बाकी है ?

(ख) जिनका रिजम्मशन हो चुका है, उनमें कितनों को कितना अन्तर्कालीन मुआवजा मिल चुका है ?

(ग) क्या यह सच है कि अब तक अन्तर्कालीन मुआवजा बहुतों को नहीं मिला है, इसका क्या कारण है ?

(घ) जिनको अब तक अन्तर्कालीन मुआवजा नहीं मिला है उनके लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)--(क) अब तक ५४४३ जागीरें खालसा हो चुकी हैं। फोर्मर राजस्थान में २०० रुपये की वार्षिक आय से तथा अन्य क्षेत्रों में १००० रुपये से नीचे की जागीरें खालसा होनी हैं, जो १ लाख के करीब हैं।

(ख) फरवरी के अन्त तक ५४४३ जागीरें खालसा हो चुकी हैं। इनमें से जनवरी के अन्त तक केवल १६७७ जागीरदारों ने अन्तर्कालीन मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं। जागीर विभाग द्वारा जनवरी मास में जिन जागीरदारों ने अन्तर्कालीन मुआवजे के लिए प्रार्थनापत्र नहीं दिये थे उन सबको शीघ्र प्रार्थना पत्र देने के लिए लिखा गया था ताकि उनको मुआवजा शीघ्र चुकाया जावे। इस कार्यवायी के पश्चात १ फरवरी और ५ मार्च तक के अरसे में ३६१ प्रार्थनापत्र जागीर विभाग में और प्राप्त हुए हैं तथा ये कुल २३६८ प्रार्थना पत्र आये। इनमें से १२८८ प्रर्थना पत्रों पर निर्णय किया गया। बकाया पर भी शीघ्र निर्णय हो जायगा। फरवरी के अन्त तक ११२० जागीरदारों को अन्तर्कालीन मुआवजा चुका दिया गया है, जिसका विवरण साथ की सूची में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

(ग) बाकी का अन्तर्कालीन मुआवजा न देने का कारण मुख्यत: यह है कि अन्तर्कालीन मुआवजा जागीर खालसा होने की तारीख से ६ माह बाद ही दिया जा सकता है। बहुत से जागीरदारों ने अभी आवेदन पत्र पेश नहीं किये हैं। जिन्होंने दावे और आवेदन पत्र पेश किये हैं उनमें तरतीबी खामियां बहुत हैं जिनकी पूर्ति करने में विलम्ब हो जाता है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(घ) जिन जिन के दावों में खामियां हैं उनकी लिखा-पढ़ी कर जल्दी ठीक कराने का प्रयत्न किया जा रहा है और जिन्होंने आवेदन-पत्र पेश नहीं किए हैं उनमें से प्रत्येक को पत्र व फार्म भेज कर आवेदन-पत्र मंगाये गये हैं।

प्रश्न संख्या ६१

राजस्थान में लोहे के सरिये व एंगल्स बनाने के कारखाने व उनका उत्पादन

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;—

(१) राजस्थान में लोहे के सरिये व एंगल्स बनाने के कितने कारखाने खोले है ?

(२) राजस्थान में लोहे के सरिये व एंगल्स बनाने के कितने कारखाने हैं व उनका वार्षिक उत्पादन कितना कितना है ?

(३) किस किस कारखाने को कितना कितना स्क्रेप आयर्न का कोटा स्वीकृत है ?

(४) ऐसे कितने कारखाने हैं जो स्क्रेप आयर्न का कोटा नहीं मिलने से चालू नहीं हो सके हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—राजस्थान में लोहे के सरिये के एंगल्स बनाने के दो कारखाने हैं ?

(२) उनमें से एक का वार्षिक उत्पादन ८२४ टन है। दूसरा कारखाना सन् १९५५ में खोला गया है, अभी उसके आंकडे प्राप्त नहीं हैं।

(३) इस कार्यालय द्वारा स्क्रेप का कोटा नहीं दिया जाता है।

(४) यह प्रश्न नहीं रहता।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने कारखाने हैं जो स्क्रेप आयर्न का कोटा नहीं मिलने से चालू नहीं हुए ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोटा देने का प्रश्न नहीं उठता। स्क्रेप आयर्न का कोटा यहां से नहीं दिया जाता है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या ऐसे भी कुछ कारखाने हैं जिन्होंने कोटा मांगा था और वे तभी चालू हो सकते थे जब कि कोटा दिया जाता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आप से कहा है कि कोटा (Quota) यहां से नहीं दिया जाता।

श्री चान्दमल मेहता—क्या ऐसे कारखाने हैं जिनके प्रार्थना-पत्र कोटा (Quota) के लिये आये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गवर्नमेन्ट इसके लिये कोटा नहीं देती है। यदि किसी की मांग होती है तो उसको सही उत्तर दिया जाता है कि बाजार से ले लें।

श्री चान्दमल मेहता—स्क्रेप आयर्न का कोटा कारखानों को नहीं दिलाने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका कोटा सेन्टर से नहीं मिलता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सेन्टर से इसके लिये मांग नहीं की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार जिस तरह के लोहे की मांग लोगों की होती है उसके लिये रिकमन्ड करती है और जिनको मिलती है उनको देते हैं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि स्क्रेप आयर्न के बारे में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से मांग नहीं की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लोग बाजार से खरीद कर काम चलाते हैं इसलिये मांग करने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि ऐसा काम पड़ेगा तो भारत सरकार से मांग करेंगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के राजस्थान इंडस्ट्रियल कोरपोरेशन की मांग थी कि हम कारखाना तभी चला सकते हैं जब कि हमें कोटा दिया जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे इसका ध्यान नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्रीजी से इस बारे में कोई डेपुटेशन मिला था और मांग की थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे याद नहीं पड़ता। मुमकिन है कोई डेपुटेशन मिला होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रजिस्टर्ड आवेदन पत्र भेजा गया था जिसकी रसीद मौजूद है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं खुद कहता हूं कि जिसकी मांग आई है उनकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है उसमें किशनगढ़ के किसी कारखानेदार का नाम नहीं है। रजिस्टर्ड लेटर दिया होगा तो डाइरेक्टर के दफतर में पता लगाना चाहिये था।

श्री चांदमल मेहता—रजिस्टर्ड लेटर की रसीद मौजूद है। क्या आप राजस्थान सरकार से स्क्रेप आयर्न का कोटा दिलाने की कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आवश्यकता होगी तो करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—आप इसकी आवश्यकता मानते है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—किस कारण से नहीं मानते इसकी आवश्यकता को, जब कारखाने वाले लिख कर देते हैं कि हमको लोहे की जरूरत है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने जवाब में बता चुका हूँ कि बाजार में काफी लोहा है। जब लोहा बाजार में नहीं मिले तो उसकी आवश्यकता होती है। जिसको चाहिये वे आवें। एक दफा आकर हमें कहें कि हमको आवश्यकता है। अगर उनको बाजार में नही मिलता तो वे मेरे पास आते, मैं उनको दिला देता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि आमतौर पर गलत जवाब देकर हाउस को मिस गाइड किया जाता है। जिस मामले मैं स्वयं उनसे मिला हूं किशनगढ़ के बारे में और आपने मुझे डाइरेक्टर के पास भेजा है। मैं डाइरेक्टर के पास गया और आपको लिख कर भेजा। चीफ मिनिस्टर को लिख कर दिया है फिर भी यह कहा जा रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया जावे वह सही दिया जावे और प्रश्न को टालने के लिये ही जवाब नहीं दिया जाना चाहिये। आप इस तरह की व्यवस्था आयन्दा के लिये करें।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो प्रश्न आपने पूछा उसका जवाब दिया। मिनिस्टर के पास दो सौ आदमी मिलने के लिये आते हैं उनको कोई याद नहीं रहता कि फलां आदमी उनसे मिला। जो मिलते हैं उनको आश्वासन दिया जाता है और आप खुद कहते हैं कि आप मुझसे मिले और मैंने आपको डाइरेक्टर के पास भेजा। आप फिर मुझसे या डाइरेक्टर से मिल लेते।

श्री विश्वम्भरनाथ—हर आदमी को जो आपसे मिलने आता है उसको आश्वासन दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ६२

चांदीकुई माधोगंज के अन्दर व बाहर की दुकानों के किराये निश्चय करना।

श्री विशम्बरनाथ जोशी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि बांदीकुई माधोगंज के अन्दर व बाहर की दुकानों के किराये का सवाल विगत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है जिसके फलस्वरूप दुकानदारों में तीव्र असन्तोष है ?

(ख) क्या यह सही है कि वे दुकानें दुकानदारों ने अपने खर्च से बनाई हैं और उनको महज जमीन ही सरकार की है फिर भी सरकार माधोगंज बांदीकुई में उनके दुकानों का किराया वसूल कर रही है ?

(ग) क्या सरकार दुकानों के किराये के बजाय भूमि कर लगाने के विषय में सोचेगी ?

(घ) पुनः विचार करके इस मामले में सरकार अपना अन्तिम निर्णय कब तक दे सकेगी ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)—(क) जी हां, यह सही है कि बांदीकुई की दुकानों के बाबत मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जिस प्रकार किराया वसूल करने का अमल जयपुर राज्य के जमाने में प्रचलित था वही अब भी जारी है। दुकानदारों में इन दुकानों की बाबत आपसी मतभेद होने के कारण मामले का निर्णय अभी तक नहीं हो सका।

(ग) प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) अब इसका तुरन्त निर्णय करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी—कई पुराने लॉज़ जो रीजनेबल नहीं हैं उनका अमल दरामद इन्साफ के खिलाफ पड़ता है।

श्री सम्पतराम—कायदे कानून अलग-अलग रियासतों में पहले अलग-अलग थे। कहीं पर यह काम म्युनिसिपेलटी के अधिकार में था और कहीं दूसरों के। जो बात आमतौर से सरकार के समने आई उस पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही कोई निर्णय किया जावेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—अभी तक रेवेन्यू लॉ का इण्टरप्रिटेशन पूरा नहीं हुआ है, जैसे फॉरमर स्टेट जयपुर के लॉ हैं वैसे ही चल रहे हैं..............

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं आपको बतादूं कि राजस्थान बनने के बाद सारे राजस्थान के लिये रूल्स बनेंगे।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी—फोर्मर राजस्थान जयपुर में जो इस मामले में सरकार का खुद विरोध करते थे अब अगर ऐसा हो तो. It my be referred to...........

श्री दामोदरलाल व्यास—पहले अलग-अलग स्टेटें थीं, जिनके अलग-अलग रूल्स थे और खास तौर से बांदीकुई और किन्हीं इम्पोर्टेण्ट टाउन्स में ऐसा होता था। मगर अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है। इस मामले को ठीक कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३

सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ में मरीजों के रहने के कमरों का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ में इन्डोर पेशेन्ट्स की प्रतिदिन औसत कितनी है ?

(२) उक्त डिस्पेन्शरी में मरीजों के रहने के कमरे कितने हैं ?

(३) क्या यह सही है कि मरीजों के रहने के कमरे मरम्मत तलब हैं ?

(४) यदि हां, तो उसकी मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—(स्वास्थ्य मन्त्री) (१) ४।

(२) ११ बेड्स का एक वार्ड है।

(३) जी हां।

(४) अर्थाभाव के कारण इस वर्ष पी. डब्ल्यू. डी. उनकी मरम्मत नहीं कर सकी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह अर्थाभाव सिर्फ किशनगढ़ के लिये ही था या दूसरे के लिये भी था ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४

डेगाना तहसील की स्थापना के पश्चात् मेड़ता से डेगाना स्थानान्तरित हुए रेवेन्यू केसेज़

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

जिला नागौर की डेगाणा तहसील कायम करने के बाद कितने रेवेन्यु केसेज़ मेड़ता से ट्रान्सफर हो कर डेगाणा आये और ३१-१२-५५ तक कितने दर्ज किये गये व उनमें से कितने फैसले हुये और कितने अभी बकाया पड़े हुए हैं।

श्री सम्पतराम—(उपमन्त्री) डिगाना तहसील कायम होने के बाद मेड़ता से ट्रान्सफर होकर जो मुकद्दमे आये और जो डिगाना में दर्ज होकर फैसले हुए उनकी संख्या निम्न प्रकार है—

मेड़ता से बदल कर आये	डिगाना में ता० ३१-१२-५५ तक दर्ज हुये	मीजान	मुकद्दमात जो ३१-१२-५५ तक फैसले हुये	मुकद्दमात जो ३१-१२-५५ को बाकी रहे
२४७	१४८	३९५	२४०	१५५

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५

अलवर जिले की खानों के ठेकेदार रामनारायण, लल्लूराम व किशनलाल में बकाया रकम की बसूली

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) अलवर जिले के ठेकेदार (१) ला० रामनारायण व (२) लल्लूराम व किशन लाल के अलवर जिले में वर्तमान खानों के ठेके कितने कितने रूपये और किस किस साल से चले आ रहे हैं ? ठेकेदार के नाम के साथ ठेके की रकम समय समय तथा खान का नाम भी बताने का कष्ट करें।

(ख) इन ठेकेदारों पर क्या कुछ रकम कुछ खानों के ठेके की बकाया है ? यदि है, तो वह रकम किस किस के नाम कितनी कितनी है और कितने समय से और क्यों बकाया है ?

[श्री भवानी सहाय]

(ग) क्या यह लोग रकम बकाया रखने के बावजूद भी ठेकेदारों की सूची पर है और उनके ठेकों की मियाद बढ़ाई गई है ? इस प्रकार बकाया होने पर भी जिन जिन ठेकों की मियाद बढ़ाई है उनके नाम, मियाद का समय तथा ठेके की रकम क्या है ?

श्री भोगीलाल पंडया (उद्योग मन्त्री)—(क) अलवर जिले के ठेकेदार—(१) लाला रामनारायन अलवर व (२) लल्लूराम किशनलाल, अलवर के नाम इस समय निम्न ठेके हैं।

१. लाला रामनारायण

नाम खान	अवधिठेका	वार्षिक द्रव्य
१. कलसीकाला गुवाडा	१. ४. ५३ से ३१. ३. ५६ तक	२२५ रूपया
२. पूठी मांडला	,, ,,	३० रूपया
३. घाटा बावरोल	१. ४. ५५ से ३१. ३. ५६ तक	२५०० रूपया
४. किरवारी	,, ,,	७००० रूपया
५. अलापुर	१. ४. ५५ से ३१. ३. ५६ तक	३१ रूपया

२. लल्लूराम किशनलाल

१. टोडा	२९. ६. ५४ से २८. ८. ५७ तक	५००० रूपया

(ख) लाला रामनारायण की ओर निम्नलिखित खानों का राज्य द्रव्य अवशिष्ट है जिनका विवरण इस प्रकार है :

नाम खान	अवशिष्ट द्रव्य			
१. पलवा धौलान तह० राजगढ	२३३१ रूपया	१० आना	६ पाई	१९५१-५२
२. लालखान जरखवाडा	२४१९	११	०	....
३. सालेराबसी	३५००			१९५०, ५१
	८२५१	५	६	

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(i) उपरोक्त बकाया की वसूली हेतु पी. डी. आर. ऐक्ट के अन्तर्गत कलक्टर अलवर को लिखा गया लेकिन उक्त ठेकेदार का भूतपूर्व अलवर रियासत के वक्त का १०४०७ का क्लेम सरकार की तरफ चल रहा है अतः निर्णय होने तक वसूली स्थगित कर दी गई है।

(ii) मै० लल्लू राम किशनलाल अलवर के नाम पर कोई राज्य द्रव्य अवशिष्ट नहीं है।

(ग) उक्त परिस्थितियों में दोनों पार्टियों का ठेकेदारों की सूची से नाम पृथक रखने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता एवं न कोई उक्त खानों की मयाद ही बढाई गई है।

श्री भवानी सहाय—आपने यह जो ठेकेदारों की सूची बताई कि जितना रुपया उन पर है अदा नहीं कर सके हैं और पहले से भी रुपया चला आ रहा है तो उनको अब तक क्यों छोड़ा जा रहा है और उनसे रुपया वसूल क्यों नहीं किया जाता ?

श्री भोगीलाल पंडया—मैंने पी. डी. आर. के तहत में कलेक्टर को लिखा था तो मालूम हुआ कि उनका १४७० रुपयों का क्लेम गवर्नमेंन्ट में है। जब तक वह तय न हो स्टे ऑर्डर किया गया है ?

श्री भवानी सहाय—वे इसके लिये अदालत में जा सकते हैं। अपना रुपया जो सरकार वसूल करती है वह क्यों नहीं किया ?

श्री भोगीलाल पंडया—यह तो ठीक है मगर जिस प्रकार सरकार को उनसे लेना है उसी प्रकार सरकार को उनको देना भी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मामला कितने दिनों से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंडया—काफी समय से है। तारीख तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—क्या यह मामला अदालत में चल रहा है ?

श्री भोगीलाल पंडया—गवर्नमेंन्ट में मत्स्य के समय से यह मामला चला आ रहा है

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंडया—मैने अर्ज किया कि आप तरीख अलग से पूछिये, मैं बतला दूंगा

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बात सही है कि इस प्रकार का क्लेम करके ठेकेदार इस क्लेम से बचना चाहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंडया—व्यापारी लोग अक्सर ऐसा किया करते हैं। इसके लिये सरकार सावधान रहती है और अमूमन स्टे ऑर्डर नहीं दिया करती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जब तक क्लेम तय नहीं हो जाता तब तक सरकार अपने रुपयों की वसूली के लिये स्टे ऑर्डर नहीं करती ?

श्री भोगीलाल पंडया—सरकार, जहां तक हो सकता है, ऐसा ही करती है। लेकिन लीगल्ली वसूल नहीं कर सकती जब कि उनका क्लेम है।

श्री अध्यक्ष—It is very clear. Ordinarily the recovery is not stayed by the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Till the Government comes to a conclusion there is a substance in the claim.

श्री भोगीलाल पंडया—जब किसी का ड्यू मालूम होता है तो ऐसा कर दिया जाता है। कई बार ऐसे मौके आये हैं और कहा है कि लोग अदालत में गये हैं कि सरकार में हमारा लेना है और जब तक इसका तस्फिया न हो तब तक स्टे आर्डर होने चाहिये। अदालत ने आज्ञा दी है और गवर्नमेंन्ट को क्लेम रोकना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—कोर्ट में गया था क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि अमूमन ऐसे मामलों में जब तक सरकार क्लेम वेरीफाई न कर दे और एडजस्टमेंन्ट का निर्णय न हो जावे तब तक स्टे आर्डर की आज्ञा गवर्नमेंट नहीं देती ?

श्री भोगीलाल पंडया—अनुमान सही है। लेकिन जब गवर्नमेंन्ट को विश्वास होता है कि देना पड़ेगा तब स्टे ऑर्डर्स देने पड़ते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बगैर सोचे और बगैर निर्णय पर पहुंचे कि यह क्लेम वेरीफाइड है या नहीं है, सरकार को यह कैसे महसूस हो सकता है कि यह क्लेम देना पडेगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—प्राइमा फेसी उसकी जांच हो जाती है, फिर देने पड़ते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस केस में प्राइमाफेसी जांच पूरी हो गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्राइमाफेसी जांच में निश्चित रकम मुकर्रर हो गई थी कि यह उनका क्लेम गिना जाय?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अपने उत्तर में १४ हजार बताया था। ज्यादा डिटेल्स में बताना ठीक नहीं समझता।

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक प्रश्न और है ?

श्री अध्यक्ष—फिर ये सारे प्रश्न रह जावेंगे।

(घंटी)

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६६

ग्राम पंचायत वरणा के विभिन्न ग्रामों के ग्राम निवासियों द्वारा अलग ग्राम पंचायतें बनाने का आवेदन

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पंचायत वरणा में कुल कितने ग्राम हैं और प्रत्येक की जनसंख्या कितनी कितनी है ?

(२) कौनसे ग्राम पंचायत के हैडक्वार्टर से कितने कितने फासिले पर हैं ?

(३) किन किन ग्राम निवासियों ने अलग पंचायत बनाने के लिए कब कब आवेदन पत्र दिये हैं ?

(४) उक्त आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—(१) (२) ग्राम पंचायत वरणा में १५ ग्राम हैं :

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

	नाम ग्राम	जन संख्या	पंचायत केन्द्र से दूरी
१.	बरणा	१६५०	०
२.	रारी	१५०	१ मील
३.	रामपुरा	५०	२ ,,
४.	काचरिया	१५०	३ ,,
५.	सीलोरा	३००	४ ,,
६.	गोदियाना	४००	४ ,,
७.	उदयपुर खुर्द	३००	४ ,,
८.	टिकावड़ा	७००	६ ,,
९.	उदयपुर कलां	४००	६ ,,
१०.	मिनयानी	४००	१६ ,,
११.	खेड़ा	२००	८ ,,
१२.	रूघनाथपुरा	५०	८ ,,
१३.	मुन्डोलाव	४००	६ ,,
१४.	भुवाडा	३००	४ ,,
१५.	कोडा	२५०	४ ,,
		५७००	

(४) पंचायत का यह एतराज है कि यदि इस आवेदन को मान लिया जाय तो पंचायतों का खर्चा नहीं चल सकेगा इसलिए इस आवेदन पत्र को अभी स्वीकार नहीं किया गया।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि मुन्डोलाव मुडावा........

श्री **अध्यक्ष**—No body is interested in this Mudawa. We should go to other important matters. Next.

प्रश्न संख्या ६७

अलवर जिले की मालाखेड़ा राव तहसील के हरे कृष्ण मीणे द्वारा त्याग पत्र तथा उसे तकावी लोन

श्री **भवानी सहाय**—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 37

[श्री भवानीसहाय]

(क) अलवर जिले की मालाखेड़ा राज तहसील के नायब तहसीलदार हरेकृष्ण मीणे ने किस तारीख को अपने पद से त्याग पत्र दिया और वह किस तारीख को स्वीकार हुआ ?

(ख) क्या स्वयं हरे कृष्ण मीणे अथवा उसके भाई या पिता को तकावी की रकम दी गई है ? यदि दी गई है तो वह कितनी और किस तारीख को ?

(ग) क्या राज्य के मुलाजिमों को तकावी देने का कोई नियम है ? यदि हां, तो नियम की धारा कौनसी है ?

(घ) तकावी की दरख्वास्त किस तारीख को दी गई थी ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—(क) श्री हरेकृष्ण मीणे ने दिनांक १६. ११. ५५ को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक २६. १२. ५५. को स्वीकृत हुआ।

(ख) श्री हरेकृष्ण मीणे के पिता को ७००० रुपये की रकम ट्रेक्टर खरीदने के लिए कृषि विभाग द्वारा दी गई।

(ग) तकावी देने के लिए राजस्थान तकावी नियम चालू हैं जो कि सार्वजनिक है और इनमें राज के मुलाजिमों को तकावी देने के कोई अलग नियम नहीं हैं।

(घ) श्री हरेकृष्ण मीणे ने कोई दरख्वास्त तकावी के लिए नहीं दी।

श्री भवानी सहाय—क्या यह सही है कि उन्होंने अपने नाम से भी तकावी ली ?

श्री संपतराम—यह अलग से पूछिये और एग्रीकल्चर विभाग से पूछिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या ६८

सरपंच मनिया (त० धौलपुर) के सरपंच के नाम दी गई रकम की वसूली

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरपंच मनिया, तहसील धौलपुर, जिला भरतपुर के नाम करीब छ :माह से लगभग १७०) रुपये की रकम पड़ी हुई है ?

[श्री भोपालसिंह]

(ख) यह रकम व्यक्तिगत रूप से सरपंच को किस धारा के आधार पर दी गई है और उसकी वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)-(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६

मेड़ता शहर में मेड़तियों के चार भुजा के मन्दिर में भक्त मीरा की शादी के तोरण को जयपुर में मंगाना

श्री भोपालसिंह—क्या देवस्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मेडता शहर में मेडतियों के चार भुजा मन्दिर के भक्त मीरां के शादी के जिस तोरण की पूजा होती थी उसको सरकार ने जयपुर मंगा लिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या इस मन्दिर को सरकार कोई एड देती है ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) गत वर्ष मीरां की शादी के तोरण को कांग्रेस अधिवेशन के समय अजमेर की प्रदर्शनी के पंडाल के लिए मंगाया गया था और अभी वापिस नहीं किया गया है।

(ख) इस तोरण की ख्याति बढ़ाने के लिए सुपरिन्टेन्डेन्ट आर्क्योलॉजी ने यह तजवीज की है कि इसकी कीमत देकर इसे जयपुर या जोधपुर के म्युजियम में रखा जाय।

(ग) जी हां। मन्दिर में एक गांव है जिसकी वार्षिक आय ४६० रुपये है।

श्री भोपालसिंह—क्या इस तोरण को मन्दिर में पूजा जाता है और उसके मंगाने पर भी सरकार ने वापिस नहीं भेजा है ?

श्री अध्यक्ष—भेजा नहीं है। और कोई बात हो तो बतावें।

श्री भोपालसिंह— यहां मंगाने पर उसको यहां रख लिया गया है ?

श्री सम्पतराम—वह पूजा नहीं जाता है। इससे रोशनी की जाती है।

श्री भोपालसिंह—हम लोग तो इसको पूजते हैं। सरकार से निवेदन है कि कीमत का प्रश्न नहीं उठता है। मन्दिर को वापिस भेजा जाने का था जो नहीं भेजा है, अब कब भेज देगी, क्योंकि इसकी पूजा होती है।

श्री सम्पतराम—वापिस भेजने का सवाल नहीं है क्योंकि तोरण देवता के ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करें।

श्री अध्यक्ष—तोरण देवता कब से होने लग गए ?

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—जो देवता कहते हैं वे ही मानते हैं।

श्री भोपालसिंह—वह भेजा जायगा या नहीं भेजा जायगा; इस विषय में सरकार स्पष्ट कर दे ?

श्री सम्पतराम—भेजने न भेजने का सवाल तय नहीं हुआ है। सरकार इस पर विचार करेगी। यदि आवश्यकता हुई तो रख लेगी, नहीं तो भेज देगी।

श्री भोपालसिंह—सरकार मुनासिब समझती है, भेजा जाना या नहीं ?

प्रश्न संख्या ७०

श्री अध्यक्ष—महाराज श्री केसरीसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

प्रश्न संख्या ७१

ग्राम पंचायत मनिया (तहसील धोलपुर) द्वारा कांग्रेस सेवादल व राजकीय पाठशाला को रकम देना

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भोपालसिंह]

(क) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत मनिया तहसील धोलपुर जि० भरतपुर ने कांग्रेस सेवादल को ५०) रु० व राजकीय पाठशाला को ५०) रु० दिये हैं ?

(ख) क्या यह रकम पंचों की स्वीकृति के बाद दी गई है ?

(ग) क्या इस प्रकार की किसी पोलीटिकल पार्टी को इतनी रकम देने का हक पंचायत को है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) सेवादल और राजकीय पाठशाला को पचास पचास रुपयों की आर्थिक सहायता दी गई ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह पंचायत अधिनियम की धारा २५ (४) तथा २४ (१०) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसरण में है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७२

ग्राम पंचायत नोगांव (जि० अलवर) के सरपंच को हटाकर नया चुनाव

श्री घासीराम—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पंचायत नो गांवा (जिला अलवर) के सरपंच को किस तारीख को हटाया गया ?

(ख) इस पंचायत के सरपंच के चुनाव कितनी बार स्थगित किए गये ? चुनाव स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस बार चुनाव सिर्फ इसलिए ही स्थगित हुआ कि चुनाव का स्थान कस्बा नौ गांव न रख कर एक छोटे से गांव को रखा गया जिसका विरोध जनता ने किया ?

(घ) क्या पिछली बार इस गांव के सरपंच का चुनाव किसी झगड़े के कारण स्थगित हुआ ? यदि हां, तो कितने लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं और वे किस दफा में चल रहे हैं ?

[श्री घासीराम]

(च) क्या इसी कारण स्थानीय अध्यापक व थानेदार के भी परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) ग्राम पंचायत नौ गांवा के सरपंच के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के तारीख २४-२-५५ को पृथक हुए।

(ख) चार बार।

प्रथम समय में हाईकोर्ट राजस्थान जयपुर द्वारा स्टेऑर्डर होने के कारण द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ शांति भंग होने की आशंका से स्थगित हुआ।

(ग) जी नहीं, मत दाताओं द्वारा चुनाव की कार्यवाही बीच में शांति भंग करने के कारण।

(घ) निम्नलिखित केस दर्ज किए गये है। इनमें कुछ का अदालतों में चालान कर दिया गया है और बाकियों की तफतीश हो रही है।

१. ३८ व्यक्तियों के विरुद्ध दफा १४७ । ३३७ । ३२४ । ३२५ । १८६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत।

२. २० व्यक्तियों के विरुद्ध दफा १४७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत।

३. ११ व्यक्तियों के विरुद्ध दफा १०७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत।

(ङ) जी नहीं।

श्री दुर्लभसिंह—क्या यह सही है कि जो चुनाव स्थगित हुए उसका कारण कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विरोधियों पर पत्थर फेंकना था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पार्टी का तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन पत्थर जरूर फेंके गये थे।

श्री दुर्लभसिंह—चुनाव अधिकारी की जो रिपोर्ट है उसमें अगेन्स्ट पार्टी कौन थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मामला सबजुडिस है।

Page No 42

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह कम्युनिस्ट पार्टी नोनवायेलेन्स में विलीव करती है, फिर भी क्या पत्थर फेंकती है ?

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जब शान्ति भंग का अन्देशा हो रहा था तब सम्बन्धित अधिकारी को बार बार सूचना दी गई कि वह कार्यवाही करे और उन्होंने कार्यवाही नहीं की और इस कारण सरकार के विचाराधीन शिकायतें पेश हुईं उन पर क्या निर्णय किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मामला सबजुडिस है और अदालत के सामने पेश होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उधर के बैठने वालों के जो इल्जामात थे उन्होंने एक ही पार्टी के वोटरों को आने देने की व्यवस्था की थी और दूसरे वोटरों की रोकथाम की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात बिलकुल गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरी पार्टी के वोटर्स जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में विरोधी पार्टी वोटरों को खड़ा किया गया और जो पंजाब से आये थे वे खड़े थे, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I assert that this is baseless.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह बात है कि जिस जगह चुनाव हुए उसकी एक तरफ पार्टी की दिवाल थी और उधर से आने वालों के लिये एक ही रास्ता था दूसरा रास्ता नहीं था ?

श्री बद्री प्रसादगुप्ता—यह शिकायत पहले पहल की है, यह शिकायत बेसलेस है। एस० डी० ओ० को खास तौर पर भेजा गया था, पहले गड़बड़ी हो चुकी थी। एस० डी० ओ० पर पत्थर फेंके गये। मैं इसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, मामला सबजुडिस है।

श्री दुर्लभसिंह—कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी हार देखते हुए चुनाव अधिकारी के खिलाफ नारे लगाने शुरु कर दिये, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, यह बात ठीक है ?

(हंसी)

Page No 43

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष—Order please !

(घंटी)

बाकी के सवालों के जवाब सदन की मेज पर रख दिये जावेंगे । ६ मार्च और १२ मार्च के सवालों के जवाब भी सदन की टेबल पर रख दिये जावेंगे । सम्बन्धित सदस्य उनको देख लें ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री शम्भूसिंह (१३६) ने दिनांक १२-३-५६ के लिये विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

आय-व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—बजट पर सामान्य वाद-विवाद ।

डा० श्री मंगलसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस सत्र के आरम्भ में माननीय राजप्रमुख का भाषण हुआ उसमें हमारे सरकार की नीति सूत्र रूप में बतलाई गई थी । आर्थिक सूत्र उस भाषण में से लेकर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपना भाषण तैयार किया था और उसकी व्याख्या आंकड़ों के द्वारा जो बजट हमें वितरित किया गया, उसमें है । ये दोनों भाषण सरकार की नीति के द्योतक हैं; उनसे मेरे विचार में तो उनसे अच्छे भाषण, अब तक जो पिछले भाषण हुए हैं उनमें सबसे उत्तम थे । खास तौर से राजप्रमुख का भाषण हिन्दी में होने के कारण और जितनी सुन्दरता से उन्होंने पढ़ा उसका अच्छा असर हुआ इस सदन के अन्दर । उसका तो कहना ही क्या हैं लेकिन हमारे वित्त मंत्री का जो भाषण था और जिस सुन्दरता से उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने पढ़ा वह भी उनके नाम का ही द्योतक है । अब अगर किसी सदस्य ने उनके भाषण की टिप्पणी की तो यह उनके भाषण की कमियां नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपने भाषण में किसी प्रकार की कमी की ओर तो इशारा ही नहीं किया अच्छी अच्छी बातें ही उन्होंने अपने भाषण में रखी । मैं यह समझता हूँ कि अपनी कमी बताने

[डा० श्री मंगलसिंह]

वाले और अपनी कमजोरी बताने वाले दो ही प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं,या तो मूर्ख या महात्मा गांधी की कोटि के लोग। अपनी कमी और कमजोरी बताने वाले या तो महात्मा गांधी की कोटि के हो सकते हैं, जो अपने काम को पब्लिसिटी देते है वे या तो ऐसे मूर्ख हो सकते हैं जो यह नहीं समझते क्या हमारे गुण हैं क्या हमारी कमी है। हमारी सरकार दोनों में सेएक भी नहीं : न तो वह मूर्ख है और न महात्मा गांधी की कोटि के हैं, बल्कि बीच के हैं। हमारे राजप्रमुख और सरकार गुण ग्राहक है। सरकार में जो कुछ अच्छाइयां होती हैं वह ले लेती है। उसको क्षीर नीर का विवेक है। उससे उसने अच्छी अच्छी बातों को लेकर, दूध दूध तो ले लिया और पानी को अलग कर दिया। दोनों को अलग अलग कटोरों में भर दिया, दूध का कटोरा राजप्रमुख अथवा वित्त मंत्री के पढ़ते समय हाथों में था और पानी का कटोरा इस विधान सभा की टेबल पर रख दिया गया। इसलिये हम लोगों की नजर उस पानी के कटोरे पर ही पड़ती है क्योंकि वह सामने दिखाई देता है और इसलिये हम लोगों को दोष अधिक मालूम पड़ते हैं गुण नहीं दिखाई देते। लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर इसके अन्दर क्षीर नीर रूपी गुण और दोष मिला हुआ मिश्रित कटोरा रख दिया जाता तो हम लोगों को बहस करने में केवल दोष ढूंढने में कठिनाई होती। क्योंकि उसमें से दोष निकालना मुश्किल पड़ता। जो यह भाषण हमारे सामने रखा गया है वह हमारे स्वागत योग्य है क्योंकि इसमें केवल गुण ही बताये गये हैं इसके अलावा जो कुछ है दोष ही है इस प्रकार इस भाषणों ने हमारी इस कठिनाई को दूर ही किया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहा, यह राज्य की नीति है, वह समाजवादी ढंग पर समाज की रचना करना चाहती है। मैं यह समझता हूं कि इन दोनों के भाषणों में समाजवाद की ओर जो प्रगति हुई है वह बताई गई है। उनमें जो किसान और गरीब के ऊपर जो और जितना वजन था और अब भी है उसको दूर करने की नीति उनको पुष्ट और बलवान बनाने की नीति और जो कुछ भी उनको उन्नतिशील बनाने में हो सकता था वह इसमें मौजूद है। पहले किसान और मजदूरों के ऊपर जो वजन था राजा, लोग जागीरदार लोग, महाजन और दूसरे लोग जो किसान और मजदूरों की कमाई का हिस्सा बर बैठे ले लेते थे उस हिस्से को मिटाने की पूरी कोशिश की। इस पर मैं यह कहूंगा जमींदारी अभी नहीं गई वह भी तो गरीबों पर एक वजन है। वैसे राजस्थान में जमींदारी कम है इसलिये यह प्रश्न उनके सामने कोई महत्वपूर्ण नहीं। परन्तु राजस्थान के जिस हिस्से में जमींदारी है वहां के किसान और गरीब को बेहद मुसीबत है; जिसकी जूती काटती है वही जानता है कितनी तकलीफ होती है। दूसरे आदमी को जूती काटने की तकलीफ क्या अनुभव हो सकता है। "जिसके फटे न पैर बिवाई वह क्या जाने पीर पराई।" मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से एक २ कर उपरोक्त वजनों को हटाया किसानों के ऊपर से वैसे ही यह वजन भी बड़ा भारी वजन है। जमींदारी जहां कहीं भी है वहां किसानों के ऊपर जमींदार लोग जो अन्याय करते है वह किसी से छिपा नहीं है क्योंकि जमींदार लोग जानते हैं थोड़े ही दिनों के अन्दर जमींदारी जाने वाली है इसलिये जो कुछ भी फायदा उस बीच उठाया जा सकता है उठाना चाहिये। वे जमीन किसानों से ले रहे हैं उनको तंग करके या जबरदस्ती करके या धोखा करने से

[डा० श्री मंगलसिंह]

राजीनामा लिखा लेते हैं जैसे भी हो वे जमीनें किसानों से हड़प रहे हैं। एक मित्र ने कल यह भी कहा था कि गंगानगर में जमीदारी है और गंगानगर की जमीदारी में कुछ हमारे मित्र जमीदार हैं या उनमें दिलचस्पी रखते हैं वे नाखुश न होजायं इसलिये यह सवाल टरकाया जा रहा है। अगर यह बात सत्य है तो मैं यह कहूंगा कि सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है। जमींदार या किसी बलवान की रक्षा करने के लिये कमजोर किसान और मजदूर के हक को ठुकरा दिया जाय, यह हमारी सरकार का काम नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि गरीब निर्बल और निर्धन की रक्षा बलवान और धनवान से करनी है। अगर यह सिद्धान्त हम यहां पालन नहीं करते हैं तो यह उद्देश्य टूटता है। इसलिये मैं विशेष रूप से यह प्रार्थना करूंगा कि इस वजन को भी जल्दी से जल्दी सरकार हटा दे। अब इस वजन को हटाने के बाद सरकार इस बात के लिये सोचे कि केवल वजन हटाने से काम नहीं चलेगा उनकी हालत और अच्छी करनी चाहिये। और इसीलिये सिंचाई के प्रबन्ध के लिये सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। सरकार द्वारा उनको बीज अच्छा दिया जाता है, उनको खाद दी जाती है उनको मकान बनाने के लिये कुछ मदद की जाय तो उनकी हालत सुधर सकती है। इस ओर सरकार द्वारा कोशिश भी की गई है।

लेकिन उसके अन्दर भी कुछ ऐसी खामियां दिखाई देती हैं और मैं भी यह समझता हूं कि जो पैसा उनको खर्च करने के लिए, उनकी कमजोरियां दूर करने अथवा उनकी उन्नति करने के लिये दिया जाता हैं, उसमें से भी कुछ कमीशन के रूप में अथवा दूसरे प्रकार से कुछ अंश ऐसे लोग ले लेते हैं जिनको लेने का इस प्रकार से कोई हक नहीं है। हो सकता है कि जो ऐसी २ टिप्पणियां हुई हैं उनमें अतिशयोक्ति की गई हो और ऐसा बतलाया हो कि जो पैसा किसानों को दिया जाता है उसका ३।४ कि २।४ गायब हो जाता है और एक ही चौथाई हिस्से में चला आता हैं, हो सकता हैं, गलत हो पर इसमें शक नहीं कि उसमें से बहुत कुछ बचत का हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है। तो सरकार के सामने मैं नम्रता पूर्वक कहूंगा कि एक पैसा भी अगर गलत हाथों में जाता है तो उस अंश में सरकार पर दोष आता है, पाप लगता है और अच्छे कामों में कमजोरी आती है। पानी के लिये और वह भी पीने के पानी के लिये पैसा दिया जाय और उसमें से कुछ रुपया गलत हाथोंमें चला जाय, यह भ्रष्टाचार की हद है। सरकार को यह दूर करना चाहिये। मनुष्य के लिये पांच चीजों की ऐसी आवश्यकता है कि जो सबके लिये बराबर होना चाहिये। पहले खाना और पीना, इसके बाद वस्त्र, तीसरी चीज मकान, चौथी शिक्षा और पांचवी चिकित्सा। इन पांचों चीजों का प्रबन्ध जैसा पं० जवाहरलाल जी के लिए है वैसा ही एक गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर मनुष्य के लिए होना चाहिये। यह ठीक है कि आप बढ़िया खाना खाइये पर पेट हमारा भी भरना चाहिये, आप बढ़िया वस्त्र पहनिये पर गरीब को भी तन ढकने के लिए सादा वस्त्र तो चाहिये ही। आप महलों में रहिये कोई बात नहीं पर सरदी गरमी और वर्षा से बचाव करने के लिए छोटे मोटे झोंपड़े का इन्तजाम तो हमारे लिए भी होना चाहिये। आप बड़े डाक्टरों से इलाज कराओ पर छोटे मोटे वैद्य से या अस्पताल से इलाज कराने का प्रबन्ध तो हमारे लिए भी होना चाहिये, आप शिक्षा का अपने लिए बड़े से बड़ा प्रबन्ध करो पर हमारे लिए उपयोगी शिक्षा का प्रबन्ध तो होना चाहिये ताकि हम भी कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें।

Page No 46

[डा० श्री मंगलसिंह]

इसी प्रकार से इस बात को देखा जावे तो किसान के लिए मजदूर के लिए, जो खाने पीने के प्रबन्ध का प्रयत्न किया गया वह उचित दशा में है। पर मैं यह नहीं मानता कि उसमें हमें और कुछ करने को बाकी नहीं है। अभी तो रुपये में एक ही आना हुआ है। लेकिन फिर भी में यह मानता हूं कि हमारी दिशा ठीक तरफ है। उनके कपड़े की व्यवस्था के लिये मैं सोचता हूं अभी बहुत कमी है। राजस्थान में इतना कपड़ा तैयार नहीं होता की सारे राजस्थान को पहनाया जा सके। वह बड़ी तादाद में अभी बाहर दूसरे प्रान्तों से मंगाया जाता है। इसके लिये अवश्य यहां प्रबन्ध करना चाहिये। कोशिश हो रही है कल कारखानों की, सुन रहे है दो चार बरसों से। पर इसके लिये सक्रिय काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि वह अब होगा।

तीसरी मकान की बात भी है। और और प्रान्तों की बात मुझे मालूम है कि वहां बड़े जोरों से मकान बन रहे हैं? गवर्नमेंट ८० फी सदी तक मकान की लागत देकर लोगों की मदद कर रही है। पर यहां वैसी सरगरमी नहीं दिखाई देती। मैं आशा करता हूं कि रुपये यहां की गवर्नमेंट के पास भी हैं और उसे यहां भी वैसा काम करना चाहिये और रुपये नहीं हैं तो कोशिश करके लाए और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको उनकी स्थिति के अनुसार रुपये देकर और जिस किसी भी प्रकार की मदद हो सकती है देकर उनको मकान बनाने में सहायता देनी चाहिये।

शिक्षा के बारे में बहुत सा रुपया खर्च किया गया है और इस साल के बजट में भी बहुत सा रुपया है। पर जिस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये, जिस प्रकार से वह रुपया खर्च होना चाहिये, क्षमा करें मन्त्री महोदय मुझे यह कहने के लिये कि उस प्रकार से वह रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है। यह बात भी मुझे खटकती है कि जिस प्रकार की शिक्षा चल रही है उस शिक्षा में मुझे बहुत कमी मालूम पड़ती है। रुपया भी खर्च हो रहा है, बहुत से लोगों को नौकरी मिल रही है लेकिन जो साज सज्जा स्कूलों में होनी चाहिये वह नहीं है। इसके लिये उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि धौलपुर के अन्दर एक ही हाई स्कूल था जिसको तोड़फोड़ कर एक प्रकार की मल्टी परपज स्कूल बना दी। इसके अन्दर कुछ नई बिल्डिंग की जरूरत है वह भी बनाई गई है। कुछ सामान भी लाया है। पर पढ़ाने वाले आधे से भी कम है। उनका कोई पूरा प्रबन्ध नहीं। सामान भी कुछ नहीं हैं, इतने लड़कों को पढ़ाने, हाथ से कार्य कराने के लिये समुचित स्थान एवं प्रबन्ध नहीं है। इसमें केवल बैठकर कोई लैक्चर सुनने का सवाल नहीं है इसमें हर एक विद्यार्थी को हाथ से काम करना पड़ता है। इस दृष्टि से स्थान व सामान भी पूरा नहीं हैं। इसके अलावा दसवीं कक्षा में जो विद्यार्थी इस साल परीक्षा देंगे और दशवीं क्लास में जो फेल हो जावेंगे उनको बैठने का स्थान कहीं नहीं होगा। वे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे उनका तो कहीं एडमिसन भी नहीं हो पावेगा। इसका परिणाम यह होगा कि या तो वे नवें दरजे में भरती हों या वे हट जावें या पढ़ना छोड़ बैठें। तो इस प्रकार वे लड़के जावेंगे कहां? दूसरी बात यह है कि वहां दस पन्द्रह मिडिल स्कूल हैं उन स्कूलों में से जो लड़के इस साल निकलेंगे वे सब फिर कहां जावेंगे? इसमें बड़ी दिक्कतें हो जावेंगी। इतने लड़कों के लिए उस

[श्री डा० मंगलसिंह]

स्कूल में तो खड़े होने की भी जगह नहीं होगी। काम करने का तो सवाल ही दूर रहा।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि धौलपुर के अन्दर एक मात्र हाईस्कूल है। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वहां के लोगों के लिए इन्टर कालेज बन जावेगा और बाद में डिग्री कालेज बन जावेगा। यह सब कुछ बनने के बजाय इसको मल्टी पर्पज स्कूल बना दिया गया। बड़ी कृपा सरकार ने बताई। लेकिन हमने तो इसकी प्रार्थना नहीं की थी। हम तो नहीं चाहते थे कि हाई स्कूल हटाया जावे, इससे अब होगा क्या? यह भी मैं बतादूं। अब तक तो धौलपुर के लड़के दसवीं क्लास पास करके आगरा जाया करते थे, अब आठवीं क्लास पास करके ही वहां जाना होगा क्योंकि वहां दूसरी कोई हाई स्कूल नहीं है और फिर उनको आगरे के सिवाय कोई चारा नहीं। राजस्थान में उन्हें स्थान नहीं। अब बजाय हम ग्यारहवीं क्लास में भरती होने के लिए वहां जायं अब वहां नवमीं में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। या लुहार, बढ़ई, दर्जी आदि बनना पड़ेगा या पढ़ाई ही से हाथ धोना पड़ेगा। अब उस मल्टी पर्पज स्कूल में अव्वल तो सामान भी नहीं आया और आ भी गया तो वे बच्चों में से बढ़ई बनाएंगे, लुहारों का काम सीखेंगे, दर्जी का काम सीखेंगे और कई इस प्रकार के दूसरे काम सीखेंगे और कहा यह जाता है कि ये सब रोजगार कमाने के लायक हो जावेंगे। लेकिन महोदय, यह गौर करें कि हमारे यहां एक ही स्कूल है, जो लड़के तेज हैं, कुशाग्र बुद्धि हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो इससे किंवाड़ ही बन्द कर दिये गये। वैसे जिसके पास पैसा है वह तो और भी कहीं जाकर पढ़ सकेगा पर जो बुद्धि से जरूर बहुत कुशाग्र हैं पर अर्थ भाव से पीड़ित हैं, बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते, उन गरीब कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थियों के आगे पढ़ने का रास्ता बन्द कर दिया गया है। हम छोटी रियासत वाले. कहां एक ही हाई स्कूल हमारे पास मुश्किल से था वह भी छीन लिया गया अंग्रेजों के जमाने में हम कहा करते थे कि ये कालेज इसलिये बनाये गये हैं कि क्लर्क चाहिये थे अंग्रेज सरकार को यहां। अंग्रेजों को कोसा करते हैं इसके लिए। पर आज राजस्थान सरकार क्लर्कों से भी उतर कर. हमको अब मिस्त्री बनाना चाहती है? (हंसी) और इस प्रकार केवल मजदूरों की संख्या बढ़ना चाहती है। यहां मिस्त्री बनें, लुहार बनें दर्जी बनें, छोटी रियासत वाले, और जयपुर जोधपुर और उदयपुर के लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनें?

(हियर हियर एवं करतल-ध्वनि)

क्या हम लोगों में वह क्षमता नहीं है, क्या साढ़े तीन लाख और सात लाख लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है? एडमिनिस्ट्रटर, इन्जीनियर या डाक्टर बन सके?

एक माननीय सदस्य—संख्या ज्यादा है उनकी?

डा० श्री मंगलसिंह—संख्या से डरते हैं तो खुदकुशी करलो ताकि हिन्दुस्तान की संख्या कम हो जावे। उन नौजवानों के रास्ते को क्यों रोकते हो? आप गुलामी में पैदा हुए

[डा० श्री मंगलसिंह]

हो। आप खुदकशी करके खत्म हो जाओ। वे जो आजादी में पैदा हुए हैं उनका रास्ता क्यों रोकते हैं ?

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां एक न्याय मत्स्य न्याय कहलाता है।

बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इसी तरह से हम छोटी रियासत धौलपुर वाले हैं, हमें बड़ी रियासत वाले निगल जाना चाहते हैं, हमें तरक्की नहीं करने देना चाहते, एक हाई स्कूल था वह भी खतम कर दिया गया है। तो वह मत्स्य न्याय हमारे साथ लागू किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य—आप मत्स्य से आये हैं ?

डा० श्री मंगलसिंह—जी हां, पहले हम धौलपुर वाले मत्स्य के मुंह में गए, मत्स्य को भी बड़े राजस्थान ने निगल लिया है ! और राजस्थान भी अब महा मत्स्य के मुंह में जाने वाला है, पश्चिम प्रदेश मुंह बाये सामने खड़ा है। आप यह समझते हों कि खाने का ही काम आपका है पर वक्त आ सकता है जब आप भी किसी के भक्ष्य बन सकते हो। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है।

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

मैं आशा करता हूं कि आप मुझे जो कहना है वह कहने देंगे, नहीं तो दो बजेंगे। घण्टी बजेगी और मुझे बीच ही में बैठ जाना पड़ेगा।

क्योंकि शुरू से ही मैंने समय पाने की बड़ी कोशिश की और उस वक्त राजप्रमुख के भाषण के समय भी घण्टी बजने की नौबत तो क्या, मुझे इजाजत नहीं मिली। और आज तक मैंने सदन में यह नहीं देखा कि इजाजत नहीं मिली ! और ऐसा हुआ भी तो ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं कि किसी को मना कर दिया हो। ऐसा व्यक्ति मैं पहला ही था, ऐसा मेरा ख्याल है। यह तो समझने की बात है और समझने के जिक्र के ऊपर भी मैं आऊंगा। अब मैं दो एक बातें और कह दूं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि घण्टी बजने ही वाली है।

तो तीसरी बात जो किसान और मजदूरों के लिए की गई तो पहले तो यह सोचने की बात है कि उनका जीवनस्तर उठाया जाय, उनकी स्थिति को उठाया जाय और कानून ऐसे बनाये जायं जिनकी वजह से उनकी उन्नति में बाधा न पड़े, उनको खेत से कोई बेदखल न कर सके, जमींदार या जागीरदार उनके ऊपर अपना बल प्रयोग न कर सकें। इस प्रकार से फिर उन लोगों को पंचायतों का हक दिया गया कि अपने उपनियम कानून बनाइये और अपना राज्य अपने आप

[डा० श्री मंगलसिंह]

चलायें। यह एक ताकत एक किसान और कमजोर आदमी को देने की बात है। पानी पीने का प्रबन्ध किया गया तो मैं समझता हूँ कि पानी की कठिनाई पीने की खास तौर से राजस्थान में सबसे अधिक है और उसके ऊपर एक करोड़ के करीब रुपया भी खर्च किया गया है, कुछ अधिक भी हो गया है और चाहे गलत ही स्थानों में सही जहां कहीं भी हुआ हो पीने को वहां के लोगों को पानी दिया। मैं यह समझता हूँ कि जल्दी जल्दी उतावले से काम करने पर ज्यादा रुपया फिजूल खर्च हो ही जाया करता है। हम लोग साधारणतया बहुत किफायतशारी से रहते हैं लेकिन विवाह शादी और उत्सवादि में जब होता है तो थोड़ा सा अधिक खर्च हो ही जाता है, लेकिन कुछ साधारण मात्रा में हुआ है इसलिए कहना पड़ता है। कई एक बार यह शिकायतें हमारे सामने आई हैं और आंख से भी देखते हैं इसलिए मैं कहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। दूसरी पॉवर की बात है जो गांवों को दी जाती है या दी जायगी। यह एक ऐसी चीज है कि उसके ऊपर संसार कायम है। मैं समझता हूँ कि भाखरा है, चम्बल है उससे बिजली भी आ जायगी। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वे हमको आगे बढ़ाने वाली हैं। यह बड़ी उत्साह बर्द्धक आशा है।

अब मैं चिकित्सा के बारे में कहने से पहले शिक्षा के बारे में कहूँगा कि इस प्रकार के सैकड़ों की तादाद में और हजारों की तादाद में नौजवान अध्यापक रखे गये हैं और मेरे ख्याल से इतने कच्ची बुद्धि के हैं और उनके विचार देखेंगे तो बड़े अधकचरे और चरित्र की सार समार भी नहीं कर पाये हैं। उग्र हैं। तो उनको ठीक चरित्रवान और बुद्धिमान बनाना और उनको ऐसा बनाना कि वे दूसरों को पढ़ाने के लायक हो जायें। यह एक बहुत बड़ा काम है और कुछ जल्दी में काम करने में कुछ गल्तियां रह जाती हैं। उन मास्टरों के पढ़ाने का प्रबन्ध बहुत जोर से होना चाहिये कि वह खुद चरित्रवान बुद्धिमान हों और वह ऐसे विद्यार्थियों को निकालें जो कि इस प्रदेश और देश के प्रति श्रद्धा रखते हों और जिनकी भक्ति उनके प्रति हो, और यदि ईमानदारी से कुछ काम करने वाले बनें तो मैं समझता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान देकर पहले पढ़ाने वालों को पढ़ाया जाय, तब उनको वहां भेजा जाय वरना अनर्थ हो जायगा। अभी तक तो गांव का पटवारी जो कहता था वह लोग मानते थे, अब वहां एक व्यक्ति और पहुँच गया है जो अर्धशिक्षित है, और अधूरे विचार रखता है और अनुभवहीन भी है। और यदि उन्होंने गलत विचार प्रदेश में फैलायें तो उसका इलाज नहीं हो सकेगा और हम बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे। यह बात बहुत आवश्यक है और मैं थोड़े में ही कहना चाहता हूं। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। और अनुभवी सचरित्र सद्भावना पूर्ण बनायेगी।

अब मैं चिकित्सा पर जाने से पहले शिक्षा के बारे में थोड़ा और कहदूं। वह यह है कि इसके अन्दर धर्म को स्थान नहीं है। जब मुसलमानों का राज्य था तब धार्मिक पुट से शिक्षा दी जाती थी और मुसलमान भी अपने मकतबों में धर्म युक्त शिक्षा देते थे और जो यहां पहले से रहते थे वह भी अपने स्कूलों में और मदरसों में अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा देते थे। उससे चरित्र संगठन को बल मिलता था। अब तो चरित्र का आधार ही नहीं रहा। अंग्रेजों ने जब देखा कि हम भारतीय क्रिश्चियन नहीं बने और न हम मुसलमान ही ईसाई बनते हैं और न ही हिन्दू ही ईसाई बनते हैं और हिन्दू और मुसलमानों की धर्मप्रियता के कारण उनके ईसाई धर्म प्रचार में बाधा और कठिनाई पड़ रही है; तो धर्म

[डा० श्री मंगलसिंह]

को हमारी शिक्षा से हटा दिया जावे और धर्म को पढ़ाना गलत समझा जाय। ऐसी आज्ञा जारी हुई, सरकारी मदद नहीं मिलेगी। हर तरह से शिक्षा संस्थाओं को कुचल दिया गया। यह नीति अंग्रेजों की थी और यही नीति हमने भी अपना ली है। बहुत सी गलत बातों के साथ साथ जो अब भी चल रही है मैं यह मानता हूँ कि आज के दिन जो लोग जिस चीज को धर्म समझते हैं उस धर्म से मेरा मतलब नहीं है। मेरा उस धर्म से मतलब है कि जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और जो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मनुष्य को धर्म की शिक्षा देना आवश्यक है वर्ना आप मनुष्य नहीं बन सकते हैं पशु से, मगर पशु ही बने रहते हैं। ऐसा मेरा ख्याल है। (करतल ध्वनि) और जैसा आप उनको बनायेंगे वैसे ही वे बनेंगे।....

एक माननीय सदस्य—मजा आ गया।

डा० श्री मंगलसिंह—आपको मजा आ गया, अच्छा है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आया। कुछ लोग तो धर्म और संस्कृति को शिक्षा से एक दम अलग समझते हैं।

इस सिलसिले एक तो यह आश्चर्य है कि संस्कृति का कहीं नाम तक नहीं आया न तो बजट में और न ही किसी अभिभाषण में और न किसी चीज में आया। संस्कृत से भी ऐसा ही द्वेष है जैसा कि धर्म से। उस वक्त का जमाना मुझे याद आ जाता है जब कि अंग्रेजों के जमाने में जो इस बात की सख्ती हुई है कि शिक्षालयों और मकतबों में धर्म नहीं पढ़ाया जायगा, किसी स्कूल में धर्म की चर्चा नहीं होगी इस स्थिति का जिक्र करते हुये एक शायर ने कहा है :

अकबर इलाहाबादी "रकीबों ने रपट की है थाने में, अकबर याद करते हैं खुदा को इस जमाने में।"....खुदा को याद करना पाप है, गुनाह है। ऐसा करने पर गिरफ्तार हो जायगी। थाने में रपट की जानी चाहिये, आज भी यही हालत हो गई है। यह स्थिति सही नहीं है। संस्कृति और धर्म हमारे जीवन के साथ साथ चलते हैं। एक छोटी सी संस्था है धौलपुर में ऋषिकुल, पहले वहां ४०, ५० विद्यार्थी थे। उनको खाने को भी मिलता था, क्षेत्र था। सारा खर्चा सरकार करती थी और अब उसको कुचल कुचल कर बिल्कुल कमजोर कर दिया है और विद्यार्थियों का खाना बन्द कर दिया है, उनकी संख्या भी कम हो गई है। ऐसे जंगल में रख दिया है कि वह संस्था अपने आप मर जाय, मारने की जरूरत न पड़े। मैं समझता हूं कि ऐसी और भी संस्थायें होंगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि संस्कृति की ओर ध्यान देते रहें। इन संस्थाओं को जिन्दा रक्खे किसी समय भविष्य में कोई धर्म और संस्कृति का प्रेमी बुद्धिमान पैदा होगा तब यदि यह बीज बना रहेगा तो हिन्दुस्तान की सुरक्षा हो जायगी। मेरा यह विश्वास है कि धर्म के साथ और हमारी पुरानी संस्कृति जो संस्कृत में ही है रक्षा करनी चाहिए; धर्म और संस्कृति का पुट दिये हुए हमें शिक्षा पढ़ानी चाहिए। जब तक वह नहीं होगी तब तक गल्तियां होंगी; गलत रास्ते पर चलते रहेंगे-सुधार होना असम्भव है

कुं० श्री जसवन्त सिंह—धर्म निरपेक्ष सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं ?

डा० श्री मंगलसिंह—मैं जितनी उम्मीद आपसे करता हूँ उससे अधिक आज भी इस सरकार से आशा करता हूँ। (हियर, हियर) आपसे भी बहुत उम्मीदें है लेकिन सरकार से और भी ज्यादा उम्मीद है। जब सरकार से उम्मीद नहीं रहेगी तो जैसी आज आप टिप्पणी करते हैं वैसी ही हम उनकी करेंगे तथा और भी ज्यादा करेंगे।अभी नहीं। तो मैं इस सरकार का ध्यान ही आकर्षित करना पर्याप्त समझता हूँ।

चिकित्सा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में पहले सुना करते थे कि पुलिस वाले भ्रष्टाचार करते हैं। पुलिस के बारे में यह सुना करते थे, कुछ रिश्वत ली जाती थी और यह भी कहा जाता था कि न्यायालयों में मुंशी वगैरह जो थे वे रुपया, दो रुपया लेते थे, ऐसा सुनने में आता है; सही है या गलत, यह मैं नहीं कह सकता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह---आपने कितने दिये ?

डा० श्री मंगलसिंह—मेरा कोई मुकद्दमा नहीं था। पुलिस ने मुझे पकड़ा तो दस बारह बार होगा लेकिन उनको रिश्वत देने का सवाल नहीं था। वे तो चाहते थे कि मैं किसी तरह से छूट जाऊं, लेकिन मैं आपकी तरह से छूटना भी तो नहीं चाहता था इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो रिश्वत नहीं दी लेकिन मैंने कहा कि मैंने सुना था। लेकिन अब जो सुनने में आता है और देखने में आया, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि आंख बन्द करके ऐसा हाथ मारें ऊपर से नीचे की ओर तो शायद रिश्वतखोर पर ही पड़ेगा या रिश्वत देने वाले पर ही पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य—आपका हाथ यहीं तक नहीं पहुँच सकता है।

डा० श्री मंगलसिंह—मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुँचता इसलिए आप अछूता नहीं रह सकते। कहीं अछूता होता है तो कहीं अदृश्य का भी सवाल रिवाज है। दक्षिण में छू देने से तो खराब ही हो जाता है, लेकिन वहां दृष्टि पड़े तो वह भी छू जाने के माफिक ही अपवित्र हो जाता है, ऐसा मानते हैं। इस दृष्टि से आप भी नहीं बच सकते और हाथ या दृष्टि के अन्दर आ जाते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इशारा होम मिनिस्टर साहब की तरफ हो रहा है क्या ?

डा० श्री मंगलसिंह—यह भ्रष्टाचार हरेक डिपार्टमेंट की तरफ चला जाये तो भी लज्जा की बात है लेकिन शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो जाय तो हमारे पतन की पराकाष्ठा ही समझना चाहिए। मैं किसी को दोष देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ लेकिन सच्ची बात नहीं बताऊं तो मैं आपका मित्र नहीं हूं। एक डाक्टर फीस तय करता है, ऑपरेशन करने के लिए एक रोगी का शरीर चीर देता है और फिर नश्तर लगाने के बाद कहता है कि मैंने जो बीमारी सोची या समझी थी वह नहीं है, यह तो और भी भयंकर बीमारी निकली इसलिए डबल फीस लगेगी। उस बीमार के

[डा० श्री मंगलसिंह]

साथ जो लोग आते हैं वे सोचते हैं कि किसी तरह से बीमार बच जाय इसलिये जेवर, मकान आदि बेचकर भी उनको डबल फीस का इन्तजाम करना पड़ता है। यदि ऐसा कोई भाई डॉक्टर है तो वह इस सेवा के उपयुक्त तो हो ही नहीं सकता बल्कि इस देश में रहने के काबिल नहीं है। यह हमारे लिये अत्यन्त लज्जा की बात है। शिक्षा के लिये हम अपने बालकों को मास्टर के पास भेजते हैं और चिकित्सा के लिये हम अपनी बहन बेटियों को चिकित्सक के हाथों सौंप देते हैं। यदि वह मास्टर और वह चिकित्सक दुश्चरित्र हो और भ्रष्टाचारी हो तो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हमारे डाक्टर भाई कहेंगे कि डाक्टर होकर उनकी इतनी टिप्पणी करता हूं। लेकिन मैं उनका मित्र हूँ और इस नाते कहता हूं कि उनको सोचना चाहिये कि हमने दूसरों के दुःख को दूर करने की प्रतिज्ञा की है। यदि दूसरों के दुःख को दूर करने के बजाय उसको दुःख देने का कार्य करेंगे तो वे इस देश में रहने लायक नहीं हैं, संसार में रहने लायक नहीं। इस तरह का भ्रष्टाचार मिटा देना चाहिये। उच्चाधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर भी बड़ी टिप्पणी हुई है और उचित और अच्छी बात को यह कहा गया कि यह गलत हो गयी। मैं भी इसमें इतनी थोड़ी गलती समझता हूं बटवारे के बारे में लेकिन इसमें जो खूबसूरती है वह यह है कि देना तो सीखा, दिया तो सही, देना शुरू तो किया। एक सेठानी के यहां भिखारी को कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन भिखारी रोज उसके यहां मांगने जाता था। एक दिन मकान में झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा करकट बाहर फेंकना चाहती थी कि वह भिखारी आ गया और उसके झोले में वह कूड़ा डाल दिया, तब उस भिखारी ने कहा कि चलो अच्छा हुआ इसने देना तो सीखा। इसी तरह से सरकार ने कुछ दिया तो सही। यह बात दूसरी है कि किसको अधिक देना चाहिये था और किसको कम देना चाहिये था। मैं भी उन मित्रों से सहमत हूं जिन्होंने जिनके लिये ज्यादा की मांग की है उनको अधिक देना चाहिये था और जिनके लिये कम की मांग है उनको कम देना चाहिये था। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि मांग उनकी तरफ से ही ज्यादा थी जिनको ज्यादा दिया गया और जिनको कम दिया गया वे मांग ही नहीं कर सके थे, बेजान थे। लेकिन कांग्रेस के सिद्धान्त के अनुसार निर्बल और कमजोर की ओर विशेष रूप से देखने की बात थी। यह सिद्धान्त उस समय छूट गया, सामने नहीं रहा। मैं आशा करता हूं, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा और उन गरीबों को जिनको ६० रुपये से कम मिलते हैं उनकी वेतन वृद्धि ज्यादा से ज्यादा अपने वित्त को देख कर, फाइनेन्सेज़ को देख कर, अधिक से अधिक उनको जो दिया जा सके वह देना चाहिये। अब मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि उनके बोलने की जबान नहीं है या उनका जोर नहीं है, इसलिये वे क्या करेंगे, यह बात नहीं होनी चाहिये। यह तो पुराने जमाने की बात थी जब कि राजाओं और बादशाहों का जमाना था। वे अपना स्टेज बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमको मदद करने वाले लोग हमारे साथ रहें, हमको हर तरह से मदद मिले। लेकिन आज हमारा सेवा करने का जमाना है। आज यदि प्रीफरेन्शियल बर्ताव हो तो उनके साथ होना चाहिये जिनकी सेवा का व्रत लिया है। यह मेरी प्रार्थना

[डा० श्री मंगलसिंह]

है, इस पर ध्यान देना चाहिये कि कमजोर और गरीब कर्मचारियों को और अधिक सहायता की आवश्यकता है ।

एक दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों को कुछ पेन्शन के बारे में कहा गया है । मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात बहुत कम हो सकती है । जो लोग हथेली पर अपनी जान रख कर जनता के जानमाल की हिफाजत करने के लिये, अपनी जान देने के लिये तैयार हैं, उनके बारे में और विशेष-कर राजसेवा, जनसेवा में शरीर अर्पण कर चुके और अब जब कि वे जिन्दा नहीं रहे उस वक्त उनके जो स्त्री बच्चे आदि हैं उन लोगों को सहायता देने का प्रबन्ध किया है, उनको सहायता देना तो सिर्फ कर्तव्य को पूरा करना है और उनके प्रति हमारा कर्तव्य इतना ही नहीं है कि जितना रिटायरमेंट तक जिन्दा रहने पर उनको मिलता, उससे भी अधिक पेन्शन के रूप में उनको शरीर त्याग के बाद देना चाहिये । लेकिन जो कुछ दिया उसके लिये हम सरकार की प्रशंसा करते हैं । कुछ लोगों ने कहा कि कई बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ दे दिया । मैं समझता हूं, जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं; वे स्वयं सेवक हैं; उन्होंने अपने कुटुम्ब का आराम, घरबार, औरत बच्चों को छोड़ कर अपनी सेवा दी है और दूसरों की जानमाल की हिफाजत करने के लिये अपने सारे सुखों को छोड़ कर राज्य को अपनी सेवाएं अर्पित की हैं । आज यदि उनका ट्रान्सफर होता है झुंझनू से जोधपुर को और जोधपुर से धौलपुर को और उनकी स्त्री या बच्चा यदि बीमार है तो सब को छोड़ कर ट्रान्सफर पर चला जाता है । उनके लिये यह कहा जाय कि इतना अधिक दिया है, यह कृतज्ञता से दूर है । उनकी सेवाओं को देखते हुए यह कुछ नहीं है । फिर जो फौज और पुलिस में हैं उनके वेतन और आराम के लिये यदि कुछ पैसा खर्च किया जाता है तो मैं समझता हूँ इससे अधिक और कोई उपयोग उस पैसे का नहीं हो सकता जब कि जनता के हित के लिये, उनकी जानमाल की रक्षा करने के लिये अपने जानमाल को खतरे में डालते हैं तब तक उनको अधिकार है, उनका हक है कि हर तरह से हम उनके बच्चों की तरफ देखें । यह कहना कि यह अधिक दिया है यह अच्छा नहीं है । एक बात मुझे यह कहनी है कि जिनके लिये सरकार ने इतना किया वह ठीक है लेकिन हमारे छोटे कर्मचारियों का हक कम करके दिया है, हक मार करके तो कैसे कहूं; उनको स्वयं सेवक जानकर, जनता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली है उसमें यदि त्रुटि करते हैं, रिश्वत लेते हैं जनता को दुःख देते हैं; तो मैं समझता हूँ वह सेवा उनकी निरर्थक हो जाती है । यदि वे अपना काम बराबर करते हैं तो अधिक वेतन पाने के भी हकदार हैं ।

मैं इस सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय, नीचे के कर्मचारियों के पास अगर मेरी आवाज पहुंच सकती है तो मैं कहूँगा कि इसके लिये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि जो सरकारी कर्मचारी बने हुये हैं उनमें से हर एक को जिस प्रकार आग में सोने को तपाया जाता है उसी प्रकार उनको तपा कर देखा जावे और जो खरा उतरे उसको रखा जावे और अगर वह सोने के तपाने के समान खरा नहीं उतरता है तो उसे जिस प्रकार बीमार आदमी को शफाखाने भेजा जाता है

[डा० श्री मंगलसिंह]

उसी प्रकार उसको भी शफाखाने भेज दिया जाना चाहिये और उसका इलाज किया जाना चाहिये। मैं पागल खाने भेजने के लिये तो नहीं कहूँगा लेकिन हो सकता है कि अगर उसको पागलखाने भेजने की आवश्यकता हो तो पागलखाने भी भेजा जा सकता है।

मैं इतना ही कहकर अब भू-स्वामियों के संबन्ध में कुछ कहूँगा, जिस पर सदन में बहुत चर्चा हुई है। मुझे तो इस संबन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि न्याय वह न्याय नहीं जिसके अन्दर दया की नीति नहीं हो। उन्होंने कहा वह भी सुन लिया और इधर वालों ने कहा उसको भी सुना। किसी ने कहा कि यह उनकी रोटी का प्रश्न है तो किसीने कहा कि यह एक राजनैतिक प्रश्न है। मैं समझता हूं कि यह दोनों प्रश्न ही मिले हुये हैं। कुछ लोगों का यह राजनैतिक प्रश्न है और कुछ लोगों के लिये यह रोटी का प्रश्न है। जिन लोगों के लिये यह राजनैतिक प्रश्न है वे लोग जेलों में नहीं जा रहे हैं और बाहर से ही रस्सी को खींच रहे हैं। वे लोग जेलों में नहीं गये हैं। लेकिन चूंकि यह राजनैतिक प्रश्न है इसलिये इसको उन लोगों के लिये भी जिनके लिये यह रोटी का प्रश्न है उसको भी हल नहीं किया जावे, यह तो वाजिब नहीं मालूम नहीं होता मुझे मालूम है। कि छोटे छोटे जागीरदारों के पास ऐसे खेत थे जिनको वे किसी दूसरों को देकर किसी बड़े जागीरदार के यहां पर वे नौकर हो गये। क्योंकि वहां पर उनको आराम मिल गया, कुछ वेतन और खाने पीने की सुविधा हो गई। कुछ उनकी नौकरी करने से इज्जत बड़ी और विवाह शादी में उनको ठिकाने से रुपया मिल जाता था। चूंकि अब जागीरें समाप्त हो गईं, उनकी नौकरी खत्म हो गई, घर के खेत वे लोग पहले ही दे चुके थे, अब वे बगैर जमीन के रह गये और उनके सामने रोटी का प्रश्न रह गया। इस प्रकार के लोग हैं जिनके सामने रोटी का प्रश्न है। सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिये और जो राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य करते हैं उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करना चाहिये। लेकिन जो लोग भूखे हैं और तुम्हारे दो हाथियों के बीच में पिस रहे हैं और जिनको खाने के लिये नहीं मिल रहा है उनके लिये तो विशेष रूप से आपको प्रबन्ध करना चाहिये। न्याय वही है जो दया से मिश्रित हो और अगर उसमें दया नहीं है तो वह न्याय शक्ति और अन्याय का रूप ले लेता है।

हम कांग्रेस वालों को राज्य करने का मौका मिला है वह हामरी काबलियत और अनुभव के कारण नहीं मिला है। हमसे बहुत पढ़े लिखे और अनुभवी व काबिल आदमी राजस्थान में चार हजार से भी ज्यादा हैं। लेकिन राज्य करने का संयोग मिला है वह इस कारण से कि जनता का हमारे प्रति विश्वास है, जनता में हमारी ईमानदारी की धाक है और सत्य और अहिंसा में हमें निष्टा है।

(हियर हियर की विरोधी दल की ओर से आवाज)

हम लोग छोटे छोटे लोगों की रक्षा बड़े बड़े लोगों से करते आये हैं और आगे भी करेंगे। यही बात है जिस कारण से हमें राज्य करने का मौका मिला है लेकिन ये गुण जो हममें होने

[डा० श्री मंगलसिंह]

चाहिये ऐसा प्रतीत होता है कि हममें आज मालूम नहीं पड़ते हैं। यदि इस प्रकार के गुण हममें नहीं हैं या अब नहीं रहे, तो मैं समझता हूं कि हमको राज्य करने का कोई हक नहीं है। अगर हम उधर बैठे हुये लोगों के बराबर ही ईमानदार में हो जावें या वैसे ही कठोर हो जावें या डाकुओं को प्रोत्साहन दें, जैसे कि लोगों ने कहा है, मुझे मालूम नहीं यह कहां तक सच है, अगर हम भी उसी प्रकार से बन जावें तो हम और उनमें क्या फर्क रह गया है ?

मैं आशा करता हूँ कि अगर कोई रोड़ा सरकार के मार्ग में हो तो उसको दूर किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इन कमजोरियों को जो हमारे अन्दर पाई जावें उनको सरकार को दूर करना चाहिये। मैंने जिस भावना से इन कमजोरियों का जिक्र किया है उसी भावना में ली जानी चाहिये, किसी दूसरी भावना से नहीं समझी जाना चाहिये।

(घंटी)

एक मिनट और बोलना चाहता हूँ। माफ कीजिये पहले भी मुझे समय नहीं मिला था जिस समय श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण हुआ था।

पुनःसंगठन की बात हमारे सामने आई। उसके बारे में कहा गया और पश्चिमी प्रदेश की बात आई तो कुछ लोग नाराज हो गये और कुछ लोग इससे राजी हुए। कुछ लोगों ने यह कहा कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव किया था कि भाषावार प्रान्त बनाया जावे, इस विचार और वायदे से अब कांग्रेस पीछे क्यों हटती है, जो कदम ले लिया पीछे क्यों हटावें। तो इस संबन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो कदम उसने रखा है उसको नहीं उठावेगी। माननीय अध्यक्ष, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो कदम रख कर फिर उसको हटाना नहीं चाहता मगर मेरा पैर यदि किसी सांप पर पड़ जाय तो मैं फौरन उसको हटा लेता हूँ। मैं अपने वायदे को फौरन हटा लेता हूँ सांप जैसी स्थिति पैदा होने पर। पहले कांग्रेस को यह मालूम नहीं था कि भाषावार प्रान्त के आस्तीन में एक सांप छुपा हुआ था। मगर अब मालूम हुआ है कि हमारे पैर के नीचे सांप आ गया है। यह अक्लबंदी है कि जब सांप पर पैर पड़े तो उसे फौरन हटा लिया जावे। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि भाषावार प्रान्त के आस्तीन के सांप को हमें इस तरह दफना देना चाहिये जिस तरह की औरंगजेब ने संगीत को गाड़ा था। इसका अर्थ यही केवल है कि कदम रखने से पहले यह देख लेना चाहिये कि कोई सांप तो नहीं है और अगर देखने में कमी रह जावे तो यह प्रशंसा की बात नहीं होती कि हम उस कदम को नहीं उठावें जो सांप पर पड़ा है। यह तो हमारे कल्याण की बात है और अगर इसके लिये प्रतिज्ञा भंग होती है तो कोई बात नहीं।

इसलिये मैं यह बात मानता हूं कि जितना प्रान्त बढ़ जाता है उतनी हमारी सुख और शांति और समृद्धि की बात बढ़ जावेगी। पहले मत्स्य राज्य था, उसके बाद फॉर्मर छोटा राजस्थान बना और उसके बाद राजस्थान बना और बड़े राजस्थान के बनने के साथ साथ आपके कथनानुसार सुख, शांति और देश की समृद्धि बढ़ी; तो फिर जितना बड़ा प्रान्त होगा, आपके

[श्री डा० मंगलसिंह]

कहने के अनुसार उतनी ही हमारी समृद्धि बढ़ेगी। अगर पश्चिमी प्रदेश बन जायगा तो देश की खुशहाली बढ़ेगी। मेरी तो यह राय है कि बड़े प्रान्त बनने चाहियें छोटों का काम है जो छोटी बातें सोचते हैं और चाहते हैं। मेरी तो यह राय है कि राजस्थान, मध्यभारत और उत्तर प्रदेश एक हों। यह ठीक है। (करतल ध्वनि और हर्ष ध्वनि)---(ताली और हर्ष ध्वनि के उत्तर में) मैं समझता हूँ कि सब लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं। मैं समझता हूँ कि इधर के लोगों ने अपनी रूचि प्रकट नहीं की है। फिर भी मैं कहूँगा कि बड़े बड़े प्रान्त हों और अगर हिन्दुस्तान एक हो जावे तो सबसे अच्छा। यह बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय अध्यक्ष........

श्री अध्यक्ष—संक्षेप में ही कहिये।

श्री गौरीशंकर आचार्य—अध्यक्ष महोदय, सन् १९५६-५७ का बजट प्रस्तुत किया गया है। वित मंत्री ने जो बातें अपने भाषण में बताई उन पर कुछ आलोचना हुई है। उस आलोचना में कुछ गौण शब्द हैं उनकी तह में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन जब मैंने यह देखा कि यह बजट हमारे कांग्रेस साथियों द्वारा पेश किया गया है तो इस पर कुछ विचार प्रकट करने की तबियत आ जाती है। असल में इस वर्ष का बजट एक महत्व पूर्ण बजट है। हम प्रथम पंचवर्षीय योजना सम्पूर्ण और द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें इस पर अवश्य चर्चा करनी चाहिये जिसके लिये हम बहुत दिनों से चर्चा करने की सोच रहे थे। आज जो लोग कांग्रेसी हैं वे महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने वाले हैं और जब हम महात्मा गांधी के उसूलों पर चलते हैं तो उनके उसूलों पर चलते चलते हम सर्वोदय का नाम लेते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपको खाने को ज्यादा मिले तो उसमें से हरिजन को दिया जावे, मजदूर को दिया जावे लेकिन आज वह नीति नहीं अपनाई जा रही है। आज जिसके पास कम है उसको खाने को नहीं दिया जाता है और जिसके पास पहले से काफी है उसको दिया जाता है।

(विरोधी दल की ओर से हिअर हिअर की आवाज)

मैं समझता हूँ कि इसको आप सर्वोदय नहीं कह सकते और अगर महात्मा गांधी के अनुयायी कहते हैं तो कहां तक ठीक है? होना तो यह चाहिये था कि सबसे पहले अगर आमदनी पांच वर्षों के बाद बढ़े तो उसका फायदा गरीबों को पहुँचना चाहिये, हरिजनों को पहुँचना चाहिये। लेकिन आज जयपुर में नये नये बंगले बनते दिखाई देते है और अट्टालियां बांधी जाती हैं और उसकी जगह अगर गरीबों के झोपड़े बनते होते तो उसको सर्वोदय कहा जा सकता था।

हो सकता था यह उनकी बात नहीं है लेकिन हमने इस ओर गौर नहीं किया है। मुझे सबसे बड़ी हैरत उस वक्त हुई जब मंहगाई भत्ते के सिलसिले में आंकड़े एकत्रित करके यह साबित

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

करने का प्रयत्न किया गया कि गरीबों को बहुत अधिक मंहगाई भत्ता मिलता है, हालां कि एक के सिलसिले में यह सोचते है कि गरीब को २५ रुपया देते है और दूसरे अधिक वेतन वाले को पचास रुपया देते है और उस पर भी यह कहना कि २५ वालों का मंहगाई भत्ता अधिक है दूसरों से, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर हम आर्थिक स्थिति को, आर्थिक क्रान्ति को सामने रख कर, सोच कर चलना चाहते है तो हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि एक गरीब आदमी की आमदनी कम से कम ६० रुपये तक तो होनी ही चाहिए और जब तक यह न हो जाय तब तक ऊपर के वेतन वालों की तनख्वाहों में कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि हम यह सोचते हैं कि उनकी सेवायें अधिक हैं लेकिन यह भी कैसे भूल सकते हैं कि एक भंगी की, चपरासी की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की सेवायें कम हैं। अगर आज ब्रिटिश सरकार का समय होता तो सोचा जा सकता था लेकिन कांग्रेस सरकार ने, आर्थिक क्रांति का नारा लगाने वालों ने क्या किया, यह जनता के सामने जाकर जवाब देना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यह जो बजट है जिसको आप पास करने जा रहे है उसमें यदि संभव हो सके तो वहां तक तो उसमें परिवर्तन करना ही चाहिए।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है हम यह देखते है कि मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है वह अच्छी नहीं है और यह जानते हुए भी शिक्षा की मद में जो खर्चा किया जाने वाला है आगे वह अधिक उसी शिक्षा प्रणाली पर खर्चा किया जायगा। शिक्षा के विषय में सरकार ने कोई योजनायें बनायी होती और उसके सम्बन्ध में कोई कदम उठाया होता तो वास्तव में हर्ष का विषय हो सकता था लेकिन शिक्षा के विषय में जो कमेटी बनायी गई थी; जैसे और और कमेटियां बनती रहती हैं उसी तरह से इस विषय में भी गौर नहीं किया गया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हियर हियर

श्री गौरीशंकर आचार्य—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मुझे इस विषय में आलोचना नहीं करना है और अच्छी बातों को कहने में हिचकिचाहट भी नहीं है। अजमेर हमारे प्रान्त में मिलने जा रहा है उसमें सौ व्यक्तियों में २५ व्यक्ति पढ़े लिखे हैं जबकि हमारे राजस्थान में सौ में से ८ पढ़े;लिखे हैं। अगर अपने इस बजट में भी इस प्रकार की कोई योजना बनाई होती तो अच्छा होता लेकिन इस प्रकार की क्रांतिकारी योजनाओं की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं आपको चीन और रूस का उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि जब वहां क्रान्ति हुई और उनकी जो पंचवर्षीय योजना बनी तो वहां की शिक्षा का उसमें स्तर बढ़ाया गया। जो कार्य चालू हैं उनमें और नई योजना बनाकर कोई इस ओर नया क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाते हैं, तो वास्तव में मानना पड़ेगा कि हम किसी ओर बढ़ना नहीं चाहते। हमारे प्रान्त में एक ही विश्वविद्यालय है और उस ओर भी कोई नया कदम नहीं उठाया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पड़ोस के विभिन्न प्रान्तों ने इस विषय में कहां तक प्रगति की है जबकि हम इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तीन प्रान्तों से हमारा खास तौर पर सम्बन्ध है, पंजाब, यू. पी.

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

और बम्बई। पंजाब ने प्राच्य विद्या की शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय बनाया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने गोरखपुर में ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाया है, बम्बई के अन्दर विश्वविद्यालय बनाने की स्कीम विधान सभा में आ चुकी है। हमारे समानान्तर के इन तीन प्रान्तों में इस दिशा में ये कदम उठाने का प्रयास किया है। हमारा यह प्रान्त भी विश्वविद्यालय के लिये इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तुत करता। सौभाग्य से और जनता के प्रयत्नों से एक नये ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की लेकिन उसमें भी शिक्षा शास्त्रियों ने रोड़े अटकाये जिसका विवरण में समय पर कभी प्रस्तुत करूंगा। समाज की गति को देखते हुए इस प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे प्रान्त में होने चहिये। मैं यह नहीं कहता कि विश्वविद्यालय हमारे प्रान्त में होने चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि बजट ये शिक्षा में वृद्धि नहीं की गई है। भारत वर्ष से बहुत कुछ लेते हैं तो कुछ देना भी चाहते हैं।

मैं विशेषतौर पर आपका उन शिक्षकों की ओर ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं जिनको हम कहते हैं कि गुरु है, राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं लेकिन उनको वेतन क्या देते हैं? अध्यापक संघ की मीटिंग में मैं था। स्वास्थ्य विभाग में कम्पाउन्डरों का जो वेतन दस साल पहले दे रहे थे वही शिक्षकों को दे रहे हैं। कम्पाउन्डरों का वेतन १००)-१५०) रुपया हो गया है लेकिन अध्यापकों का वेतन नहीं बढ़ा है। मैं दर्द भरे दिल से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इसका कारण क्या है? अगर शिक्षकों का आप वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं, शिक्षक को पेट भरने के लिए नहीं दे सकते हैं तो फिर वे राष्ट्र का निर्माण क्या कह सकेंगे? मुझे यह बताया गया है कि जिस कम्पाउन्डर को पहले ४०) रुपया मिलता था उसी स्टेज पर अध्यापक को भी ४०) रुपये मिलते थे उसको ६०) रु० देदिया लेकिन अध्यापक को पेट भरने के लिए दाना भी नहीं दे सकते। अध्यापकों के दिलों में कितना असंतोष व्यापक है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को, सब लोगों को उनके प्रति हमदर्दी है लेकिन जब आप कलम हाथ में लेते है तो वह हमदर्दी गायब हो जाती है। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो कहा गया कि अब नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जब बीकानेर राज्य की बागडोर हमारे हाथों में थी तो हमें मालूम हुआ कि अंग्रेजी और संस्कृत के पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में श्रेणी विभाजन हुआ था। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वह इसको पसन्द भी नहीं करेगा कि इस देश के संस्कृत के अध्यापक कम वेतन पाये। मैंने तुरन्त एक नोट बढ़ाया हमारे विरोधी दल के नेता जो उस वक्त प्राइममिनिस्टर थे। मैंने उन्हें कहा कि यह संभव नहीं हो सकता कि स्टेट के अध्यापकों में से संस्कृत के अध्यापकों का वेतन अलग हो और अंग्रेजी के अध्यापकों का वेतन अलग हो। तो इस तरह से उनको बराबर किया गया। क्रान्तिकारी यदि भावना रहती है तो कर सकते है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जहां सामान्य कदम उठाने में श्रेय प्राप्त कर रहे है वहां क्रांतिकारी कदम उठाने से अधिक देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं।

जहां तक स्वास्थ्य का विषय है मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि देश में आयुर्वेद की पनपने की अधिक आवश्यकता है। यह विशुद्ध राष्ट्रीय पद्धत्ति है, प्राचीन पद्धत्ति है। मुझे अफसोस

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां जयपुर में डाक्टरों ने मिल कर जो निर्णय किया आयुर्वेद के सम्बन्ध में उसके कलंक का टीका जयपुर पर लगा हुआ है, राजस्थान पर लगा हुआ है। आज हमारे पैसे से, किसानों के पैसे से, वे डाक्टर पाले जा रहे हैं जो आयुर्वेद पद्धति को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उसको मिटा देना चाहते हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप इस नवीन पद्धति को रखिये, लेकिन आयुर्वेद जो प्राचीन पद्धति है जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक है, उसको न मिटाइये।

एक माननीय सदस्य—यह तो ऑल इन्डिया संगठन था जिसने यह निर्णय किया था।

श्री गौरीशंकर आचार्य—जिस भूमि में निर्णय होता है उसका नाम जोड़ा ही जाता है। जयपुर में सम्मेलन हुआ, जयपुर के मिनिस्टरों की छाया में हुआ। मैं जानता हूँ कि सभापति का बड़ा उत्तरदायित्व होता है, मैं जानता हूँ कि सभा सोसाइटीज होती हैं उनमें स्वागताध्यक्ष का उत्तरदायित्व कम नहीं होता है। अगर डाक्टर जो राजस्थान की पुण्य भूमि में आये हुए थे, उनसे हमारी लिखा-पढ़ी हुई होगी, सम्भव है वे नहीं मानते होंगे, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने उस कलंक के टीके को लाने में मदद की और राजस्थान के नाम पर कलंक का टीका लग ही गया। क्या इससे राष्ट्र के लोग समझ जावेंगे कि आयुर्वेद की कोई आवश्यकता नहीं, जब कि हजारों लाखों व्यक्ति आज भी आयुर्वेद से लाभ उठाते हैं और अधिकतर इसमें विश्वास करते हैं?

मुझे सच्ची बात कहनी है। आयुर्वेद के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, लेकिन यहां राजस्थान में एक भी आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा कालेज नहीं है। मैंने जयपुर और उदयपुर के कालेज देखे हैं। मैंने आज के इन मेडीकल कालेजों से तुलना की तो वे उसका शतांश भी नहीं हैं। मैं माननीय मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आयुर्वेद के लिए उनके दिलों में अच्छी भावना है तो अच्छी बात है लेकिन उनको कार्यरूप में परिणित कीजिये। एक बोर्ड आयुर्वेद के लिये बनाया था, परामर्श किया गया, वैद्यशालायें चल रही हैं। सामग्री की कमी है, गवर्नमेंट दे सके तो अच्छी बात है लेकिन मुझे नजर नहीं आया कि किसी आयुर्वेद कालेज को पूरी सामग्री दी गई हो। मैं यह नहीं कहता कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन जो क्रांतिकारी कदम उठाये जाने चाहियें वे नहीं उठाये जा रहे हैं। यदि यू० पी० का उदाहरण दूं, यदि मद्रास का उदाहरण दूं और यदि मैं पड़ोसी पंजाब का उदाहरण दूं तो आपको मालूम होगा कि वे प्रान्त आयुर्वेद की प्रगति में हमसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में नया विश्वविद्यालय न बनावें तो कम से कम आयुर्वेद के क्षेत्र में तो एक शानदार आयुर्वेद कालेज बनाइये, जिससे सारे देश का भला हो सके, जैसे यू० पी० में और पंजाब में बन रहे हैं।

यह बहुत दुख के साथ कहना जरूरी हो गया है कि अगर आयुर्वेद को नहीं अपनाया गया तो संभव है आयुर्वेद प्रगति नहीं कर सकेगा और जिससे इस प्राचीन पद्धति का ह्रास तो होगा

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

ही लेकिन देश की भी बड़ी भारी हानी होगी। मैंने उदयपुर में जाकर देखा कि अनुसंधान के लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, विभिन्न स्थानों पर अनुसंधान नहीं किए जा रहे हैं जब कि इस प्रकार का अनुसंधान होना नितान्त आवश्यक है। अगर अनुसंधान का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता तो प्रान्त की राष्ट्रीय आय को भी बढ़ा सकते थे। हमारे देश में बहुत सी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं उनका अनुसंधान करके उससे आमदनी भी बढ़ाई जा सकती थी और देश को भी कुछ दे सकते थे।

मुझे दो-चार बातें और कहनी हैं। कुछ दिनों पहले चर्चा चली थी कि डाकुओं को रोटी देनी चाहिए, जो कत्ल करके पहाड़ों में भाग गये हैं, उनको रोटी देनी चाहिए। मैं बीच में ही सोच रहा था कि हम डाकुओं को रोटी दे सकते हैं, हम डाकुओं से मिलने के लिए जा सकते हैं लेकिन साथियों से मेल मिलाप करना पसन्द नहीं करते हैं।

(करतल ध्वनि)

अगर हम अपने पिछले इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमने बड़े बड़े नेताओं को गुमा दिया है, दूर दूर तक देहातों में जाकर देखते हैं, दूर दूर जाकर हमने देखा भी है कि हमारे (अश्रव्य) कीड़े लग गये हैं पंचवर्षीय योजना में, इसकी प्रगति को तो मैं नहीं समझ सका कि उस प्रगति पर नये देश का निर्माण किस तरह से हो सकेगा।

आज आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बता सकते। हरएक व्यक्ति यह जरूर चाहता है कि अपने नये वर्ष का बजट जो पेश हो रहा है नई पंच वर्षीय योजना बन रही हैं उसके लिए यह अच्छा होता कि हम मिल जुल कर राजस्थान का निर्माण कुछ नये ढंग से और मेल मिलाप से करते, नई तरक्की, नई रोशनी और नई चेतना राजस्थान को हम दे सकते थे।

एक बात मेरी समझ में नहीं आई वह यह कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य जिनकी बड़ी इज्जत होती है वे खुद कानून तोड़ने की सलाह देते हैं; जो प्रतिज्ञा हमने अध्यक्ष के सामने ली उससे हम दूर जा रहे हैं। जब हम सभा में और इससे बाहर कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं तो वह शपथ जो बड़ी शान के साथ हमने ली उसका पालन हम नहीं कर रहे हैं। मैं जहां तक समझा हूँ विधान सभा का सदस्य जो कानून बनाता है उसको कानून तोड़ने के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। अगर कोई सदस्य यह चाहता है कि वह कानून भंग करना चाहता है तो उसे पहले सदस्यता से अलग होना चाहिये और उसे ऐलान करना चाहिये। मैं यह उचित नहीं समझता कि एक कानून बनाने वाली सभा का सदस्य होकर कानून को भंग करने का प्रोत्साहन देगा।

इस चालू अधिवेशन में कुछ बातें कही जा चुकी हैं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूँ, मैंने रतनगढ में देखा कि रतनगढ के बाजार में गांधी टोपी पहन कर कोई व्यक्ति चल नहीं

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

सकता। जिस गांधी टोपी के लिए एक मर्तबा अंग्रेजों ने कहा था कि गांधी टोपी पहनने वाले अंग्रेजों के दुश्मन हैं, जिस टोपी के पहनने वालों ने भारत वर्ष का निर्माण किया आज अगर उसी टोपी को पहन कर कोई रतनगढ़ के बाजार में चला जाय तो उसकी टोपी उछाल दी जाती है और मिट्टी का तेल डालकर जला दी जाती है। यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न घटे, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है या नहीं? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट जब वहां आये तो सरेआम बाजार में जिनके आगे पुलिस चल रही थी पीछे भी पुलिस थी भूस्वामी संघ के कार्यकर्ताओं ने उनकी टोपी उछाल दी और उसे जला दी। उस दिन और भी टोपियां उछाली गई और जलायी गई। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि अधिक गरमी राष्ट्र के लिए घातक होती है। मेरा तो यह मानना है कि नागरिक स्वाधीनता में आप मुश्किल तो पैदा नहीं कर सकते। हो सकता है उनका आन्दोलन किसी हद तक जायज भी हो सकता है, यह तो भूस्वामी संघ का आर्थिक और राजनैतिक प्रश्न है इसकी जांच तो विशेषज्ञ करें और आप लोग करें। लेकिन जिस जिस जगह आन्दोलन चल रहा है वहां की नागरिक स्वाधीनता का तो अपहरण नहीं होना चाहिये। इसका नतीजा यह हुआ कि जब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो वहां से गांधी टोपी गायब थी। जब मैंने उनसे पूछा तो यह कहा गया कि शहर की यह हालत नहीं थी कि गांधी टोपी पहन कर यहां हम आ सकते, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिये।

कुछ बातें सामाजिक क्रांति के बारे में कही गई हैं, हम कांग्रेसी सदैव इस बात को कहते हैं कि हरिजनों की भलाई करना हमारा ध्येय है। आज मकान बनाने के लिये नयी नयी स्कीम देते हैं। जितने भी बड़े बड़े नगर हैं वहां बीसियों आदर्श बस्तियां बस चुकी है किन्तु हरिजनों के निवास के लिए कोई भी आदर्श बस्ती नहीं बसाई गई। आज यदि हम इस ओर कुछ करते तो गांधीजी की आत्मा को शांति मिली होती। जहां हम नये नये भवन निर्माण के लिए, मध्यम वर्ग लोगों को मकान बनाने के लिये कई योजनायें तैयार करते हैं, उनको ऋण देते हैं उसके बजाय हरिजनों के लिये भवन निर्माण की योजना बनाई गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं समझता हूं कि यह शायद गलती से बात रह गई होगी। कांग्रेसी सरकार हरिजनों के लिए भवन निर्माण की योजना जरूर करेगी।

माननीय अध्यक्ष, पानी के नल लगाये गये हैं, ऐसा कहते हैं आसमान में नल जरूर लगे हैं किन्तु गरीब लोगों की झोपड़ी में वह नहीं लग पाये हैं। रतनगढ़ के हरिजनों की पानी के बारे में जो हालत है वह बहुत बुरी है। उनके लिये किसी प्रकार पानी का प्रबन्ध नहीं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको अलग जमीन दी जाय और सरकार हजार, दो हजार रुपया प्रति हरिजन को दे तो वह उनके लिये वरदान होगा।

एक बात में अन्त में और कह देना चाहता हूं जिस शराब बन्दी की हम बहुत दिनों से चर्चा करते रहे हैं आज हम जो हालत देखते हैं उससे यह सहज ही अन्दाज लगाया जा सकता है

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

कि हम पीछे की ओर कदम उठा रहे हैं। मैंने गंगानगर इलाके का दौरा करते वक्त जहां किसान की हालत आज अच्छी है, जहां किसान ने खूब कमाया है किसान अपनी कमाई का किस तरह उपयोग कर रहा है यदि यह बात किसी को देखनी है वह गंगानगर के इलाके में जाकर देख सकता है। जहां शराब दिन रात चल रही है सड़कों पर चलते हुए शराब के नशे में चूर आपको किसान मिलेंगे बसें जहां से चलती है वहां शराब की दुकानें हैं। आज वहां के किसान के बुरे हाल हैं। अगर हम ऐसी हालत देखते हुए भी शराब बन्दी की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं तो इतिहासकार यह लिखेंगे कि शराब की आमदनी से हमने मिनिस्टरों के वेतन दिये और राष्ट्र की आय बढ़ाई। क्या यह हमारे लिये लज्जाजनक बात नहीं होगी? जहां एक ओर इस तरह से हम आमदनी बढ़ाते हैं और दूसरी ओर जिस तरह से नागरिक का ह्रास हो रहा है तो यह सोचने की बात है कि उस आमदनी को बढ़ाने का क्या फल निकलेगा। हमारे धर्म ग्रन्थों का कहना है कि पाप की कमाई का पैसा कभी फलदायक नहीं होता। आज गांधीजी जीवित होते तो वे कांग्रेस सरकार को यह सलाह देते कि शराबबन्दी तुरन्त की जाय। लेकिन आज कांग्रेस सरकार यह नहीं कर रही है शराब और सड़क की आमदनी कर वह अपने प्रान्त की आय बढ़ा रही है, मैं समझता हूँ उस की अपेक्षा भूखों मरना बहुत अच्छा है। कुछ काम करने के लिये दिल में हिम्मत होनी चाहिये। मेरी समझ में शराबबन्दी के प्रश्न को खटाई में डालना कांग्रेसी शासन के लिए कभी शोभा जनक बात नहीं कह सकते।

अन्त में मैं दो चार शब्द प्रजातंत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। आज प्रजातंत्र है लेकिन मुझे वहां प्रजातंत्र नजर नहीं आता। सही बात यह है कि आपस में चर्चा करके और अपने सहयोगियों से पूछ ताछ करके जब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो वेतन श्रृंखला है वह जायज नहीं। तो मैं यह नहीं मानता कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यह ऐसा मालूम देता है कि जो कुछ सैक्रेटरीज ने सामने रख दिया वही मान लिया गया। हाउस अगर चाहे कि उसमें परिवर्तन लाये जाने चाहिये; तो अवश्य उसमें परिवर्तन किये जाने चाहिये। हमें जायज लगे तो उसमें हेर फेर करनी चाहिये मैं अर्थ मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में हितकर कदम उठाना चाहिये।

अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थ मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए जो भाषण दिया वह सामान्यता सन्तोषजनक है मैं अपनी सहमति प्रगट करता हूँ इसमें कमजोरी जरूर हैं कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं है।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल—अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर दो दिन से बहस चल रही है। मुझे इतना तो अवकाश नहीं मिला कि मैं इस बजट ग्रन्थ का पूरा अध्ययन कर सकूं। किन्तु जो कुछ मैं देख पाया हूँ उससे मुझे कुछ आभास हुआ और दुख कील हर हृदय में दौड़ी। मुझे यह देखकर और भी दुख हुआ कि इस बजट में जिन स्थानों पर उन्नित के लिये अधिकदेना नथ चाहिंये उन पर ध्यान न देकर ऐसे स्थानों पर ध्यान दिया गया है जहां पर कि उन्नित पहले से हो रही है। पिछले वर्ष करौली सब

Page No 63

[महाराज कुमार बृजेन्द्रपाल]

डिविजन में एन. ई. एस ब्लाक खोले गये। ब्लॉक का काम जहां तक मेरी जानकारी है सुचारू रूप से चला, लेकिन इतना होते हुए भी यहां की जनता की ओर से दो शिकायतें मिलीं। एक तो तकावी का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ, उसमें कर्मचारीगण ने काफी धान्धली की। दूसरा पुराने बन्ध जो सरकारी बन्ध है उनकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ताहम जनता की इन शिकायतों की अवहेलना अवश्य हुई, फिर भी ब्लाक सुचारू से चला। लेकिन मुझे अध्यक्ष महोदय यह दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस वर्ष यानी अगली, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में करौली को प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया और मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि करौली को प्रोजेक्ट करने का शीघ्र विचार किया जाय और तहसील सोपटरा में एन. ई० एस. ब्लॉक द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अवश्य खोले जायें। वर्षा काल में करौली एक जलमग्न टापू बन जाता है, यातायात के साधन चारों तरफ से कट जाते हैं और खास तौर से जयपुर को जो सड़क आती है वह तो बिल्कुल बन्द हो जाती है। इसलिये मैं भी यह आपसे निवेदन करूंगा कि गंभीरी नदी पर एक पुल या कलवर्ट बनाने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि डिबरिया गांव जो उसके पास में बसा हुआ है। वहां के निवासी बरसात के दिनों में एक बिजनेस करते हैं। नदी में गड्ढे खोदकर गाड़ियों को अपने चंगुल में फंसाया जाता है और उसे मुंह मांगा दाम लेकर उनको निकाल देते हैं। यह एक तरह का हेरेसमेन्ट हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसको बन्द कराने की कोशिश करेगी। आने वाले वर्षा काल में उसके लिये कुछ प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये।

करौली पावर हाउस के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि उसकी दशा शोचनीय है। महीने में ऐसा कौन सा दिन जाता होगा जब कि शहर में ब्लेक आउट न हो जाय। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हिन्डोन पॉवर हाउस बन रहा है उसकी सीधी लाइन करौली के लिये भी चालू होनी चाहिये ताकि शहर और आस पास के गांवों को बिजली मिल सके। इस विषय में एक बात और बताना चाहता हूं जो यह है यह है कि एक वर्ष पहले इस पॉवर हाउस में सरकारी रकम का गबन हुआ था और वह रकम थोड़ी रकम नहीं थी हजारों की संख्या में थी। सरकार द्वारा इसकी जांच के लिये इन्क्वायरी कमेटी भी नियुक्त की और जिसने यह सिद्ध भी कर दिया है कि गबन वाकई हुआ है और जिन कर्मचारियों की तहत वह रकम रहती थी उन पर केस चलाया गया और धांधलेबाजी होकर उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन बड़े आश्चर्य और मजे की बात यह है कि आज तक यह पता नहीं लग सका है कि वह अपराध किसने किया। मैं समझता हूं कि पब्लिक की रकम जो गबन की गई अभी तक उसका कुछ निर्णय नहीं कर सका और सरकार को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।........करणपुर सब तहसील जो सपोटरा में है वहां गरमियों में पानी का बड़ा अभाव हो जाता है और यहां तक कि पानी के लिए वहां गांव के निवासी ६-६ मील से पानी पीने का लाते हैं। इस विषय पर सरकार का और समय समय पर जलेबोर्ड का ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन

[श्री विजेन्द्रपालसिंह]

दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। सरकार जो कुए हैं उनको ही सहायता देकर ठीक ठाक करवा दे ताकि उनके पीने के पानी का प्रबन्ध अच्छा हो सके।

शिक्षा के विषय में माननीय मुख्यमन्त्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने करौली में मल्टी पर्पज स्कूल खोलकर जनता के कष्टों का बड़ा निवारण किया है और निवेदन करूंगा कि ऐसा सुनने में आया है कि टीचर्ज ट्रेनिंग स्कूल और खुलने वाला है तो एक स्कूल करौली में अवश्य खोला जावे।

मकान की सुविधा के लिए सामान की कोई वहां कमी नहीं है, एक, डेढ़ सौ मकान आसानी से वहां तैयार किये जा सकते हैं।

जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जंगली जानवरों की रक्षा के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना है और इस ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। खास तौर पर मुझे जो जानकारी है अपने इलाके की उसके आधार पर मैं यह निवेदत करता हूं कि जंगली जानवरों का बुरे तौर से शिकार किया जा रहा है और खास तौर से बिना परमिट के इन जानवरों को मारते हैं सरकारी कर्मचारी और इसमें विशेषतः सांभर और सूअर का तो सफाया हो चुका है। मैं इस विषय में जानना चाहूंगा कि क्या सरकारी कर्मचारियों को इस तरह शिकार करने की आज्ञा प्राप्त है ?

अन्त में मैं एक शब्द मेरे पूर्व वक्ता जिन्होंने शराबबन्दी के विषय में कहा है, के समर्थन में कहूँगा। मैं शराबबन्दी के उनके विचारों का समर्थन करता हूँ और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि प्रोहिबिशन राजस्थान में जल्दी से जल्दी लाया जावे।

पं० रूपनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट तो हमेशा ही प्रस्तुत होते रहते हैं और जैसे अब तक पास होते रहे हैं वैसे यह भी पास हो ही जावेगा इसलिए बजट के सम्बन्ध में और बजट कमी का रहा या सन्तुलित रहा या लाभ का रहा इसके आंकड़ों के सम्बन्ध में बहस उपस्थित करूं यह मेरा काम नहीं है, यह तो जो अर्थशास्त्री हैं उन का काम है और फिर क्योंकि राजस्थान सरकार का तो वह एक जादू है। आय भी बढ़ा सकती है तो व्यय को भी बढ़ा सकती है। पहले १७ करोड का बजट था शुरु में फिर २० का हुआ और फिर २४ का हुआ, अब २६ का है। जब १६ करोड़ से २६ करोड हो सकता है और किसी तरह का कोई करों का भार भी नहीं हो सकता और दो करोड रुपया सालाना आमदनी बढ सकती है यह कला सरकार कोयाद है और इसी तरह से दो करोड का व्यय भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आंकडे वे प्रस्तुत कर दें या हम कर दें इसमें कोई विशेष बात नहीं है। पर बजट आपका प्रस्तुत हुआ और जनता का बहुत रुपया खर्च

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

हुआ और यह सब इसलिए करते हैं कि जनता को आराम मिले। इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि जो बजट प्रस्तुत हुआ उससे जनता को कितना आराम मिला है और आगे क्या मिलेगा? मैं तो यह कहता हूँ कि कुछ आदमियों को हो सकता है कि भर पेट भोजन मिलता है पर लाखों आदमी आज भी ऐसे हैं जिनको आज के जमाने में भी एक वक्त रोटी नसीब मुश्किल से होती है। अंग्रेजों के जमाने मे यह हालत थी तो हम उनको कोसा करते थे और उस शासन को इसलिए निन्दनीय समझते थे कि उस शासन में लाखों आदमी एक वक्त भोजन करके सोते थे। दोनों वक्त भर पेट भोजन उनको मुयस्सर नहीं होता था।

लेकिन इस राज्य में तो लाखों आदमी दोनों वक्त ही भूखे रहते हैं, और यदि इस सम्बन्ध में जानकारी हो तो स्पष्ट है कि भूस्वामी आन्दोलन इसी का परिणाम है। भू स्वामी आन्दोलन, आन्दोलन जितने भी हुये हैं वे प्राय: भूख के कारण ही हुये हैं। अगर भर पेट खाने वाले आदमी आन्दोलन करते तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े राजाओं के होते, लेकिन राजाओं ने आन्दोलन नहीं किया है, महाराजाओं ने आन्दोलन नहीं किया है, करोड़पतियों ने आन्दोलन नहीं किया है, अरबपतियों ने आन्दोलन नहीं किया है। इससे स्पष्ट होजाता है, कि या तो तनख्वाह के लिये आन्दोलन होते हैं तो कर्मचारियों के होते हैं। किन कर्मचारियों के होते हैं? गजेटेड ऑफिसर्स ने कोई आन्दोलन नहीं किया है। आन्दोलन होता है छोटी से छोटी तनख्वाह मिलने वाले क्लर्कों का, या मास्टरों का, या छोटी से छोटी तनख्वाह मिलने वाले मजदूरों का। तो आन्दोलन जितने भी होते हैं वह इन्हीं के होते हैं। कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी तरह से खाने को मिले, अच्छी तरह से रहने को मकान मिलें, अच्छी तरह से पहनने को कपड़ा मिले, अच्छी तरह से शिक्षा मिले तथा सब आराम मिले, तो वह लाठी खाने को जाय। किसके माथे पर भूत सवार हुआ कि लाठी, डंडा, खाने को आये। किसको ऐसी पड़ी है कि वह शहर में मोटरों में ऐसे घसीटे जाय कि उनकी मृत्यु तक हो जाय। मृत्यु तक के कष्ट को सहन करने के लिये कोई भी पेट भरकर खाने वाला आदमी नहीं आता। जो आन्दोलन हुये हैं वे इस बात के प्रमाण दे रहे हैं कि हमारा प्रान्त भूखा है। आज जो इस आन्दोलन में शरीक हो रहे हैं इसका कारण राजनैतिक बताया जाता है। मंत्री जी ने कहा था कि इसका कारण तो राजनैतिक है। कुछ राजनैतिक लोग यह चाहते हैं कि एक वर्ष के बाद चुनाव आने वाले हैं इसलिये इस आन्दोलन को शुरू कर दें ताकि इसको चुनाव का एक स्टन्ट बनाया जाय। यह बरदाश्त करने की बात नहीं है तो किस तरीके से? यह उन लोगों का ही है, उन लोगोंने क्या किया? सिर्फ राजपूत वर्ग को कुचलने के लिये वर्ग विद्वेषानल की जागती हुई भावना थी। उस भावना को किसने जन्म दिया? लाखों साथियों के साथ वर्गविद्वेषानल की भावना से की हुई ज्यादतियों के रूप में यह भू स्वामी आन्दोलन व्यक्त हुआ है। उनका यह आन्दोलन इसलिये था कि लोगों ने राजपूतों को कुचलने के लिये क्या किया? एक वर्ग को कुचला और एक वर्ग को बढ़ाया। एक वर्ग को जो प्रोत्साहन दिया गया वह किस रूप में दिया गया है वह इससे स्पष्ट हो जायगा कि आप चाहें तो १०० मुकद्दमों को मंगाकर देख लीजिये। एक राजपूत को किसी ने

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

हांसिल नहीं दिया और उसने मुकद्दमा किया तो एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो तीन या चार वर्ष से पहले फैसला नहीं हुआ है । दूसरी बात यह है कि किसी राजपूत ने अपनी जमीन के लिये यह कहा कि इस खेत को मैं बो देता हूँ तो उसका मुकद्दमा होता है। मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ कि एक ही समान अपराध के लिये दो अपराधियों के साथ दो तरह का व्यवहार होता है। झरिये का केस मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आप उसकी फाइल मगाकर देखलें और सदन की मेज पर रख दें। उससे स्पष्ट है कि ये शायद बरी हो गये लेकिन राजपूतों की रोजाना हाजिरी होती है, और और लोग जो थे उनके बगैर आये ही उनकी हाजिरी हो जाती है। इस तरह से उनके साथ गवर्नमेंट को उनको दबाने के लिये जितनी अधिक से अधिक दमन नीति काम में लानी थी वह लाई। गवर्नमेंट ने राजनैतिक स्टन्ट यह बनाया कि राजपूत जिनकी जागीरें हम प्राप्त कर रहे हैं वे तो हमारे से किसी भी तरह से विरोध में जायेंगे, लेकिन और सब लोगों को तो हमारे साथ में लें और सब को साथ में रख लें। इसलिये गवर्नमेंट ने राजपूतों को भूखे मारने का स्टन्ट रचा। जब वह भी भूखे हो गये, क्योंकि किसीने हांसिल उनको नहीं दिया और जमीन उनकी चली गई, और उनके पास खाने को कुछ नहीं रहा तो अब क्या करें? अब वे विवश हो गये। पहले तो क्या था कि किसी राजपूत के पास ५० बीघा जमीन थी तो वह ५० बीघा जमीन उसके कुटुम्ब के लिए, परिवार के लिए कम होती थी तो वह जमीन किसान को दे देता था और आप किसी भी बड़े ठिकाने में नौकर हो जाता था या फौज में नौकर हो जाता था, या पुलिस में नौकर हो जाता था। इस तरीके से वह अपना जीवन निर्वाह करता था। अब क्या हुआ कि ठिकाने तोड़ दिये गये, फौज में से राजपूतों को निकाल दिया और वे निराश्रयी होकर अपने घर आये तो जमीन जाटों ने या किसानों ने दबा ली। मुझे किसी वर्ग का नाम लेने की जरूरत नहीं हैं, लेकिन वह जमीन दाबी गई। वह इतने निराश्रित हो गये कि उनको कहीं रोटी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसी दशा में क्या करें? वह यही करें कि आन्दोलन में शामिल हों और यह कहें कि मैं भूखा हूँ। इस बात को आपके कानों तक पहुँचायें। वह अपनी भूख की बात आपके कानों तक पहुँचाने में वह राजनैतिक नेता बन जाय या वह प्रतिक्रियावादी नेता बन जाय तो यह भावना किसीभी तरह से समुचित भावना नहीं है। तो जिस बजट में २ करोड़ की गवरमेंट की आय प्रतिवर्ष बढ़ सकती है तो वह गवर्नमेंट भूस्वामियों की समस्याओं को हल करने के लिए अगर २ करोड़ और बढ़ा दे तो क्या एतराज़ है। वह क्यों कहे कि पैसे की कमी है इसलिये भूस्वामियों की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। यदि पैसे की कमी नहीं है तो भूस्वामियों की समस्या क्यों हल नहीं की जाती? वह जरूर हल की जासकती है परन्तु नीयत में यह बात नहीं है। न पैसे की कमी है और न किसी बात की कमी है। कमी है तो सिर्फ नीयत की कमी है। नीयत की कमी जो है वह वर्गविद्वेष की भावना के कारण है। अगर गवर्नमेंट किसी को सुखी रखना चाहती है, तो उसका अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ हो, उसका राज्य अच्छा है यह बात तभी मानी जा सकती है, जब कि गरीबों को कुछ फायदा मिले तब तो वह बजट अच्छा है जनता आराम में रहेगी तो राज्य अच्छा है। जनता आराम में नहीं रहेगी तो वह राज्य अच्छा नहीं है, चाहे वह कांग्रेस का राज्य हो या साम्यवादियों का राज्य हो या रामराज्यपरिषद का राज्य हो, वह किसी भी तरह से अच्छा राज्य नहीं कहा जा सकता, स्वराज्य नहीं कहा जा सकता। कोई भूखा न रहे,

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

सुलभ चिकित्सा हो, आसानी से वस्त्र मिल सकें, शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो अब इस राज्य में आप ही बतावें कि जो शिक्षा है उसकी यह स्थिति है कि शिक्षक को इतना कम वेतन मिलता है कि जिस कारण से उसको चिन्ता खाने पीने की भी दूर नहीं हो सकती तो वह शिक्षा क्या देगा ? यदि उनका वेतन बढ़ाने के लिये कहा जाता है तो नहीं बढ़ाया जाता है। पुलिस, शिक्षक और छोटे गरीब कर्मचारियों को इतनी कम तरक्की दी गई है और ऊंची तनख्वाह वालों को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, यह ठीक नहीं है। अच्छा यह होता कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि करते तो छोटे लोगों को कुछ तो फायदा होता। उनको २५-३० रुपये मिलते हैं। अपना पड़ोसी राज्य अजमेर जो कल राजस्थान में सम्मिलित होने वाला है उसके माफिक ही वेतन करते तो भी हम समझते कि गरीब के लिए ठीक किया गया है। यह न करके गजेटेड ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज आदि की काफी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और उन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है। वेतन बढ़ाते समय इस विचार को सामने रखना चाहिए था कि इन दोनों में कितना अन्तर रखना चाहिये। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले का पी. टी. सी. आज के बी. टी. सी. के समान होता है क्योंकि पहले ५ वीं कक्षा तक मिडिल था। आज जो है उनकी तनख्वाह २५ रू. रखी गई है और जो आज का मिडिल होकर बी. टी. सी. हुआ उसकी तनख्वाह ४५ रुपये रखी गई उनमें २५ रु. का अन्तर रखा गया यह पहले इतना अन्तर नहीं था। मेरा मतलब यह है कि बी. टी. सी. की तनख्वाह कम करदी गई। आज मैट्रिक के लिए नियम बना दिया कि उसको ५० रू. से कम नहीं मिलें। वर्नाक्यूलर टीचर्स, विशारद, संस्कृत की मध्यमा के लिये कोई वेतन निर्धारित नहीं किया। जिस भाषा ने हमें गुलाम बनाया उसकी अभिवृद्धि के लिए सब कुछ किया जा रहा है लेकिन जो मातृभाषा है उसके प्रति हमारी उदासीनता है यह स्पष्ट है। यहां पर पहले मंत्रीजी ने संस्कृत भाषा के संबंध में कहा था कि संस्कृत भाषा बूढ़ी हो गई है। जैसे आपके बाल सफेद हो गये उसी तरह इसके बाल भी सफेद हो गये हैं इसलिए इसका विवेचन नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उनके माता-पिता के भी बाल सफेद हो गये इसलिए उनको घर से बाहर निकाल देंगे ?

श्री अध्यक्ष—बाल सफेद हो गये तो कलफ कर लीजिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री (जारी)—संस्कृत भाषा के प्रति इस तरह का द्वेष बनाना उचित नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि आपने २८ करोड़ की आमदनी बताई है यह अच्छी बात है लेकिन इससे गरीबों को फायदा पहुंचाइये। अपने भाइयों और अपनी पार्टी के लोगों का ही फायदा देखा तो अच्छी बात नहीं है। अब समय हो चुका है इसलिए मैं इतना ही कहकर अपना आसन गृहण करता हूँ।

श्री हरिराम निनामा—अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट के लिए सरकार को धन्यवाद तो

[श्री हरिराम निनामा]

देना है ही। जो बजट भाषण वित्त मन्त्री जी ने पढ़ा था और पढ़ने में उनके सुन्दरता थी, क्योंकि वे खुद सुन्दर हैं इसलिए सुन्दर दीखते थे। लेकिन बजट भाषण के साथ मुझे हमारी सरकार ने शुरू से आज तक जो जो काम किये हैं उनका विवरण तो मैं आपकी सेवा में रखूंगा ही और जो त्रुटियें हैं उनको भी रखूंगा क्यों कि हमारे प्रान्त में जो त्रुटियें है उनको भी सामने रखना चाहिए लेकिन सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ऐसा कहना भी अच्छा नहीं है। जो काम किए गए हैं उनकी सराहना जरूर होनी चाहिए। मैं बजट के बारे में कुछ कहूँगा, लेकिन साथ ही श्रीमान् राजप्रमुख के अभिभाषण पर बोलते हुए विरोधी पक्ष की ओर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे राजस्थान में डेढ़ करोड़ जनता बसती है, उनमें से जो पिछड़े लोग हैं उनकी बात छोड़ दी और बांसवाडा के नाम से जो कुछ उनको कहना था वह कह गये। बांसवाड़े की तरफ पिछड़ी जातियों के लिये हमारी सरकार ने जो कुछ किया वह छिपा नहीं है। हमने अच्छी तरह से देखा है कि उन्होंने बांसवाड़ा के नाम से नारे लगाये हैं। हमारी सरकार को जिस नाम से पुकारा है उस नाम को साबित करेंगे कि वह सही है या गलत है। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा में कुछ काम नहीं किया। ४ लाख जनता बांसवाड़ा की निराश हो गई है कि उसके लिए कुछ नही किया जा रहा है, वहाँ जाकर किसी मन्त्री ने देखा नहीं है? ये बातें कह कर उन्होंने हमारी सरकार के ऊपर और मन्त्री जी के ऊपर कलंक लगाया। इन बातों का जबाव में बराबर उन मातुश्री को देने को तैयार हूँ। बांसवाड़ा के बारे में उन्होंने जो कुछ किया है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारी सरकार को उन्होंने हिजड़ी बताया। मैं समझना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सरकार ने जो काम किया है वह आपके सामने है। क्या बांसवाड़ा में कुछ भी काम नहीं किया है। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, यह बताया गया है। यह कितनी कमजोर और बे जुम्मेदारी की बात कही गई हैं। किस बे जुम्मेदारी के साथ उन्होंने ये बातें जाननी चाही हैं? आज बांसवाड़ा में जाकर देखा जाय कि वहां पर कितने तालाब बनाये गये हैं, कितनी स्कूलें खोली गई है? कानून बनाया है और घर घर कानून को पहुंचाया है। आदिवासियों ने उस कानून का अमल किया है और कानून के जरिये वे मुनाफा उठाते हैं और अपना काम शान्ति के साथ चला रहे हैं। चरेला बाग में बेकवार्ड क्लासेज के लिये ५ स्कूलें हैं। बेकवार्ड क्लासेज को हर काम में बराबर सहायता दी जाती है, फिर भी ऐसा कहा जाय कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया मुझे ताज्जुब है।।जिस काम के लिए पैसा मांगा उसे दिया। भारत सरकार से जो पैसा आया उसको भी लगाया। आज बांसवाड़ा में काश्तकार के पास पट्टा नहीं है बाप के नाम से खेत हैं। उसके पांच पुत्र हैं तो पांचों के लिए जमीन अलग अलग हो गई। उन पांचों की जमीन का पट्टा अलग नहीं हैं। उनको अलग पट्टे बनाने के लिए सरकार की ओर से मदद नहीं मिली, यह ठीक है, उनके अलग अलग पट्टे बनाने चाहिये और उनको जमीन का लाभ मिलना चाहिये। लेकिन यह कहा जाय कि कुछ पैसा नहीं मिला, यह गलत है। जिसने सरकार के नजदीक जाकर मांगा है उसको सरकार ने दिया है। कुछ काम नहीं किया यह बिल्कुल गलत बात है।

उन्होंने यह बताया कि बारां का तालाब बनाया जावे, वह बन्द कर दिया जावे। जब

[श्री हरिराम निनामा]

हमारी सरकार बना रही है तो उसको क्यों बन्द किया जावे। मैंने जाकर देखा और कहा कि क्यों रोकते हो, मत रोको, बनना चाहिए। हमारी सरकार बना रही है। लोगों की भलाई के लिए बना रही है और आप इसको रोक रहे हैं। सरकार हमारे भले के लिए कार्यवाही कर रही है। उन्होंने प्राइममिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाये और बेजुम्मेदारान नारे लगाये और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाये, पण्डित नेहरू पगला है, यह नारे लगवाये गये।

(सदन में सब लोगों में हंसी)

(घण्टी)

मुझे बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आपने तो थोड़े समय में सब कह दिया है।

श्री हरिराम निनामा—आज वे लोग महात्मा गांधी के नाम से नारे लगा रहे हैं। पंडित नेहरू के नाम के नारे लगा रहे हैं।

(घण्टी)

मैं महात्मा गांधी और पण्डित नेहरू के खिलाफ लगाये गये नारों को बर्दाश्त नहीं कर सका।

('हिअर हिअर' की आवाज)

हमारी सरकार ने हमें सिखाया है। नारे लगा कर पहाड़ियों में रहने वालों को भुलावे में डाल रहे थे। उन्हें बता देना चाहता हूं....

(घण्टी)

यह भी बात उन्होंने बताई जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और अगर नहीं बताया तो कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order Please !!

(विराम)

Shri Chandan Mal Vaid, not like your predecessor.

श्री चन्दनमल वैद—अध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि वित्त मंत्रीजी को इस बजट के लिये मैं कई बधाईयां दूं, लेकिन ज्योंही बधाई और धन्यवाद का मौका आया तो वे यहां से चले गये। ऐसा मालूम होता है कि मेरी तरफ का धन्यवाद और बधाई उनके भाग्य में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—If you offer it in the house, it will be conveyed.

श्री चन्दनमल वैद—Yes Sir. I will offer them.

(११.२४ पर श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

मैंने और इस सदन के दूसरे सदस्यों ने भी कई बजटों को देखा होगा। यह तो एक बजट का सेशन है। इसमें हिन्दुस्तान में कम से कम २५ बजट पेश हुए होंगे। लेकिन जो टेक्स लगाने का तरीका हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपनाया है वह तरीका किसी भी लोक सभा या पार्लियामेंट आदि में कहीं पर नहीं है। जो टेक्सेशन का तरीका हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनाया है और जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिये यह नया तरीका समझ में नहीं आया कि वे कहां से लाये हैं? माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से द्वितीय पंच वर्षीय योजना को पूरा करने में अगर हमारे पर कोई बोझ डाला जाता है तो हमें उसके लिये कोई इनकारी नहीं। हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश की उन्नति करनी है तो हमें ज्यादा टेक्स देना होगा और इसके लिये हमें कोई इनकारी नहीं जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें Additional taxes से ८ करोड़ इक्ट्ठा करना होगा। हर साल करीब १ करोड़ ६० लाख का औसत आता हैं। १ करोड़ ६० लाख रुपये इस साल चाहियेंगे और जनता को प्रोत्साहन देना चाहिये। लेकिन मै यह कहना चाहता हूँ कि जो टैक्स आप हम पर लगाना चाहते हैं उनको आप विधान सभा के सामने लाइये और बतलाइये कि किस मद में आप कितना टेक्स लगाना चाहते हैं। जिससे हम Taxes में incidence का पता लगा सकें कि वे अमीरों पर पड़ेंगे, गरीबों पर पड़ेंगे या मध्यम श्रेणी के लोगों पर। इसके अलावा हमको यह मालूम हो कि आप टैक्स इस चीज पर लगा रहे हैं। हमारे माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने बड़ी होशियारी से टैक्स लगा भी दिये और किसी को मालूम भी नहीं होने दिया कि किस प्रकार के टैक्स लगे हैं। अखबार वालों ने रिपोर्ट छापी और कहा कि कोई नया कर नहीं बढ़ा, यह बड़ी खुशी की बात है। एक माननीय सदस्य ने भाषण देते हुए खुशी मनाई कि कोई नया कर नहीं लगा, इसके वास्ते बजट भाषण के वक्त इन्द्र भगवान ने भी पानी बरसाया। चालाकी से बतला दिया कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस चालाकी और इस होशियारी से ८४ लाख का टैक्स लगा दिया और आपको मालूम नहीं होने दिया।

मैं आपका ध्यान वित्त मंत्रीजी के भाषण के पैरा ६७ की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने बताया हैं कि सामान्य आय के अंकों में भारत सरकार से मिलने वाली रकम जोड़ कर और अतिरिक्त कर लगाने के उपायों के परिणाम स्वरूप ८४ लाख रूपयों को जोड़ कर राजस्व आय इतनी होगी। अतिरिक्त करों का ब्योरा यह दिया हैं। दो लाख रुपये स्टाम्पस के

[श्री चन्दनमल वैद]

अन्तर्गत, १० लाख मोटर गाड़ी अधिनियमों के अन्तर्गत, करों के अन्तर्गत ३० लाख बिक्री कर के अन्तर्गत, २६ लाख सिंचाई दरों में वृद्धि के कारण और १६ लाख अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत........

माननीय उपाध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आया कि यह बजट पेश करने का कौनसा तरीका है। जितने बजट पेश होते हैं उनमें कहा जाता है कि इतना घाटा है और घाटे का इतना रुपया इस प्रकार उन करों से वसूल होगा और इतना घाटा uncovered रहेगा। लेकिन यह नहीं बताया गया। हमको यही बताया गया कि इन टैक्सों को लेकर हमारी इतनी आमदनी होगी। मेरे समझ में नहीं आया कि यह कौनसा तरीका उन्होंने काम में लिया और जब वे यहां नहीं हैं तो मैं उनके पीछे बैठने वाले वित्त सचिव से कहूंगा कि बजट तैयार करने का यह नया तरीका वे कहां से सीख कर आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, जो टेक्स लगाये जावें और हमें नहीं बताये जावें, इसमें हमें सन्देह होता है कि व्यापारियोंसे सौदेबाजी होगी, हर चीज़ के व्यापारी आवेंगे। सोने या चांदी के व्यापारी आवेंगे या कपड़े के व्यापारी आवेंगे। लोहे के व्यापारियों के डेपुटेशन आवेंगे और जिस चीज़ के व्यापारी सोदेबाजी में तेज रहेंगे उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा। क्या कारण है कि हमारे पर टैक्स लगाया जा रहा है और हमें बताया नहीं जावे कि जो टैक्स लगेगा वह किस चीज़ पर लगेगा और किस पर नहीं लगेगा। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि वे जितने भी बजट हिन्दुस्तान में पेश होते हैं उनको देखें। क्या किसी ने इस तरह से इनडाइरेक्ट और Backdoor टेक्स इम्पोज़ किया है। इस तरह से जो बातें कही जाती हैं इससे माननीय सदस्य मुगालते में रह जाते हैं कि टेक्स नहीं लगाया जा रहा है लेकिन आपने टेक्स लगा भी दिये और लोगों को पता तक नहीं होने दिया कि टैक्स लगाये गये हैं तो यह आपकी चालाकी है और व्यापारियों से सोदेबाजी का एक नया तरीका है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इतना कहने के बाद एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जब हम श्रीमान् राजप्रमुख के अभीभाषण पर वाद विवाद कर रहे थे उस समय पे स्केल का जिक्र किया और हमारे सदन के नेता ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी जवाब देंगे और उस समय इसका ज्यादा जिक्र किया जावे उनकी ही आज्ञा के अनुसार मैं इस विषय में थोड़ी सी जानकारी सदन के सामने पेश करना चाहूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह बताया गया है कि हम समाजवाद को नहीं समझते हैं, समाजवादी ढंग के समाज की रचना क्या है उसको नहीं समझते है और बार बार उसका नाम ले लेते हैं; तो इस पर मैं निवेदन करूंगा कि यदि हम समझते नहीं हैं तो हमारे बुजुर्ग साथी को हमें समझाना चाहिये। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर बार बार समाजवादी समाज की रचना का नाम लिया गया और वित्त मन्त्री ने बार बार इस बजट के वक्त और पिछले बजट के वक्त भी यह नाम लिया है। उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि समझे या नहीं, समझे नाम तो ले लें। जब आप समझाते नहीं हैं, समाजवादी समाज की रचना क्या होती है, कैसे हुई होगी तो जो कुछ आप कर रहे हैं उसी से समझना पड़ता है। यह मैं आपको आंकड़ों सहित बताना चाहूँगा।

[श्री चन्दनमल वैद]

आज सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने है वह है पे स्केल्स का रिवीजन। मैं यह नहीं कहता कि जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वे न बढ़ावें। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारा हर कदम जो उठे, हर कदम जो हम उठाना चाहते हैं वह उसी तरफ, समाजवादी समाज की रचना की तरफ ही उठना चाहिये न कि उसके प्रतिकूल। मैं कहता हूँ कि आपका जो कदम है वह बिल्कुल गलत कदम है। जिस तरफ यह समाजवादी समाज के लिए कदम उठाना चाहिये था, नहीं उठा है बल्कि उसके विपरीत जिस तरफ यह कदम नहीं उठाना चाहिये था उठा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देकर इस बात को साबित करना चाहूँगा। मैंने मेहनत करके कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। मेरी यह शिकायत थी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो कम से कम पहली की पे स्केल्स और जो मौजूदा पे स्केल्स निर्धारित की गई, दोनों मिलनी चाहिये लेकिन वह मान्य नहीं हुआ। लेकिन फिर भी येन-केन-प्रकारेण जो कुछ आंकड़े एकत्रित कर चुका हूं मैं सदन के सम्मुख पेश करना चाहूँगा।

सबसे पहले मैं आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को न लें। आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को ही लीजिये। पहले उनकी ग्रेड थी १७५ से ३०० और सबसे नीचे के तबके के जो लोग हैं फिशरमेन, गार्डनर्स, Cultivators, क्लीनर्स वगैरह उनकी ग्रेड थी २५.१.३०)। अब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की ग्रेड रखी है २००) से ६००) और फिशरमेन, गार्डनर्स वगैरह की ग्रेड रखी गई है २५.१.४०)। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहों में १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गार्डनर्स, क्लीनर्स, फिशरमेन के ग्रेडों में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले तो दोनों के वेतन में १० गुना डिफरेन्स था अब १५ गुना डिफरेन्स हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी तरह से आप समाजवादी समाज की रचना की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं कि दोनों में दस गुना फर्क था तो उसको बढ़ा कर १५ गुना फर्क कर दिया जाय। आप दस के बजाय ६ नहीं कर सकते थे तो कम से कम दस गुना फर्क ही रहने देते। बढ़ोतरी का पर्सेन्टेज लगाए तो मालूम होगा कि बड़े अफसर की तनख्वाह छोटे से ३० गुना ज्यादा बढ़ी हैं।

अब उपाध्यक्ष महोदय मैं दूसरे डिपार्टमेंट की ओर आता हूँ। वह है आर्च्योलोजिकल एन्ड म्युजियम। उसके चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट की ग्रेड २५०) से ५००) थी उसको बढ़ा कर आपने ३००) से ७००) कर दी। ड्राफ्ट मैन जो नीचे के आदमी हैं उनकी पहले थी ५०) से १२०) उसको बढ़ा कर आपने किया ६०) से १३०)। पहले आदमी की तनख्वाह में ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई तो दूसरे की ८ प्रतिशत। दोनों की तनख्वाह में पहले चार गुना फर्क था तो अब ५ गुना। ऊपर वाले की तनख्वाह में नीचे वाले की तनख्वाह से २० गुणा ज्यादा वृद्धि की है। यह कौनसा सिद्धान्त है समाजवाद का जो आप अपनाना चाहते हैं। आप ज्यादा रियायत नहीं करना चाहते थे तो न करते लेकिन चार गुना फर्क था वहां पांच गुना फर्क करके कौनसा समाजवाद ला रहे हैं?

Page No 73

[श्री चन्दनमल वैद]

मैं उसके बाद आयुर्वेद फार्मेसी की तरफ जाना चाहता हूँ। मैनेजर की तनख्वाह पहले २५० से ५०० थी उसको बढा करके २५० से ६०० कर दिया और परमामेन्ट लेबरर्स की जो तनख्वाह ३५.१.४५ थी उसको घटा करके ३०.१.४५ कर दी बड़े ऑफिसर्स को ३० प्रतिशत वृद्धि हुई और दूसरों की तनख्वाहों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

उसके बाद अब मैं कॉओपरेटिव डिपार्टमेन्ट की बात करूं। कोओपरेटिव डिपार्टमेन्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वे आई.ए. एस अधिकारी हैं। आई.ए.एस. अधिकारियों के बारे में कहने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इसलिए में उपाध्यक्ष महोदय उनको छोड़ देता हूं।

एक माननीय सदस्य—क्यों हिम्मत नहीं होती है ?

श्री चन्दनमल वैद—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसलिए कि वे भारत सरकार के चहेते हैं।

डिप्टी रजिस्ट्रार की ग्रेड पहले २५०से५००) थी अब २५० से ७५०) कर दी गई है और स्पेशल पे १००) और दे दिये गये हैं। पेपर एक्सपर्ट और नीचे के तबके के कर्मचारी हैं उनकी पहले तनख्वाह थी ७० से १२५ अब उनकी तनख्वाह ७५ से १४० हो गई है। पहले उन दोनों की तनख्वाहों में चार गुणा फर्क था तो अब पांच गुणा फर्क हो गया है। पहले वाले आदमी की तनख्वाह ५० प्रतिशत बढायी तो दूसरे आदमी की १७ प्रतिशत थी दोनों की बढ़ोतरी का पर्सेन्टेज लगाएं तो ऊंचे की तनख्वाह नीचे वाले से १७ गुणा बढ़ी है।

अब में देवस्थान डिपार्टमेन्ट की ओर जाना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह भगवान का डिपार्टमेन्ट है यहां न्याय किया जाना था लेकिन यहां भी नहीं किया गया। कमीश्नर की तनख्वाह पहले ५००) से ७००) थी तो अब ८०० ले १२००) कर दी गई है और इसके साथ स्पेशल पे २५०) कर दी गई है। नीचे के तबके के जो मैनेजर हैं, दारोगा हैं, मुन्सरिम सेकिन्ड ग्रेड़ हैं उनकी पहले ४०-१-५० तनख्वाह थो वह वहीं रहने दी और उसमें कोई फर्क नहीं किया। कमिश्नर की तनख्वाह में ८० प्रतिशत की वृद्धि हुई और स्पेशल पे १०० थी उनको २५० कर दी गई यानि उसमें १५० माहवार की वृद्धि। पहले तनख्वाहों में १४ गुणा फर्क था अब दोनों की तनख्वाहों में २५ गुणा फर्क कर दिया गया।

अब एजुकेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ गौर कीजिये। प्रिन्सिपल की तनख्वाह पहले ५०० से ७०० थी उसको बढा कर ७०० से १२०० कर दी गई। लेक्चरार की पहले २०० से ३५० थी उसको बढा कर २०० से ४५० कर दी। पहले दो गुणा दोनों की तनख्वाहों में फर्क था तो अब २॥ गुणा हो गया। पहले वालों की तनख्वाहो मे ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई तो दूसरों की में २६ प्रतिशत।

[श्री चन्दनमल वेद]

एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में दूसरे उदाहरण और हैं ।

हैडमास्टर्स और टीचर्स—हैडमास्टर की पहले थी २५० से ३०० उसको अब २५० से ५००) कर दिया है । प्राइमरी टीचर्स जिनके लिए वास्तव में हमारे सदन के नेता ने बहुत कहा था कि यह किया गया और वह किया गया उनमें से ट्रेंड की तनख्वाह ६५ से ७५ थी पहले अब ७५ से ८० कर दी, अनट्रेंड की पहले थी ३५-१-४० उसको अब ४० -१- ५० कर दी है । दोनों की तनख्वाहों में ७॥ प्रतिशत का फर्क था अब १० प्रतिशत का फर्क है । हैडमास्टर्स की तनख्वाहों में ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड टीचर्स की तनख्वाहों में २५ प्रतिशत ।

अब आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी टीचर्स की ओर ध्यान दिया है और हैडमास्टरर्स की तनख्वाहों में कम वृद्धि की है और मामूली तबके के अध्यापकों में इतनी वृद्धि की है । मैं आपको एजुकेशन के सम्बन्ध में और दूसरे उदाहरण पेश करता हूं ।

डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन और लायब्रेरियन—डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तनख्वाह पहले थी ८०० से १२०० उसकी जगह अब हुई है १००० से १५०० और लायब्रेरियन की पहले थी १७५ से ३००) उसकी जगह १७५ से ३५०) पहले चार गुना फर्क था तो अब ४॥ गुना । एक की २५ प्रतिशत बढ़ी तो दूसरे की १६ प्रतिशत ।

मैं जी. ए. डी के सम्बन्ध में जो बडे ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, आर. ए. एस ऑफिसर्स हैं उनकी बात नहीं करके जो तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार हैं जो बिल्कुल आस पास की ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनके लिए कहूंगा ।

तहसीलदार जिसकी पहले ग्रेड थी १७५ से ३००, अब की गई है १७५ से ४०० । नायब तहसीलदार की १०० से २०० थी वह अब की गई १०० से २२५, तहसीलदार की तनख्वाहों में वृद्धि हुई है ३३ प्रतिशत और नायब तहसीलदार की तनख्वाह में १२॥ प्रतिशत ।

एक ओर ३३ प्रतिशत वृद्धि हुई और दूसरी ओर १२॥ प्रतिशत । एक तरफ तहसील-दार के ग्रेड तो ३३ परसेन्ट बढ़ रहे हैं और नायब तहसीलदार ने ऐसा कौनसा मोर मार दिया उनकी तनख्वाह में १२॥ परसेन्ट वृद्धि की है ।

अब लेबर डिपार्टमेंट के लीडर जहां मजदूरों का काम ज्यादा होना चाहिए लेबर कमि-श्नर की तनख्वाह जहां ५०० से ७०० थी स्पेशल पे १०० रुपये; लेकिन पे नये स्केल्स के अनुसार उसका ग्रेड ८०० से १२०० कर दिया गया और स्पेशल पे २५० रुपये कर दी गई । १५० रुपये चुपचाप मार्च से उनकी जेब में जाने लगे । Employment Officers तथा लेडी-वेलफेयर ऑफिसर का जो पहले २०० से ४०० था वही रहने दिया है । ऊंचे के वेतन में इतनी बढ़ोतरी

[श्री चन्दनमल वैद]

दूसरा नहीं था। क्या यही समाजवाद है, जैसा कि श्रीमन् राजप्रमुख से कहलाया गया और क्या इसी समाजवाद की बातें सदन के नेता ने कहीं जो शायद हम कम दिमाग वाले समझ नहीं पाते। यही समाजवाद का उल्लेख हमने वित्त मंत्री महोदय के भाषण में भी देखा। बहुत जोर शोर से कहा गया कि हम समाजवाद की ओर निरन्तर बढ़ रहे हैं। क्या यही समाजवाद है जिसकी तारीफ की जा रही है ? क्या यही समाजवाद का ढांचा है जिसको हम स्थापित करना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैंने राजप्रमुख के भाषण के समय भी कहा था। अगर आप इसी कदम को समाजवादी समाज की रचना कहते हैं तो आप अपने कदम को पीछे रख दीजिये और समय का इन्तजार कीजिये। हो सकता है समय आने पर कुछ लोग ऐसे आयें जो सही मायने में समाजवाद को यहां ला सकें। हम जिस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं उसे हम गलत तरीके से तो न करें नहीं करना इतना बुरा नहीं जितना किसी काम को गलत करना। आज जो रिवीजन ऑफ पे स्केल्स किये गये हैं उसमें हम देखते हैं कि बड़ों को और ज्यादा दिया गया और छोटों को कुछ नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी मालुम है कि सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट निकला है उसमें अखबार वालों को मुगालते में रखने के लिए यह कहा गया है कि छोटे कर्मचारियों के वेतन में हमने ४० प्रतिशत वृद्धि की है और बड़े अधिकारियों के वेतन में सिर्फ पांच प्रतिशत। समय के अभाव के कारण मैं पूरी लिस्ट को नहीं पढ़ पा रहा हूं। हर डिपार्टमेंट को कम्पेयर करके मैंने यह रेशियो निकाला है मुझे बड़ा अफसोस है कि इतने फैक्ट होते हुए भी अखबारों में यह गलत प्रोपेगन्डा किया गया कि बड़े अफसरों के वेतन में पांच से लेकर दस प्रतिशत की वृद्धि की है और छोटे कर्मचारियों के वेतन में ३० से लेकर ४० प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं यह साबित करने के लिए चपरासियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यह कहा जाता है कि चपरासियों का नाम लेकर प्रचार करते हैं, मैं तो आप से यही कहता हूं कि आप नीचे के अफसर और सब से ऊंचे के बीच मुकाबला कर लीजिए। सेक्रेटेरियट में काम करने वाले जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी हैं जिनको स्पेशल पे पहले २०० रुपया थी उनको २५० कर दी है जिसकी स्पेशल पे १०० थी उसको १५० कर दी है जिनको पचास स्पेशल पे मिलती थी उनको १०० कर दी है। यह ऐसे उदाहरण है जिनसे साफ पता चलता है कि बड़े बड़े अफसरों ने मिलकर खूब दिल खोलकर बड़े बड़े अफसरों को रुपया लुटाया और कहा कि खुश रहो और हमारी जय जयकार लगाओ। जब छोटे कर्मचारियों का सवाल आया उनकी तनख्वाह में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई। माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि सदन के नेता से महरबानी करके पे स्केल्स जो जारी किये हैं उसके लिए सदन की एक कमेटी नियुक्त करें उसमें वे चाहे जिन मेम्बरों को ले अगल बगल में बैठने वालों को ले या आगे पीछे बैठने वालों को लें लेकिन एक सदन की समिति बनाये जो यह जांच करे कि जो पे स्केल्स जारी किये गये हैं वे कहां तक ठीक हैं।

अब में राजस्थान में लॉ एन्ड आर्डर की जो स्थिति है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा हमें कई वर्षों से यह सुनने को मिल रहा है कि राजस्थान में कुछ अजीब तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। पहले पहले पड़िहारा में, जो चूरू जिले में है, पांच छ साल पहले डाका पड़ा

[श्री चन्दनमल वैद]

उन दिनों मैं चूरू जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान था। इस नाते मैं भी उस गांव में गया। वहां के रहने वाले जिन व्यक्ति के घर डाका पड़ा था वे मेरी ही बिरादरी के निकले। उन्होंने मुझे अलग लेजाकर कहा कि हमें किसी बड़े आदमी की साजिश होने का अन्देशा है। उन्होंने नाम भी बताया जो नाम मैं सदन में नहीं बताऊंगा। मैंने उस पर कहा, ऐसी बात नहीं हो सकती। मैंने उनकी बातों पर उस समय कतई विश्वास नहीं किया। उसके बाद क्या होता है कि गंगानगर के जेलखाने से एक डाकू जो बहुत मशहूर था सीखचे तोड़कर भाग निकला। उस समय भी यह बताया गया कि इसमें भी किसी बड़े आदमी का हाथ है। उस समय भी मैंने विश्वास नहीं किया·······

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या आप उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता।

उसके बाद राजगढ़ स्टेशन पर एक मशहूर डाकू का खून हुआ। यह बताया गया कि वह डाकू कुछ राज़ प्रगट करना चाहता था इस वास्ते उसका खून कर दिया गया और और इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ था। हमने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया। फिर बाद में क्या होता है कि राजगढ़ के एक सेठ के लड़के को उड़ाया गया, उसमें भी बताया गया कि किसी राजनैतिक नेता का उस षडयंत्र में हाथ था। उस समय भी मैंने विश्वास नहीं किया। उस समय अखबारों में बड़े बड़े नाम से यह खबर भी छपी थी कि राजस्थान के एक मंत्री को डाकुओं के के साथ साजिश करने के कारण मंत्री मंडल से अलग कर दिया गया है। मैंने उस बात पर भी विश्वास नहीं किया। उस समय मुख्य मंत्री ने दिल्ली से जो प्रेसनोट निकाला था उस पर विश्वास किया कि वे संगठन में काम करना चाहते हैं।

कहा यह गया कि वह संगठन में काम करने के लिये आज मंत्री मण्डल से अलग हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमें यह बतलाया गया और आज से करीब चार-छ महीने पहले बतलाया गया कि हमारे एक प्रमुख सदस्य किसी डाकू से मिलने के लिये गये और उससे मिले और आर्थिक और राजनैतिक सांठ-गांठ की बात की। हमने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया। पर आज से तीन-चार दिन पहले जाहिरा हमारे पार्टी के चीफ व्हिप ने फरमाया कि वे डाकू जवानसिंह से मिलने के लिए सोजत की पहाड़ियों में गये। पहले यह कहा व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिये गये फिर यह कहा कि पुलिस अधिकारी भी साथ थे। आई. जी. और गृह मंत्री से पूछ कर गए उसे सरेन्डर कराने गये। इस पर हमें यह सन्देह होने लगा कि वास्तव में हमें जो बतलाया जाता रहा है कि वह सही तो नहीं है। कि हम लोगों में ऐसे सदस्य हैं जिनका डाकुओं के पास आना जाना है, उनके साथ सांठ गांठ है, डाकुओं से राजनैतिक और आर्थिक गठबन्धन है, मैं पूछता हूँ कि ऐसी बातें क्यों होती हैं। आप डाकुओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं यह क्यों ? आपका कौनसा व्यक्तिगत रूप है ? फिर आप पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ भी गये। तो ऐसी स्थिति में तो अगर कोई गलत बात, गलत

[श्री चन्दनमल वैद]

प्रकार की आर्थिक और राजनैतिक सांठ-गांठ की बात नहीं है। तो या तो सरेन्डर होना चाहिये या फिर गिरफ्तार होकर ही वह डाकू आना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डाकू ने आपसे मिलने के बाद जितने भी खून किये, डाके डाले, सम्पत्ति लूटी, अपहरण किया, जो कुछ समाज विरोधी हरकतें कीं उसकी जिम्मेदारी आपके सिर पर है। अगर ऐसा नहीं तो पुलिस अधिकारी आपके साथ क्यों थे, क्या पुलिस अधिकारी इस तैयारी में नहीं थे कि अगर सरेन्डर नहीं किया तो उसको पकड़ कर लाना है, सरेन्डर की बात नहीं पार पड़ी तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनको? कौनसा कोड ऑफ ऑनर था उस डाकू के साथ कि जिसको आप रेस्पेक्ट कर रहे थे? जो पुलिस अधिकारी उनके साथ गये, जानते थे कि इस डाकू के सिर पर इनाम है जीवित या मरा पकड़ने के लिये। जिसके सिर पर इनाम हो, उसको सामने पाकर पुलिस अधिकारी सरेन्डर नहीं करा सके और न गिरफ्तार कर सके तो इसका जवाब कौन देगा? जो डाके डाल रहा है, खून कर रहा है इस वक्त आपके सामने से निकल गया, उसकी जिम्मेदारी किस पर है। यह गृह मंत्रीजी पर हैं, आई.जी.पी पर है या पुलिस के अन्य अधिकारियों पर है जो वहां गये या हमारे माननीय सदस्य पर हैं जो कि वहां पधारे थे? इस सदन का हर एक सदस्य इन बातों का जवाब चाहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इतनी सब बातों के कहने के बाद वित्तमंत्री जी को जो बधाई देना चाहता था, वह दिये बगैर नहीं बैठना चाहता और मैं इसके लिए जरूर बधाई दूंगा कि परम्परा तोड़कर उन्होंने अपने मन्त्रित्वकाल में दो बजट पेश किये। राजस्थान में यह परम्परा रही है कि किसी भी वित्त मन्त्री ने आज से पहले दो बजट पेश नहीं किये। यह सौभाग्य मौजूदा वित्तमन्त्रीजी को ही प्राप्त है जिसके लिए मेरी उनको बधाई है और हर अफवाहों के बावजूद यह कामना करता हूँ कि अगला बजट भी उन्हीं को पेश करने का मौका मिले।

और भी बातें हैं माननीय उपाध्यक्षजी, इस के अलावा जिस के लिए मैं और बधाई दूंगा। उन्होंने हमारी पुकार पर २५० से कम वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को एक एडवान्स एन्क्रीमेन्ट देने का फैसला किया है जिसके लिए भी बधाई के पात्र हैं।

इसके अलावा और बधाई देना चाहता हूँ कि आज तक हम जनता में जाने से घबराते रहे हैं, न जाने क्यों किन कारनामों के कारण हम घबराते हैं। पर सबसे पहले उन्होंने हिम्मत की है यह कहने की कि जनता से कर्जा भी लिया जावेगा। कम से कम इतनी हिम्मत हुई तो सही। मैं समझता हूँ कि अगर हम जनता के पास गये तो दो करोड़ नहीं पांच करोड़ रुपया भी मिल सकेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मिलने में कठिनाई नहीं है, कठिनाई तो थी हमारे मांगने के लिए जाने में जानता तो खुले दिल से कर्जा देने को तैयार है।

इसके अलावा जो और बधाई देना चाहता हूँ वह यह है कि आपने जो एच्छिक इन्श्योरेन्स स्कीम थी उसको कम्पल्सरी कर दिया है इसके लिये वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। पर साथ ही ३५ रुपयों से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये भी जो आपने कम्पल्सरी कर दिया है

[श्री चन्दनमल वैद]

इसमें उनको कठिनाई आवेगी। Adverse increment से जो पैसा आयेगा वह तो अब premium में चला जावेगा। इसके लिये इतना, आप और करिये। इतना किया है तो इससे मत पीछे हटिये कि ३५ रुपये से कम पानेवालों की बीमा योजना मे जाने वाला जो धन है, Premium है वह सरकार अपनी तरफ से दे। अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ा अच्छा होगा। आप इस पर जरूर गौर करें। इससे सचमुच में छोटे कर्मचारियों को अच्छी राहत मिलेगी। इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(श्री मुक्तिलाल मोदी और श्री हरिकृष्ण व्यास के साथ साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कम से कम यह आप साफ तौर पर बतादें कि आप मुझे बोलने की इजाजत देना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मना कर दीजिये, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—"रूसी-रूसी भाई-भाई, रूसी-हिन्दी भाई-भाई," भाई-भाई होकर दोनों आपस में लड़ रहे हैं।

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता और सरदार शहर से आये माननीय सदस्य ने वित्त मन्त्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दिया है बार बार कि वे ही पहले ऐसे मन्त्री मिले हैं जिनको अपने मन्त्री-काल में दो बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय की विशेष काबलियत भी है और उस काबलियत का मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद भारत के दूसरे राज्य के वित्त मन्त्री भी अनुकरण करने की कोशिश करें और केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्री, श्री चिन्तामणि देशमुख भी अनुकरण करने की कोशिश करें तो मौजूदा स्थिति से ज्यादा चालबाज तरीके से बजट पेश करने में वे माहिर कहे जावेंगे। तो यह कैसे मैं बता दूं।

एक माननीय सदस्य—ईमानदारी की कद्र है, चालबाजी की नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश किया जा रहा था तो कई माननीय सदस्य घड़ी की और देखकर बता रहे थे कि क्या समय हुआ है। ४। १५ बजे, ४ बजकर २५ मिनिट हुये और कोई कहते थे कि ४।२० हुये हैं। शायद

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

समय का असर पड़ा अथवा क्या, पर जैसे अभी सरदार शहर से आये मित्र कह रहे थे, एक ऐसी भयंकर किस्म की भूल इस बजट में आई है कि ८४ लाख का नया टैक्स लगाया गया है और आगे नये टैक्स लगाने की तैयारी बताई, पर साफ सीधे तौर पर किस मद में, किस खाते में, कितना किस रूप में टैक्स लगाया गया या लगाया जावेगा इसका उल्लेख नहीं है कहीं पर। और यह कोई आकस्मिक बात नहीं हुई।

पिछले पांच सात दिन से राज कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में हम बहस कर रहे थे। माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे थे बजट में और राजप्रमुख के भाषण में जोर देकर कहा गया कि हमने एक मार्च ५५ से नये ग्रेड लागू करने का निर्णय कर लिया। यह विशेष समाचार पत्रों में पूरी तफसील से खबर भी छपी, लेकिन क्या यह शोभाजनक बात है उस सरकार के लिए और क्या जिम्मेदार तरीका हैं वित्त मन्त्री महोदय के लिए कि इस की जिस विधान सभा से चर्चा करवाना चाहते हैं उसके सामने कौन से ग्रेड लागू किए जा रहे हैं, किस को कितना दिया जा रहा है, क्या शकल है इसकी एक प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी बात नहीं कि प्रति मौजूद न हो। मौजूद है। कई लोगों को मिल चुकी है और शायद कायदे से नहीं, लेकिन गैर कायदे से मुझे भी इसकी एक झलक देखने को मिल गई है। लेकिन यह बात बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी भारी जिम्मेदारी की चीज है और उससे विधान सभा को अन्धेरे में रखने का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। क्या बात है हर चीज विधान सभा से छिपाकर चला जाता है। उसे बताने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सब चीज सदन के सामने रखने की, गोलमाल में रखना चाहते हैं और जब सदन स्थगित हो जावेगा तो इसके बाद गजट में शाया कर देंगे। फिर पूछने वाला कौन है? और यही बात वित्त मन्त्री महोदय ने टेक्स के सिलसिले में की है। अपने भाषण के पेज १२ में, पेज १३ में उन्होंने यह कहा है कि हम ८४ लाख के नये टेक्स लगा रहे हैं, पर कहा किस लहजे से? ब्रैकिट में लिखे गये दो लाख अन्डर "स्टाम्पस," १० लाख "मोटरगाड़ी अधिनियमों के अन्तर्गत करों" के अन्तर्गत, ३० लाख 'बिक्री कर' के अन्तर्गत, २६लाख "सिंचाई दरों" में वृद्धि के कारण और १६ लाख अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत। ये आंकड़े कहां से आये? किस हिसाब से ये आंकड़े आपने निकाले इसका कोई उल्लेख नहीं और तब मैंने जो रिसीट के आंकड़े हैं, आमदनी के हैं उन पर गौर किया। मैं दो तीन चीजें प्रस्तुत करूंगा और उम्मीद है आप और सदन के सदस्य दोनों इसको कुबूल करेंगे। यह ऐसी गैर मामूली बात है जिसको दो शब्द कह कर टाल देना, और कहीं हुआ हो पर राजस्थान में होना तो शोभा की बात नहीं गिनी जावेगी। स्टाम्पस् की दो लाख की बात मामूली है, ५२-५३ के अकाउन्ट के ६२ लाख के लगभग है। ५५-५६ के माफिक ६० लाख हैं। ५२।५३ में ५१ लाख ५३।५४ में ५४ लाख, ५४।५५ में ५५ लाख बजट एस्टीमेंट ५५।५६ में रिवाइज्ड एस्टीमेट ७ लाख और अब रक्खा गया है ६३ लाख। अगर वित्त मन्त्री महोदय ब्रैकिट में दो लाख का जिक्र नहीं करते तो मामूली आदमी यही समझता कि इस सीगे में मौजूदा टैक्स लागू होते हुए भी अतिरिक्त आमदनी होने की सम्भावना है। और कोई भी बजट में समझने वाला, कालेज में पढ़ने वाला या पब्लिक अकाउन्ट्स की बात समझने वाला

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कह सकता है कि मौजूदा लेवल आफ टैक्सेज में भी ज्यादा आमदनी होने का अन्दाजा है। पर उसकी ओट में नये टैक्स एक साथ बढ़ा देना, उसका समावेश कर देना, यह नासमझी है। यह सरासर कलाबाजी का नमूना है और इसका नमूना प्रस्तुत करूंगा। मैं जानबूझ कर वित्त मन्त्री महोदय का, ५५।५६ के उनके बजट भाषण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें उन्होंने एक सीगे में कुछ सम्भावित आमदनी बढ़ जावेंगी ऐसा अन्दाज प्रदर्शित किया था। वहां इस भाषण के पेज १२ पर यह है। ५५।५६ के बजट भाषण का पेज १२ :—

"Under head civil Administration, Education, Public Health, Agriculture and Miscellaneous Departments show some increase."

ऐसा लिख गये हैं कि कुछ थोड़ी सी आमदनी बढ़ाने का अन्दाज मालूम पड़ता है। इस पर भाषण में फीस बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं, इस पर भाषण में स्कूलों और कालेजों की फीस बढ़ाने के लिए एक शब्द भी प्रयोग में नहीं लाया गया और ५६।५७ के अपने भाषण में वहीं वित्त मन्त्री महोदय पेज ३ पर यह कहते हैं। इस पर भी आप गौर फरमाइये :—

"Under Education, increased receipts were anticipated on account of aid from central government in respect of various schemes and increase in tuition fees"

पेज तीन पर चाहते हैं: "under education, increased receipts were anticipated"

जिसका उल्लेख ५५-५६ के भाषण में यह था कि कुछ इन्क्रीज की उम्मीद है। वही ५६-५७ में यह हो गया कि टुयशन फीस बढ़ने की ज्यादा उम्मीद थी। फिर कह रहे हैं :—

"As the increase in tuition fees could not be given effect to in course of the current financial year, there is a decrease on that account too."

यह मिसाल है इस बात की कि सम्भावित आमदनी का खुलासा अगर कर देंगे तो असन्तोष होगा। यह सोच कर चुपके से कह दिया स्कूल कालेजों की फीस बढ़ावेंगे पर इसको विधान सभा के सामने लाने में भी हिचकिचाहट हुई इसलिये चुपके से कह दिया कि एजुकेशन में बढ़ने की उम्मीद है। यह चालबाजी है। पर साल के आखीर में इस जालसाजी से काम नहीं चला इसलिए जो अन्दाज था वह ठीक प्रकार नजर नहीं आया, यह इस साल में है। नये टैक्सों में सब चीजों का उल्लेख कर दिया गया है। मैं नहीं मानता कि सबका हुआ है। और १६ लाख को अन्य के सीगे में रख दिया गया है। तो अब उस अन्य की मिसाल भी प्रस्तुत करूं। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेन्ट की आमदनी के आंकड़े देखने का प्रयत्न किया। यह बजट भाषण इतना बढ़ रहा है, इसका बल्क

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इतना बढ़ रहा है वित्त मन्त्री की तरह और इस बजट का भी बल्क बढ़ता गया है पिछले सालों से लगातार हमारे वित्त मन्त्री जी की तरह। (हंसी) तो हमारे वित्त मन्त्री जी की तरह हरेक चीज का बल्क बढ़ रहा है। यह इतना बड़ा पोथा है। इसके पेज २६ में....

एक माननीय सदस्य—आपको चिढ़ क्यों है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। गवर्नमेन्ट सेकेन्डरी स्कूल की ओर आप गौर फरमावें। इसमें लिखा गया है कि १६५४-५५ के अकाउन्ट में फीस की आमदनी ४ लाख ४३ हजार ४२१ थी, रिवाइज्ड एस्टीमेट ५५-५६ की ४ लाख २५ हजार थी। ५५-५६ का रिवाइज्ड एस्टीमेट चार लाख २५ हजार है और ५६-५७ का बजट एस्टीमेट है १२ लाख ६० हजार। जिस गवर्नमेन्ट की सेकन्डरी स्कूलों मैट्रिक तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों से आज तक सवा चार लाख फीस की आमदनी आई उसकी आमदनी सवा बारह लाख के रूप में आंकी जा रही है, इसका मतलब है कि यह तीन गुना आंकी जा रही है, पर इसका हमारे इन मन्त्री महोदय के बजट में उल्लेख तक नहीं है।

प्राइमरी स्कूल का हवाला दिया। प्राइमरी स्कूल के बजट के पेज पर आप देखेंगे तो ५३-५४ में २६ हजार की आमदनी, ५४-५५ में कुल ५१ हजार की आमदनी, रिवाइज्ड ५४-५५ में ३००० रु० तो उस तीन हजार के मुकाबले में बजट एस्टीमेटस ५६-५७ का ३,५५,०००) रु० है। यदि १६५४-५५ के मुकाबिले में गिना जाय तो ५ गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इस हिसाब से नये-नये बोझ लोगों पर डालने का जो तरीका है वह तरीका अपनाया जाय और उसका उल्लेख भी न किया जाय तो मैं समझता हूँ कि सदन के ही साथ अन्याय नहीं है बल्कि यह राजस्थान के डेढ़ करोड़ लोगों के साथ है। मैं समाजवाद की बात कहने वाले मेरे माननीय मित्रों से पूछता हूँ कि यह कौनसा समाजवाद का नया तरीका अपनाया जा रहा है कि जहां स्कूलों और कालेजों की फीस तीन गुनी और छः गुनी बढ़ाई जाती है, चार लाख की जगह १२ लाख और तीन हजार की जगह ३ लाख, जोधनेर कॉलेज और उदयपुर एग्रीकल्चर कालेज में २० लाख की एवज में ३० लाख और वेटरनरी कॉलेज में ५० फीसदी बढ़ाया है। तो हर जगह बढ़ोत्तरी है लेकिन उसका उल्लेख नहीं है। यह है १६ लाख के आंकड़े जो नये कर कह कर छोड़ दिये गये हैं।

इसी प्रकार से इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में भी है। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में जो भाखरा से २॥ लाख रुपये के रिवाइज्ड एस्टीमेटस हैं उसके मुकाबले में जब ६॥ लाख के बजट एस्टीमेटस हैं, और दूसरी इर्रिगेशन स्कीम्स में बजट के पेज २३-२४ को आप देखेंगे तो ६॥ लाख के एस्टीमेटस को बढ़ा कर ४८ लाख ७८ हजार कर दिया गया है। इसमें से नये एरिया की वजह से, कितने रेट के बढ़ाने की वजह से, कितना गंगानगर इलाके में एक साल पहले जो रेट्स बढ़ाये गये हैं अब इस सिलसिले में क्या हुआ है, सिंचाई की दरों के बारे में क्या बढ़ोत्तरी की जा रही है, कितने फीसदी बढ़ाया जा रहा है, गन्ने पर, गेंहूँ, चावल या कपास पर कौन सी दर बढ़ाई जा रही है इसका उल्लेख तक नहीं किया जाता है लेकिन २६ लाख रुपये इर्रिगेशन डिपार्टमेंट्स से रेट को इन्क्रीज करके लेना चाहते हैं। मैं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

समझता हूं कि इस साल जो पेश किया गया है यह उसकी एक खासियत है, और पिछले साल समझ में इस तेजी से नहीं आया था और अभी भी पिछले साल के बजट के मुकाबले में इस साल के बजट को देखा गया तो मालूम हुआ कि शिक्षा विभाग में पहले जैसे फीस के मामले को चुपके से पर्दे की आड़ के अन्दर लेकर सदन के सामने प्रस्तुत करके पास कराया था वैसे ही इस साल भी ८४ लाख को पर्दे की ओट में पास कराने जा रहे हैं। मेरे माननीय मित्र ने बिल्कुल ठीक कहा था सेल्स टेक्स के बारे में। जिस समय कि सेल्स टेक्स लागू किया गया था उस समय सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर कई जगहों पर एक आने की रेट करदी थी। भूल गये क्या कि सरकार के नोटिफिकेशन का नतीजा यह हुआ कि जयपुर शहर में १४ दिन की हड़ताल हुई और जिन हाथों मे नोटिफिकेशन निकाला था उन्हीं हाथों से उस नोटिफिकेशन को वापिस लेना पड़ा और सेल्स टेक्स की बढ़ोतरी रद्द कर दी गई ? एक साल के बाद फिर ताकत आजमाने का, पहलवानी सामने दिखाने का तरीका अपनाया जा रहा है। यह कौनसे मद में टेक्स बढ़ाया गया ? आज यह स्थिति है कि न्यूजप्रिंट के ऊपर टेक्स लग रहा है। लोग कहते हैं कि क्या करें, उनकी सुनवाई होगी या नहीं, लेकिन ३० लाख का नया बोझ सेल्स की दर बढ़ा कर डाला जा रहा है। परिस्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है कि कौनसी मद में बढ़ाई जायगी। जब सेल्स टेक्स का कानून पास हुआ था उस समय भी मेरी ऐसी मान्यता थी और कई माननीय सदस्यों को याद होगा कि यह गलत तरीका है कि एक्जीक्यूटिव को कोई अधिकार दिया जाय कि वह टैक्स की दरें बढ़ा सके। यह तरीका दुनियां में कहीं नहीं है। यदि आपको टेक्स बढ़ाना है तो फाइनेन्शियल एक्ट लगाइयेगा। मौजूदा टैक्सोंके सम्बन्धमें अगर आमदनी ज्यादा हो तो बजट में रखें। नये टैक्स लगायेंगे तो फाइनेन्शिल एक्ट लाना चाहिए कि यह टैक्स लगा कर इतनी आमदनी करना चाहते हैं। यह विधान सभा का अधिकार है, यह विधान सभाके हर सदस्य का अधिकार है, कि वह कह सके कि आम लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उन पर टैक्स नहीं लगायें और उन लोगों पर लगायें जो कि उन्हें दे सकें। लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता है। घबराहट पैदा हो गयी है कि क्या लोग कहेंगे इसके बारे में। आप लोगों के अन्दर घबराहट पैदा हो रही है। लेकिन यह नहीं समझे राजस्थान के वित्त मन्त्री और राजस्थान की सरकार कि उनकी नियत जो है उस नियत का लोगों को पता नहीं चला। यह तो हुआ बजट में बढ़ने वाले टैक्सों के बारे में, उन टैक्सों के लगाने के तरीकों के बारे में विधानसभा की कितनी कद्र की जाती है उसके बारे में....

एक माननीय सदस्य—कान पकड़ें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कान तो फिर पकड़ूंगा। इसका नतीजा यह होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह १ करोड़ ७० लाख का जो डेफिसिट बताया गया है वह वास्तव में २ करोड़ ५४ लाख का डेफिसिट है जिसमें ८४ लाख तो नये टेक्सेज के जरिये कवर कर लिया गया है और १ करोड़ ७० लाख अनकवर्ड छोड़ा गया है। ८४ लाख के टैक्स लगाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, मेरे माननीय मित्र को समाधान नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि सरकार के सेक्रेटरीज की चालबाजी है कि यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नये स्केल्स तनख्वाहों के बना दिये । मैं इसका जिक्र करूंगा बाद में । मैं समझता हूँ कि यह किसी व्यक्ति की चालबाजी नहीं है । यह सरकार के दृष्टिकोण की गलती है । ८४ लाख का टैक्स लगाया गया है, नतीजा यह हुआ कि भाषण के पेज २० (अंग्रेजी) पर वित्त मन्त्री ने कहा है कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशें भी विचाराधीन हैं और साल के दौरान में कुछ टैक्सेज और लगाने का सरकार का इरादा है । ८४ लाख जो लगा दिये वह तो गये जेब में और साल के दौरान में टैक्सेशन इन्क्वारी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक और टैक्सेज लगायेंगे; उसकी आप और तैयारी करलें । यह मेनीफेस्टो है राजस्थान सरकार का अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करते समय । मैं मानता हूँ कि बजट एक प्रकार का फाइनेन्शियल मेनीफेस्टो हुआ करता है । सरकार यह प्रस्तुत करती है लोगों के सामने कि क्या आवश्यकता है, हमारे देश में कितने साधन हैं, कौन-कौन से काम हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उसके लिए अपनी नीतियों के आधार पर सरकार आम लोगों से सहयोग की अपील करती है । यह बजट का नियम होता है, यह बजट का आधार होता है । यदि उस दृष्टि से देखें तो एक दो बातें और मार्के की नजर आयेंगी । इसी बजट के भाषण के पेज २१ पर यह कहा गया है, एक छोटा सा सेन्टेन्स है कि पब्लिक एकाउन्ट्स से भी हमारे पास १४२ लाख के लगभग साधन उपलब्ध हो जायेंगे । पब्लिक एकाउन्ट में स्माल सेविंग ही नहीं है, बल्कि पब्लिक एकाउन्ट्स में और भी दूसरे एकाउन्ट्स हैं । फिर मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि यह इन्श्योरेन्स में जो पैसा जमा हुआ है, प्रोवीडेन्ट फण्ड की बात है तथा और भी सरकार के फन्ड्स हैं उन सब को जो प्रस्तुत किया जाय तो उसमें से १४२ लाख सरकार प्रयोग में ले रही है उसके कार्यों के लिए यदि ये जो पब्लिक एकाउन्टस का पैसा है उसको भी अपने कार्य के अन्दर प्रयोग में लेने का तरीका अपनाया जा रहा है तो फिर उसे वापिस देने के लिए एमोरटाइजेशन करने के लिए कुछ सोचा है, उसको पूरा किया गया है कि नहीं, उसका कोई उल्लेख नहीं है । और इस प्रकार से जब ओवर ड्राफ्ट का सवाल आया तो जो सरकार हर साल बगैर पूछे किसी ने चाहा या न चाहा, ओवर ड्राफ्ट उल्लेख करती थी और कहती थी कि हमारा ओवर ड्राफ्ट एकाउन्ट लगातार कम हो रहा है । यह पहला मौका है, उपाध्यक्ष महोदय, जब कि वित्त मन्त्री यह कहते हैं कि कह नहीं सकते कि १९५६ की ३१ मार्च को ओवर ड्राफ्ट कितना होगा ।

और यह इसलिये कि उनको मालूम है कि इस साल ओवरड्राफ्ट की रकम बढ़-चढ़ कर होगी क्योंकि इस बजट के पेज ३७७ पर हिसाब दिया गया है उसके मुताबिक ओवर ड्राफ्ट का आंकड़ा ८ करोड़ ३४ लाख के नजदीक होगा ऐसा अनुमान बजट प्रस्तुतकर्ता महोदय का है लेकिन बजट भाषण में इस बात को कबूल करने में उनको थोड़ी हिचकिचाहट है इसलिये कि यदि कहा जाय तो कमजोरी नजर आयेगी । यह है राजस्थान सरकार का मेनीफेस्टो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना पेश करते समय आपके सामने रखती है । अब इस बजट में क्या आया, यह देखना है । यह खुशी की बात है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, इसका कम से कम शाब्दिक उल्लेख तो किया गया है । बजट के इन आंकड़ों से मैंने छानबीन कर पता लगाया जिससे मालूम होता है कि मौजूदा स्थिति राजस्थान की यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है कि आज से ५ वर्ष पहले केवल ६ प्रतिशत सिंचाई हमारे यहां होती थी लेकिन अब इसके लागू होने के बाद ६ प्रतिशत से बढकर सिंचाई १३ प्रतिशत हो जायगी और इससे भी आगे और बढ़ने का प्रयत्न करने का जिक्र इस बजट में है। पंजाब, पेप्सू, यू. पी. और दूसरे राज्यों में पहले ही यह आंकड़ा ४५ परसेंन्ट तक पहुंचा हुआ है। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो १३ परसेन्ट की वृद्धी के बाद भी हमारे यहां काफी करना बाकी है।

शिक्षण के क्षेत्र में १४ वर्ष तक के बच्चों की पढाई का आंकड़ा सन् ५४ तक १४ परसेंट था और सन् ५६ के मार्च तक २५ परसेन्ट पहुंचेगा जब कि सारे भारत का आंकड़ा ५५ परसेन्ट है और अगली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ७५ परसेन्ट तक लेजाने की बात है।

सड़कों के बारे में देखें तो प्रति १०० मील साढ़े छः मील सड़क थी और अब प्रति १०० मील ६ मील सड़क हो गई है इसमें से मेटल्ड रोड को देखेंगे तो वह १ मील प्रति १०० मील से ज्यादा नहीं आयेगी जब कि दूसरे राज्यों का यह आंकडा ३४ मील पहले ही पहुंचा हुआ है। यही हाल दवा दारु का है और यही हाल दूसरी स्थिति का है।

जिस क्षेत्र में हम बजट बना रहे हैं उसकी यह तो हालत है और अब प्रस्तुत किया गया है २६ करोड़ का। खर्च का मोटा आंकडा अर्ज कर रहा हूं उद्योग के बारे में। करीब १४ करोड़ का खर्चा केपिटल एक्सपेन्डीचर का है। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने हमारे सामने आने वाले वर्ष का खर्चा प्रस्तुत किया है। उसमें से पहली योजना में जितना कार्य हुआ है चाहे केपिटल अकाउन्ट में और चाहे रेवेन्यू अकाउन्ट में उसका आंकडा १८ करोड १८ लाख रखा गया है। यह १४ करोड़ केपिटल अकाउन्ट का है तथा १८ करोड १८ लाख पंचवर्षीय योजना का है जिसमें से ४ करोड ३७ लाख इरिगेशन के लिये है, पब्लिक हैल्थ के लिये ५६ लाख, एग्रीकल्चर के लिये ५६ लाख, इन्ट्रोडक्शन ऑफ रिवर स्कीम में ३ करोड ६६ लाख, सिवल वर्कस में ३ करोड़ ३ लाख, इलेक्ट्रिसिटी के लिये १ करोड़ ६७ लाख है। यह पूरा का पूरा बजट है इसमें मुझे सिंचाई बिजली और सड़क इन तीन चीजों में प्रादुर्भाव नजर आया है और १८ करोड १८ लाख रूपये पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष में खर्च होंगे उस में से १८ लाख रुपये उद्योग के लिये रखे गये हैं जिसमें माइन्स आदि सब आ गये। मेरे माननीय मित्र वित्तमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि कहां कहां भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना स्वीकार हो गई है और उसका एक बडा भाग उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये रखा है इन्डस्ट्रीज की ओर दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि पहली सही बात उन्होंने कही। आज सारे देश में यह कहा जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिये और दुनियां में भारत का स्थान ऊंचा करने के लिये भारत को अपने उद्योग पर जोर देना पडेगा और बाकायदा जोर देना पडेगा लेकिन स्थिति यह है कि भारत ने जितना पब्लिक सेक्टर में उद्योग पर जो जोर दिया है वह आज राजस्थान में बहुत पिछड़ा हुआ है। जिस राजस्थान में १ लाख मजदूर काम करते हैं उन कारखानों की संख्या

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

१४ है, जिस राजस्थान में इन्डस्ट्रीज इतनी कम है कि ७ परसेंट के नजदीक पहुंच चुकी है उस राजस्थान की योजना का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या प्रोपोरशन रखा गया है ? १८ करोड की स्कीम में केवल १८ लाख रुपये उद्योग और माइन्स के लिये देंगे । यह न सिर्फ बजट में कमी है बल्कि मैं यह मानता हूं कि यह दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसके जरिये आज कार्य किया जाता है । मैं यह नहीं कहता कि भारत की पंचवर्षीय योजना में जो बात कही गई है वह ठीक है या नहीं लेकिन उनकी जो आधारभूत सलाह है वह है उद्योग और पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना । लेकिन यदि उन्होंने राजस्थान का ध्यान नहीं रक्खा तो उसका क्या तात्पर्य है ? उसका तात्पर्य यह है कि यह निर्माण की दृष्टि से नहीं बनाया गया है । यह इसलिये बनाया गया है कि किसी से टक्कर नहीं लेनी पडे, निजी स्वार्थों के कारण बनाया गया है । यही नहीं बल्कि एक प्रकार से आनेवाले चुनावों के लिये निजी स्वार्थ के लिये सांठ गांठ की नीति टपक टपक कर निकलती है । यह बात होते हुए भी सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं । लेकिन काफी व्यवस्था शिक्षा, आयुर्वेद, कम्युनिटि डेवलपमेंन्ट आदि में बढ़ोतरी की गई है । लेकिन यह बजट सारे देश के नव निर्माण की दृष्टि से नहीं बनाया गया है । यह तो गाड़ी को किसी तरह से धकेलना है । निहित स्वार्थों में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है इसका पूरा ध्यान रखा गया है ।

राजस्थान में साधनों की कमी नहीं है । उद्योग के लिये जिक्र किया गया कि राजस्थान के भूगर्भ में जितना साधन है उसका पता नहीं लगाया गया है, अनुसंधान नहीं किया गया है लेकिन यह किसी अन्य देश से कम नहीं मिलेगा । हमारे यहां माइका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । अभी विदेशों के विशेषज्ञ आये थे । खेतड़ी में कोपर की खान निकली है । कुछ विशेषज्ञ पहले आये थे जिन्होंने जेसलमेर के पास तेल होने की बात बताई थी । क्या कोई विशेषज्ञ अब आ रहे हैं यह पता लगाने के लिये कि इस इलाके में तेल उपलब्ध हो सकता है या नहीं ? हमारे यहां सांभर जैसी झील है जो न केवल नमक के लिये प्रसिद्ध है बल्कि बहुत से रसायनिक पदार्थ भी यहां उपलब्ध हो सकते हैं । लेकिन इतने बडे क्षेत्र में न तो सरकार की ओर से ध्यान दिया जाता है और न कुछ किया जाता है । हनुमानगढ़ में फर्टिलाइजर का कारखाना बनाने की पूरी संभावना थी । तीन वर्ष तक बजट भाषणों में और राजप्रमुख के भाषणोंमें बराबर उसका कुछ न कुछ उल्लेख होता रहा है उम्मेद है कि हमारी मांग स्वीकार की जायगी लेकिन इस बार इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया जैसे कोई मुंह में दबोच गया हो हम इस क्लेम को क्यों छोडे ?क्या रुख अपनाया है भारत सरकार ने इस बारे में ? सरकार इस बात का जवाब दे । कांग्रेस पार्टी की सरकार है इस बात को मानते हैं लेकिन बावजूद इसके मध्यप्रदेश में लोटे का कारखना भिलाई के पास नहीं खोलने का निर्णय किया जा रहा था । उस समय मध्य प्रदेश के बुड्ढे मुख्य मन्त्री श्रीरविशकंर शुक्ल ने कहा कि मैं स्तीफा देने को तैयार हूं अगर यह कारखाना भिलाई में नहीं खोलागया राजस्थान सरकार को लकवा क्यों मार गया है ? उनकी जबान क्यों नहीं चलती कि हनुमानगढ में फरटिलाइजर का कारखाना नहीं खोलने का निश्चय करके भारत सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है इसको जोरदार शब्दों में प्रोटेस्ट करना चाहिये ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पिछड़े हुए इलाकों की उन्नति की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये ! हमारे यहां के जिप्सम का उपयोग चाहे सवाईमाधोपुर में हो चाहे कोटा में हो या हनुमानगढ़ में हो मगर कहीं न कहीं तो इसका उपयोग होना चाहिये । यह नहीं कि फरटेलाइजेशन का कारखाना हनुमानगढ़ में ही हो ! सवाई माधोपुर या कोटा कहीं पर भी हो सकता है। मैं यह कहना चहता हूँ कि अभी तक फरटेलाइजेशन का कारखाना हमारे यहां पर कच्चा माल उपलब्ध होते हुए भी नहीं हुआ है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में कहीं नये उद्योग धन्धे को चालू नहीं किया गया । न चमड़े के कारखाने के बारे में या रसायनिक के बारे में कोई कदम उठाया गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत सी चीजों का जिक्र किया जा रहा है । माईका, ऊन जैसी चीजों के लिये कारपोरेशन बनाया जावे । हाथ की कारीगरी को प्रोत्साहन नहीं दिया गया ।जैसे जयपुर में मीना की कारीगरी, बन्धाई का काम, व दीगर कामों में जहां बडी मात्रा में उन्नति होनी चाहिये थी मगर उनमें उन्नति के आसार नजर नहीं आते और इसके लिये कोई बात तक नहीं । जहां तक बजट में उद्योगों को मदद करने का प्रश्न है उसके लिये शायद २० करोड़ की रकम रखी गई है मगर मुझे इस बात का अफसोस है, कि उसकी डिटेल्स कहीं नहीं दी गई है । पिछले साल का भी डिटेल नहीं इसका क्या नतीजा होगा ! पता नहीं किस तरह से सहायता दी गई । माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि इतने करोड़ रुपया फलां जगह खर्च किया गया इतना रुपया वहां खर्च किया गया उसको गलत साबित करने का अवसर आगे अवेगा । मगर मै यह कहूंगा की उन्होंने उद्योगों के नाम नहीं बताये जिनको यह इमदाद दी गई है ? इसका क्या कारण है । उनको बताना चहिये कि किस उद्योग क कितना कर्ज दिया गया मगर यहां पर उसका जिक्र नहीं किया गया है ? कम से कम उनका जिक्र तो होना चाहिये था दो मिलों को जिनको रुपया दिया गया है वे वस्तुस्थिति में मौजूद नहीं है जिनको कोई रुपया दिया गया और में समझता हूं कि उन मिलों ने नाममात्र के लिये पाटिया लगा दिया और सरकार से कर्जा लिया इसी लिये सरकार को उनका नाम देने में हिचकिचाहट होती रही है ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि खेती के बारे में जो नीति अपनाई गई है उससे बडा ताज्जुब होगा । खेती से सिलिंग का बहुत बडा संबन्ध है उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ । इसके अलावा हम यह कहें कि हमने इतना एमोनियम सलफेट बांटा हमने इतने बीज किसानों को बांटे । मैं यह कहूंगा कि महेज एमोनियम सलफेट और बीज बांटने से खेती की उन्नति नहीं हो सकती अगर कोई यह कहें कि हमने लाखों रुपयों के कम्प्रेसर्स खरीदे जो वर्षात में पड़े पड़े सड़ते रहें , क्या उससे खेतों की उन्नति हो सकती है ? क्या कम्प्रेसर वर्षा में पड़े पड़े सड कर खेतों की उन्नति कर लेंगे ? कदापि नहीं । खेतों की उन्नति तभी होगी जब सिलिंग के मामलों में कोई ढ़िलाई नहीं की जावे और खेती की प्रगति के जो रास्ते हैं उन सबको काम में लिये जावें । व रिश्तेदारों को लोन आदि नहीं दिया जाना चाहिये ।

टैक्सों के बारे में सरदार शहर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा कि एक करोड ६० लाख का टैक्स पब्लिक देगी । मैं कहूंगा कि पब्लिक नहीं देगी । पब्लिक पहले इस बात को तोलेगी और नापेगी कि उनसे पहले किन किन चीजों पर टैक्स लिये जा रहा है और जो टैक्स

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बढाये जा रहे हैं वह किस लिये बढाये जा रहे हैं। उधर बैठे हुए मेरे मित्र भौंहें चढा रहे हैं लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यह टैक्स का बोझा आप न्याय से नहीं बढा रहे हैं। आपका मामूली चीजों पर टैक्स बढाना और उसमें पंचवर्षिय योजना का नाम लिया जाना पब्लिक उसको महसूस कर सकती है और अगर पब्लिक उसको वाजिब नहीं समझे तो उसको बदल सकती है। वह सरकार के हाथ रोक सकती है। वह उनको बदल सकती है। सदन को चाहिये जरूरत के टैक्स लिये जावें मगर टैक्स उनसे लिये जावें जिनके पास मौजूद हैं। रियायतें उनको दी जावे जिनको जरूरत है। इस सिलसिले में मेरे पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया और राजस्थान के कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया। मैं सुन रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सज्जन यह बात कह रहा है। आवाज आ रही थी। जैसे चर्चिल या मिस्टर की ५। १० रुपयों से समाजवाद का निर्माण हो जावेगा। आवाज आ रही थी। ५। १० से समाजवाद की तरफ कोई प्रगति हो जावेगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बोल रहा है यह ब्रिटेन की टोरी पार्टी का लीडर बोल रहा है या चर्चिल बोल रहे हैं या यह डलेस की आवाज है या कुन्ना की आवाज है यह उनकी आवाज हो सकती है जिस प्रदेश के लोग रोटी, रोजी के लिए मोहताज है। जिस राज्य के कर्मचारी की तनख्वाह २५। ३५ से शुरू होती है उसको यह कहा जाता है कि पांच या १० रुपये तक तरक्की देने से समाजवाद आ जावेगा। मैं यह कहूँगा कि उनके पेट में तो चूहे बोल रहे हैं उनकी आवाज जरूर आवेगी यह तो कायदे की बात है। अगर उनमें कोई संतोष होगा तो उनके जीवन के स्तर को ऊंचा बढाने में होगा। यह कह दिया गया कि भारत के दूसरे राज्यों की ओर देखा गया और उसके अनुसार वेतन बढ़ाया गया है। अगर आपको उनकी तरफ देखना ही है तो आपको उनकी मंहगाई भत्ता जो दिया जा रहा है उसकी तरफ भी देखना चाहिए। यह नहीं कि एक ही चीज देखी जावे सब देखनी चाहिये। इसके अलावा अगर दूसरे राज्यों में कमी है तो वहां के लोग भी आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार राजस्थान में यह प्रश्न आया उस प्रकार वहां भी वह प्रश्न होगा। मैं यह कहूंगा कि भारत के दूसरे राज्यों की तरफ क्यों देखा जा रहा है? आप इतनी दूर क्यों जा रहे है? मैं चीफ मिनिस्टर से कहूँगा कि आप अपनी कलम को ही देखिये जब आप उदयपुर में श्रम मंत्री थे और जिस समय आपको एवार्ड देने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपने मजदूरों की २८ रुपये तनख्वाह और २६) मंहगाई भत्ता किया था जो आज भी सुखाडिया अवार्ड के नाम से मशहूर है। वह भी ५४) माहवार २८) और २६) मिला कर होते थे। उस मिल में काम करने वालों के लिए आपने ५४ रुपये माहवार कायम किये। शिक्षा के क्षेत्र में नये बच्चों को तैयार करने वाले मास्टरों के लिए आपने कहा कि ५०। ५५ बस खतम। चपरासी के लिए आपने कहा कि २५. १. ३५. के ग्रेड को बढाकर आपने कर दिया २५. १. ४०. और आपने कह दिया कि ५) की तरक्की होगई। बुढापे में वह चलते चलते आगे जावेगा कहीं रिटायर होगा उस समय तक उसको ५ रुपये की तरक्की होगी। कम से कम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जिससे उनका गुजर अच्छी तरह से चल सके। आपने कहा कि वेस्ट बंगाल, बिहार और न मालुम आपने किन किन के नाम बताये मुझे याद, नहीं लेकिन मैं यह कहूँगा कि आपको इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपका ध्यान बहुत नजदीक की ओर दिलाना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि अभी दिया तले अंधेरा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है। आप यहां से दो सो मील दूर जोधपुर की तरफ देखिये। पहले राजस्थान बनने के, वहां पर चपरासियों का ग्रेड ३०. १. ४० था। उसके बाद जब राजस्थान बना उस समय यह उल्टा ५ रुपये कम हो गया। आज हमारे सामने नये ग्रेड बनने की बात हो रही है। क्या ५ या दस रुपयों को बढाने से देश में समाजवाद आ जावेगा? यह बिल्कुल गलत बात है। आप एक शिक्षक की बात ले लें। आप कहते हैं कि भारत सरकार ने ४०) तय किये हैं और हम भी आप प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ४० रुपयों से शुरू कर दिया है। मैं यह कहूंगा कि यह बात बनाकर कही गई है और इसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यह बात बनाकर कही गई है। मैं यह कहूँगा कि भारत सरकार की ओर से सम्मेलन हुआ कि ४०) से कम तो किसी भी हालत में अध्यापकों का वेतन नहीं होना चाहिए और अगर होता है तो हम उसको बरदाश्त नहीं कर सकते और अगर किसी राज्य में ऐसा होता है तो हम उसको सबसी डी देंगे लेकिन आप ४०) से कम वेतन नहीं रख सकते। और भारत सरकार ने यह कहा कि हम ४०) से कम वेतन नहीं देख सकते। यह भारत सरकार ने मिनिमम किया है भारत सरकार बाध्य करेगी। जब आपने ३५के बजाय ४० किया है और १५ रुपये मंहगाई। कुल मिला कर फिर भी ५५ ही मिलते हैं।

वित्त मन्त्री और राजस्थान के सदन के नेता मुख्य मन्त्री शायद इस बात को भूल गये कि भारत सरकार के वित्त मन्त्री ने भाषण करते हुए कहा था कि अब कमोडिटीज़ के कन्जम्शन का जो इन्डेक्स नम्बर है वह ३४२ पर है। सन् १६३६ के मुकाबले में वह इंडेक्स नम्बर ३४२ पर है। आपके ये जो ५५ रुपये यदि ३४२ के इन्डेक्स नम्बर पर हिसाब करके १६३६ के नजदीक लाये तो १२) रु० हो जावे। लड़ाई के पहले आप शिक्षकों को १२) रु० दे रहे थे और यदि उस व्यक्ति के परिवार में ६ आदमी खाने वाले हैं तो २) रु० प्रति व्यक्ति पड़ता है। यह वस्तुस्थिति लड़ाई के जमाने और आज के जमाने में जो कीमतों का स्तर है उन कीमतों के मुकाबले में है। चाहे वह शिक्षक हों, चाहे वह चपरासी हों, चाहे वह पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे वे सेटलमेन्ट के अमीन हों, चाहे दफ्तरी हो और चाहे किसी तबके के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों, उसके परिवार में पेट भरने वाले आदमियों को आप १६३६ के मुकाबले में दो रुपया प्रति व्यक्ति देते हैं।

यह कहें कि कुछ अफसरों की ग्रेड बाहर के आये आंकड़ों के मुताबिक बढ़ा दी। ठीक बात है, जहां आवश्यक हो वहां बढ़ाया जावे, उसके लिए सोचा जाय यह मैं मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वित्त मन्त्री यह कहें कि पैसा नहीं है इसलिए नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यदि आवश्यकता पड़े और पैसा नहीं है तो बड़ों की काटें और छोटों की तनख्वाहों में वृद्धि करें। यह तो हुआ कोई समाजवाद की ओर बढ़ने का तरीका नहीं तो केवल ये शब्द मात्र ही हैं।

कहा यह जाता है कि स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई की व्यवस्था की है। सरकारी मुलाजिमों को इससे फायदा होगा, मैं मानता हूं कि इससे फायदा होगा इसका कोई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

विरोध नहीं करेंगे और कहेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन साथ साथ यह कहें कि स्कूलों में फीस सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए बिल्कुल बंद कर दी है इसका बड़ा भारी परिणाम नीचे के कर्मचारियों पर पड़ेगा। मिडिल तक तो वैसे ही फीस नहीं थी राजस्थान के अन्दर और मिडिल से आगे चपरासी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दे ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों की हो सकती है, मामूली पढ़ा-लिखा दिया यही काफी हो सकता है।

इन्श्योरेन्स की बात कही। माननीय मित्र ने कहा कि इन्श्योरेन्स लागू करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं नहीं मानता। ठीक है आपने इन्श्योरेन्स सरकारी कर्मचारी के लिए कम्पलसरी कर दिया। पहले नहीं कराते थे उनको भी कराना पड़ेगा। पहले जो कम्पनीज़ थी, कराना चाहते थे उनका वे कर देती थी, प्रिमियम भर देते थे, सरकार नहीं करती थी तो प्राइवेट कम्पनियां कर देती थी लेकिन प्रश्न यह है कि इन्श्योरेंस को सरकार ने कान्ट्रिब्यूट क्या किया ? प्रोविडेन्ट फंड में तो करती है लेकिन इन्श्योरेंस में क्या देती है ? यदि वित मंत्रीजी यह कहते कि चूंकि इन्श्योरेंस कम्पलसरी कर दिया है इसलिए ३५ या ५० रुपये तनख्वाह पाने वालों का कॉन्ट्रिब्युशन जो है, प्रीमियम जो वे भरते हैं वह भी सरकार देगी तो बराबर मैं कहता कि सरकार बधाई की पात्र है। वे कहते हैं कि लागू करना था कर दिया, वे यह नहीं कहते कि कदम वापिस करो।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ समय तो चाहिए ही।

श्री नाथूराम मिर्धा—पांच मिनिट और ले लेंगे साहब।

श्री उपाध्यक्ष—और भी कई वक्ता हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोशिश तो करूंगा। आप आगे के लिए कह दें तो मैं कल शुरू करूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी स्पीच समाप्त हो जाय पहले। पांच मिनिट और।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम से कम २० मिनिट।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ मेरे मित्रों को बड़ा डिस्सेटिसफेक्शन हो रहा है। मैं अगर इररिलेवेंट हो रहा होऊं या ऐसी बात कह रहा होऊं आप मुझे सूचना दे दें, मैं तुरंत रोक दूंगा। मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो दूसरी ओर जो स्थिति हुई है और जैसे जैसे तनख्वाहों का स्तर बढ़ा है वैसे वैसे उनकी तरक्की भी हुई है। ५०) रुपये की तरक्की भी हुई है, १००) की तरक्की हुई है। ग्रेड पांच सौ की थी तो ७००) हो गई। डिप्टी सेक्रेटरी के सम्बंध में देखिये। २००) की तरक्की। कुछ हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं उनको २५०) की तरक्की और ५००) की ग्रेड में बढ़ोतरी। जिनकी ग्रेड पांचसौ थी उनकी सात सौ। जिनकी पे बढ़ाई गई मैं यह नहीं कहता कि नहीं बढ़ाई जाये। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो, तरक्की देना चाहते हैं तो पीछे वालों को आगे लाओ और फिर बात करो उसकी। अलवर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि स्वयंसेवक हैं। स्वयंम् सेवक के नाते बराबरी का दर्जा तो होना चाहिये। यह राय मेरी नहीं टेक्सेशन कमीशन की राय है। टेक्सेशन कमीशन के एक पोइंट का हवाला देकर यह पोइन्ट समाप्त करता हूं टेक्सेशन कमीशन की रिपोर्ट के पेज १४५ में कहा है :

"We can no longer afford to leave the problem of inequality to the automatic function of economic and social forces. The attainment of a wider measure of equality in incomes, wealth and opportunity must form an integral part of economic development and social advancement."

टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की राय से अमृतसर के प्रस्ताव से पांचसाला योजना का ड्राफ्ट प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उससे पता लगावें कि सरकार की नीति क्या है ?

मैं दो-चार बातें उन विषयों की ओर भी संकेत करूंगा जिन पर काफी बहस हो चुकी है। इस वर्ष भी अन्दाज लगाया गया है कि लैंड रेवेन्यू बढ़ी-चढ़ी होगी। और मेरा अनुमान है कि जो ठीक निकलेगा क्योंकि जागीरों के रिज्यूम होने के बाद कानूनी बाधा उपस्थित नहीं होती। इसी प्रसंग में निवेदन करूं कि पांच-सात दिनों तक भू स्वामियों के सम्बन्ध में बहस हो चुकी है। कुछने कहा कि यह आर्थिक प्रश्न है, कुछ ने कहा कि यह राजनैतिक प्रश्न है, कुछ ने कहा कि यह एक प्रकार से आने वाले चुनावों की तैयरी की दृष्टि से बनाया गया प्रश्न है। माननीय सदस्य से इत्तिफाक करता हूँ जो कहते हैं कि जिन लोगों के हाथ में संचालन है उन्होंने जागीरों को जहां तक संभव हो बचाने के लिये और रियायतें प्राप्त करने के लिये और एक प्रकार की और प्रतिगामी राजनीति चलती रही है इस आन्दोलन की बागडोर लेकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी व्यक्तिश: स्थिति चिन्ताजनक हो, आर्थिक तौर पर कठिनाइयां हों। लेकिन चाहे चिन्ताजनक हो, चाहे आर्थिक कठिनाइयां हों। उसका हल अगर कोई हुआ तो वह दूसरे तरीके से ही होना संभव होगा। ज़मीनों के सम्बंध में जागीर प्रणाली कायम रहे इस रूप से हल होना सम्भव नहीं है और मैं समझता हूँ कि मुख्य मन्त्री जी ने जो सदन में बातें प्रस्तुत की हैं, सरकार की नीति के रूप में जो बातें उन्होंने प्रस्तुत की हैं कि जागीर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रखी नहीं जा सकती और दूसरा जो किसान जिसका जिस जमीन पर कब्जा, है जिस काश्तकार को जिस जमीन का हक मिल चुका है बावजूद इसके कि जिस व्यक्ति की चिन्ताजनक हालत है, जिसके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है उस किसान को उस जमीन से बेदखल नहीं किया जायगा।

मैं समझता हूं, ये दोनों ऐसे अधिकार हैं जिन अधिकारों को किसी हालत में भी नहीं छोड़ाना चाहिये। इन दोनों चीजों को अलग करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की तो राजस्थान के किसानों के साथ और प्रगतिशील विचार वालों के साथ अन्याय होगा। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि भू स्वामियों का आन्दोलन के बारे में जो बातें कही जाती हैं वह बढ़ा बढ़ा कर बातें कही जाती हैं। मैं मानता हूं अगर इस आन्दोलन के बारे में किसी को हमदर्दी है तो लाखों आदमियों की हमदर्दी के लिये सैकड़ों आदमी जेल गये, जिस को हमदर्दी है उसका पहला कर्तव्य यह होना चाहिये जिन लोगों के हाथों में इसकी बागडोर है और जो लोग जागीरें कायम रखने का भुलावा देकर पुराने जमाने की स्थिति के बारे में गांवों में यह आवाज देकर गलत मार्ग दर्शन करने वालों का साथ छोड़ें। उनको साथ छोड़कर किसानों के विरोध में आवाज नहीं बल्कि वे चाहते हैं कि किसी तरह उनका जागीरों पर कब्जा रह जाय। मेरी समझ में जो मौजूदा आन्दोलन है वह किसानों के हित से टकराने वाला आन्दोलन है प्रगतिशील विचार वाले लोगों के हितों से टकराने वाले लोगों का आन्दोलन जो कभी कामयाब नहीं हो सकता।

मैं यह समझता हूँ उनकी चाहे कुछ भी स्थिति हो जमीन और लगान के सम्बन्ध में जो कुछ भी नीति अपना ली गई है उस सम्बन्ध में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये।

राजस्थान में एक और प्रश्न है जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ला एन्ड आर्डर की स्थिति के बारे में जहां तफसील से जिक्र है, राजप्रमुख के अभिभाषण पर जिक्र करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने बलवन्तसिंह के बारे में जिक्र किया कि हमने उससे आत्मसमर्पण करवाया इस पर इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों ने दिलचस्पी बतलाई। शुरू शुरू में ऐसा महसूस होता था यह कोई तात्विक प्रश्न है। बाद में ऐसा लगा यह तात्विक प्रश्न नहीं व्यक्तिगत भी नहीं यह प्रश्न अन्त तक अपनी बातों को दबा कर चलने का प्रश्न है। मेरे बहुत बुजुर्ग मित्र कह गये कि डाकुओं की समस्या को हल करने को दो तरीके होते हैं रोटी और गोली। मुझे नहीं मालूम यह क्रिमीनोलोजी का ज्ञान उन्होंने कहां से प्राप्त किया। मुझे यह भी नहीं मालूम इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण डाकू समस्या के बारे में रोटी का प्रश्न लागू करने की किस जगह से अपनाई गई। दुनियां के अन्दर ऐसा कोई देश नहीं जो डाकू की समस्या का सम्बन्ध रोटी से करता हो। समाज के अन्दर कुछ खामी है यदि उसको हम दूर कर सकते हैं तो यह समस्या हल हो सकती है अगर कोई व्यक्तिगत रूप से समाज विरोधी तरीका अपनाता है तो उसके बारे में सख्ती बरती जानी चाहिए। अगर सख्ती नहीं बरती जाती है तो यह उन लोगों के प्रति अन्याय है जो उसके रहम पर रहते है। मुझे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह सुनकर ताज्जुब हुआ उस प्रवृत्ति की आलोचना तो करना दूर रहा उसको रोटी देने की बातें सोचते हैं ! यहां यह भी सुनने में आया कि एक जिम्मेदार कांग्रेस के व्यक्ति डाकू से मिलने गये और पुलिस को साथ लेकर गये गृह मंत्री महोदय से पूछ कर गये जब यह गृह मंत्री से पूछा गया तो कहा गया कि सरकार की यह नीति है कि जो डाकू सरेन्डर करना चाहें उसे कराया जाय। साथ साथ वे यह भी कह रहे थे उनको तसल्ली दिलाने के लिये गये। किस बात की डाकू को तसल्ली दिलानी थी ? ये जो कहेंगे वह लागू हो जायगा यह कौन सी बात है यह क्या कोई शर्तनामा हो रहा है ? मथुरादास जी और मोहनसिंह जी सरकार की ओर से जाकर आश्वासन दिलायेंगे तभी जाकर डाकू सरेन्डर करेंगे यह क्या कोई सिविल वार हो रही है ? 'पानमुनजोन' का सम्मेलन हो रहा है जहां दो दलों के बीच में एक सफेद झण्डा बता दिया और कमान्डर जाते हैं और संधी हो जाती है। वे लोग होते कौन हे इस प्रकार की बातें तय करने वाले। डाकू और सरकार के बीच इस प्रकार के समझौते कराने का उनको क्या अधिकार है सरकार की ओर से मथुरादास जी और मोहनसिंह जी जाते हैं साथ में पुलिस भी जाती है और वे वापिस आते हैं यह कहा जाता है कि एक आदमी मिलें तो गलती नहीं। यह गलत दृष्टिकोण है। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं यह नही कि ६ नवम्बर को किसकी सरकार थी और आज किसकी सरकार है सरकार जो एक ही पार्टी की रही है। इस बारे में जहांतक छानबीन करने का प्रश्न है आपके लिए पार्टी मिटिंग की जगह खाली है। आप वहां यह बातें कर सकते हैं। यह डाकुओं को आत्म समर्पण कराने की गलती ६ नवम्बर १९५४ से हो रही है और वह लगातार की जा रही है। यह दृष्टिकोण आम और सामान्य लोगों का हैं। चाहे जिसने गलती की हो लेकिन एक बार जिसने गलती करदी उसके आगे बढ़ने की कोई आशा नहीं। अगर उन्होंने की तो उनकी गलती अगर मौजूदा सरकार करती है तो यह इसकी गलती मौजूदा सरकार के वक्त से जो समाजवाद का नारा सुनने को मिला है अगर उसके द्वारा यह गलती हुई है तो यह उसने सवाई गलती की यह हम लोगों का दृष्टिकोण है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्व का मुद्दा है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिसका सम्बन्ध सिंचाई के बारे में हैं और कुछ हद तक विद्युत के बारे में जो कुछ आंकड़े इनके लिये रखे गये हैं वे पर्याप्त नहीं है। आज बिना सिंचाई के हम देश को आगे नहीं ले जा सकते आंकड़े रखने के बाद एक और दूसरी चीज़ है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है वह महज इसलिये नहीं कि मैं कह रहा हूँ माफ कीजिये मैं टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रपोर्ट के उद्धारण दूंगा और उस उद्धारण से यह पुष्ट करना चाहता हूं, जिसमें कहा है :—

"Public expenditure in India has been moving increasingly toward beneficient expenditure but it cannot be said with equal certainty that its is moving towards economy and efficiency."

तो प्रश्न मैं यह उपस्थित करना चाहता हूँ हम यह देखें कि जो फाइनेन्सियल इम्पलीकेशन होते हैं उससे रिटर्न हमको कितना मिलता है। हम यह देखते आयें हैं कि सरकार के अन्दर किसी एफीसियेन्सी और इनकम की ओर तो प्रयत्न ही नहीं किया जाता बल्कि ऐसे ऐसे मामले

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं जिनमें भयंकर किस्म की कमजोरी से काम करती है इस पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता कट मोशिन्स के समय में उन बातों पर प्रकाश डालूंगा। मैं इस किस्म की एक दो मिसालें आपके सामने दूं कि हमारे कार्यों में कितना टोप हेवीनेस है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया एग्रीकलचर विभाग में एक स्कीम चालू की गई जिसका नाम था डिपनिंग एन्ड बोरिंग आफ बाई राक ब्लास्टिंग जिसके लिये कम्प्रेसर यूनिट्स खरीदे जाते हैं जिसके लिये करीब बीस तीस लाख रुपये की पूंजी इसमें लगाई गई है इस योजना को पूरी करने के अन्दर। क्या कभी इस बात का भी ख्याल किया गया है बीस तीस लाख की जो पूंजी इसमें लगी है इससे कितने कुए खोदे गये और कितने गहरे किये गये ? तीन साल में मटेरियल गेन क्या हुआ तीस लाख की यह योजना करके आपने क्या मटेरियल गेन किया क्या किसी ने इस ओर ध्यान दिया ? मैं समझता हूं सारा का सारा ढांचा टोपी हेवीनेस का है खेती में सुधार की दृष्टि से किसानों के जीवन की सुधार की दृष्टि से न तो इसका प्रयोग हो रहा है जितनी पूंजी लगी हुई है वह एक प्रकार से बेकार है। इसकी मैं एक मिसाल और दूं पिछले साल पांच सात और दस लाख के कम्प्रेसर यूनिट्स खरीदे गये खरीददारी वह किस प्रकार हुई इसका जिक्र तो मैं कट मोशन के वक्त करूंगा! उनकी खरीद के बाद विभाग ने अब तक उसके लिये स्टाफ तक नहीं रखा, आज नहीं कल शाम तक नहीं रखा गया था मेरी सूचना के अनुसार वे कम्प्रेसर्स पड़े पड़े हवा खा रहे हैं। बरसात में उनमें पानी भर जाता है पेट्रोल आदि में जब पानी घुस जाता है तो उनके लिये १००-२०० रुपये और खर्च करने पड़े।

तो स्टाफ नहीं और यह दस लाख रुपया लगा कर वे कम्प्रेसर रख दिये गये। यह क्या है ? यह वेस्टफुलनैस नहीं है और टोप हैवीनेस नहीं है तो क्या है ? यही चीजें मैं पी. डब्ल्यू. डी. महकमे की अर्ज करूं। राजस्थान सरकार के पास ३२६ रोड रोलर्स हैं और इन ३२६ को वे ३५ रुपया से लेकर ४२ रूपया रोज के किराये के हिसाब से किराया देते हैं। यदि ४० रुपया रोज के किराये का एवरेज भी लगाया जावे तो ३६५ रोज के हिसाब से एक रोड रोलर के पीछे सरकार को साल भर में १४।१५ हजार रुपया देना पड़ रहा है जब कि उसकी कीमत २४।२५ हजार के लगभग है। और यह क्रम सालों से चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता सालों से आप जिस चीज की पूरी की पूरी कीमत ही किराये के रूप में देते रहे हो उसके किराये का इतना भारी पैसा खर्च करते जाओ तो फिर अपनी उसी पूंजी से नये क्यों नहीं खरीद लेते हो ? हर साल पचीस तीस रोड रोलर क्यों नहीं खरीद लेते। कोई कहता है टेन्डर मंगाये गये। इसमें यह खामी रह गई। दिल्ली की सरकार ने यह गलती की, उसने यह गलती की, यह सब क्या है ? पर हकीकत यह है कि गये साल २१ रोड रोलरों की खरीद के लिए आर्डर भी दे दिया गया पर इसके बाद वापिस कदम हटा लिया गया। कहां से सरकार प्राप्त करे, कैसे प्राप्त करे, किससे प्राप्त करे यह तफसील की चीजें हैं जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। पर यह एक ऐसा सीगा है जिसमें सरकार के रुपयों का बड़ा भारी वेस्ट हो रहा है। करीब पचास लाख रुपया साल का किराया ही किराया में चला जा रहा है और यह सब हो रहा है टोप हेवीनेस और वेस्टफुल नैस की वजह से।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एजुकेशन विभाग में सन् ५४ के मार्च महीने में किताबें खरीद ली गई ५० हजार की। बाद में मालूम हुआ कि जिस स्कीम के मातहत ये किताबें खरीदी गई उस स्कीम को भारत सरकार ने मन्जूरी नहीं दी। अब उनमें दीमक लग रही है, कुर्सियों में से १२ कुर्सियां गायब हैं और एक चपरासी और रखना पड़ रहा है। यह स्थिति आज उस विभाग में हो रही है। यह हालत चारों ओर इस विभाग में नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि सरकार द्वारा इस वेस्टफुलनैस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसमें सरकार का दृष्टिकोण इतना गलत है कि मैं इस पर अगर यह कहूँ कि उसको और प्रोत्साहन ही दिया जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं अर्ज करना चाहूँगा हमारे यहां एक शार्दुल टैक्सटाइल मिल है जिसमें राजस्थान सरकार का साढे आठ लाख रुपया बिजली के किराये का बाकी था और राजस्थान के पी. डब्लू. डी. मन्त्री के हुक्म से इनकी बिजली बन्द करदी गई। इस के बाद उन पर जे. पी. श्रीवास्तव साहब के नुमाइन्दे जयपुर तशरीफ लाते हैं, खासा कोठी में ठहरते हैं, बातचीत करते हैं और नतीजा क्या होता है कि जो दो आना यूनिट की रेट से बिजली दी जाती थी उसे अचानक कम करके डेढ़ आना पर दी गई। गवर्नमेन्ट का आर्डर ७ जनवरी ५५ का मौजूद है। आप चाहें तो उसका नम्बर और रेफरेन्स भी दे दूं। सात जनवरी, ५५ का वह आर्डर है जिसमें यह साफ सरकार का हुक्म है कि सारे थर्मल स्टेशन राजस्थान के जो हैं उनसे सप्लाई की जाने वाली बिजली की रेट दो आने लगाई जावे। इससे कम नहीं। इस आर्डर का भी कोई खयाल नहीं रक्खा गया और डेढ़ आना रेट कर ली गई और उस साढ़े आठ लाख रुपये का जो पहले का बकाया है उसका क्या हुआ? इसमें १॥ लाख रुपया फाइन का और मिलाकर कुल दस लाख रुपया उनसे लेना था। पर इस दस लाख का पांच लाख में सौदा पटा। पांच लाख ले देकर सब बातें फाइनल करदी जाती हैं। यह कैसे हो जाता है मैं पूछता हूं। सारी दुनिया कहती है और मैं भी कहता हूं इस मामले में कुम्भारामजी ने काफी दिलचस्पी ली, यह मालूम हो चुका है अच्छी तरह से।

एक माननीय सदस्य—किस चीज की दिलचस्पी ली?

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस चीज की दिलचस्पी हुआ करती है यह सब जानते हैं। रुपये के लेने देने की बात में दिलचस्पी ली थी। इतना ही नहीं पर कल विरोधी दल के नेता ने भी पांच सात चीजें नई प्रस्तुत की। नई जीप और सरकारी जीप खड्डे में गिरकर टुट फूट गई थी। बिल बना १२ सौ तेरह सौ का। मामला चला। ऊपर तक गया। सवाल पैदा हुआ कि यह रिपेयरिंग के बिल का पैसा कौन चुकावे, जिसके द्वारा तोड़ी गई वह चुकावे पर उससे वसूल करना आसान काम नहीं था। हुआ यह अन्त में कि वह बिल राइट आफ हो गया। मैं समझता हूँ कि ऐसी कई चीजें हैं। जमीनों के बारे में हैं, कोटडी के ठिकाने के कम्पेन्सेशन के बारे में हैं और ये सब चीजें हो रही हैं उन पर से मैं मजबूर होकर ऐसा मानने लग गया हूं कि यह सब सरकार के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दृष्टिकोण के अन्दर भयंकर गलती की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और फिर बताऊं ऐसा क्यों मानने लग गया हूँ।

१७ मार्च, ५५ को मैंने इस सदन में एक पत्र प्रस्तुत किया था, श्री माथुर का लिखा हुआ था वह पत्र। अब १७ मार्च, ५६ आ रहा है। एक साल हो गया इसको उपाध्यक्ष महोदय, दो बार सदन में वही प्रश्न आया और पिछली बार जब एक प्रस्ताव के सिलसिले में प्रश्न आया था तो सदन के नेता ने जोर देकर और खड़े होकर यह कहा कि सदन की परम्पराओं पर ध्यान रखकर चलना चाहिये और परम्परा के नाम पर प्रस्ताव वापिस लिया गया। पर उस परम्परा की ऐसी हालत हुई कि वह सारा मामला ही ठंडा हो गया। आज के दिन तक जो इस सदन में जांच के बड़े बड़े आश्वासन और बड़ी बड़ी बातें कही गई, वायदे किये गये कि मैं इस स्थिति में हूँ कि वह जांच करके अध्यक्ष को अपने विश्वास में लूंगा, पर वह जांच आज तक नहीं की गई। क्या बात है? क्यों नहीं हो रही है वह जांच अभी तक? उस दिन कहा गया उपाध्यक्ष महोदय, (घंटी) मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है यह सदन की परम्पराओं से ताल्लुक रखने वाली है।

श्री नाथूराम मिर्धा—वही बात कह रहे हैं जो बीसों दफे कही जा चुकी हैं। हमने इनकी ये बातें काफी सुन रखी हैं साहब।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तसल्ली रक्खो, नई बात कह रहा हूँ। पुरानी बातें नहीं कहूँगा। वे तो बेकार की बातें कहीं मैंने। तब सदन के नेता ने खड़े होकर कहा था कि परम्पराओं का ध्यान रखा जाना चाहिये और मुझ पर यह लान्छन लगाया गया कि मैंने वह चिट्ठी परम्परा का ख्याल रक्खे बगैर सदन में प्रस्तुत कर दी। इस पर दूसरी बार मैंने इस परम्परा का ख्याल रक्खा और मुझे एक सूचना मिली। जिस समय सूचना मिली थी राजस्थान सरकार के मंत्री श्री कुम्भारामजी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का ट्रैक्टर अपने घर काम करने के लिये मंगवाया। उसकी न अर्जी थी, न फीस जमा कराई और जिस दिन मैंने इस बात का सदन में जिक्र किया उस दिन तक बिल भी नहीं बना। वे ओरिजिनल कागजात मेरे पास मौजूद हैं जिसके द्वारा मैं साबित कर सकता हूँ कि यह ट्रैक्टर आया उनके फार्म में गया या नहीं गया।

एक माननीय सदस्य—वह ओरिजिनल पेपर आपके पास कैसे आ गये?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हवा में उड़ते उड़ते एक दिन आ रहे थे तो मैंने पकड़ लिया उनको। तो मैंने उस परम्परा का लिहाज करते हुए और तुरन्त जाकर सदन के नेता महोदय से यह कहा कि अगर आप जांच करते हैं और जल्दी से जल्दी जांच करते हैं तो ओरिजिनल कागज आपको दिखाने को तैयार हूँ और मेरा ख्याल है कि वे यहां इस बात की साक्षी देंगे कि मैंने उन्हें वे ओरिजिनल कागज दिखाये। यह नवम्बर की बात है। आज मार्च का महिना होने को आया, पर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मुझे, जांच नहीं होकर ही मामला रह जाता तो केवल अफसोस होता पर जांच नहीं हो रही है इतना ही नहीं, थोड़ा गुस्सा भी आने लगा यह बात जानकर कि विभाग में फर्जी कागज़ तैयार किये जा रहे हैं। जांच न करना अलग बात है, मैं इसको इतना बुरा नहीं मानता पर विभाग में फर्जी कागज तैयार होने शुरू हो गये, इस पर मुझे गुस्सा भी आने लग गया। मेरे विधान सभा में बोलने के बाद तीन दिन बाद यह तैयारी होने लगी। उच्च अधिकारी बाहर गया हुआ था, वह आया और तीन दिन बाद उसका बिल बना और यह फर्जी तौर पर बैक डेट पर बिल बनाया गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगर जांच करने की हिम्मत अब भी हो आपकी तो वे सारे कागज यहां मंगवाये जांय। मैं तीन घंटे के अन्दर अन्दर साबित कर दूंगा कि क्या मामला है। मैं रिकार्ड से साबित करने को तैयार हूँ। मैं ओरिजिनल कागज भी प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। पर मामला यहीं तक नहीं रहा। जिस लॉगबुक में काम करने को उल्लेख है, उस लॉग बुक के बारे में ऐसी अफवाह है कि वह लॉगबुक भी गायब हो गई है। मैं बताऊंगा इस बात को कि वह लॉगबुक थी और उसमें इन्दराज था क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी आंखो से वह लॉगबुक भी देखी है। वे कागजात, वह डिस्पेच रजिस्टर, वे और दूसरे कागजात सारे प्रस्तुत करें। चाहे जिस आदमी के सामने प्रस्तुत करें। मेरा यह दावा है कि मैं तीन घंटे में यह सारा मामला साबित कर दूंगा। पर जांच नहीं। जांच करना चाहते हो तो सामने आओ और जांच करो न।

वही मन्त्री महोदय, टी. ए. बिल का चार हजार रुपयों का हिसाब लिये बैठे हैं। उसका अकाउन्ट फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में पेश हुआ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। यह तो वे ही बतावेंगे। अगर हुआ हो तो आज शाम को या कल सुबह तक तो टी० ए० के अगेन्स्ट में चार हजार का एडवांस अकाउन्ट फोर (account for) नहीं हुआ है। इसके बाद की मैं नहीं कह सकता। आज शाम या कल सुबह तक तो हिसाब विभाग के पास यह हिसाब नहीं पहुंचा। मन्त्री थे, टेलीफोन किये गये पर टेलीफोनों का कोई रजिस्टर नहीं रक्खा गया और परिणाम यह है कि हिसाब के अभाव में उसका पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ। किस पर्पज के लिये कॉल्स (Calls) बुक हुई, यह दर्ज नहीं है। इस वजह से मामला अटका हुआ है। कल शाम के पांच बजे तक तो अकाउन्ट्स पेश नहीं हुए। अगर हुआ हो तो २४ घंटों की मोहलत है, कल सुबह सदन की मेज पर लाकर रख दें। बाद में मामले को मैनीपुलेट किया जावे तो बात दूसरी है। इसलिये चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि इसमें पक्षपात पाया गया, जिस इकनोमी का ख्याल रक्खा जाना चाहिये था वह इस बजट में नहीं रक्खा गया। इसमें कोई ढंग से कदम नहीं उठाया गया। चारों ओर घोटाले ही घोटाले व्याप्त हैं।

और इस लिये बजट के बारे में यह कहूंगा कि जो इस तरह के चालबाजी से रक्खे हुए आंकड़े हैं यह शोभा की बात नहीं है। पर यह सदन का फर्ज है कि जो ठीक कार्य हैं, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का कार्य हैं; शिक्षा का, सिंचाई का या आम लोगों के हित का कार्य है उससे हमारा विरोध नहीं है। ऐसे कार्यों के लिए हम अपना समर्थन देने के लिये तैयार हैं। पर लोगों के ऊपर बोझा लादने के, भ्रष्टाचार के और इस प्रकार के जो कार्य हैं उसका विरोध किया जावेगा। और गैर जिम्मेदारी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के रूप का भी विरोध किया जावेगा और यह स्थिति राजस्थान की जनता की मैंने आपके सामने रक्खी है और इस बजट के आंकड़ों के सम्बन्ध में भी जो स्थिति है और जो सरकार का दृष्टिकोण है वह भी रक्खा है और जो भयंकर किस्म की खामियां इसमें हैं, उनको दूर करने के लिये सारे सदन को प्रयत्नशील होना चाहिये। ये शब्द कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—या तो अभी समय दिया जाय या फिर ४ बजे सेशन बुलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(चारों ओर से 'ना' की आवाजें)

सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है कल सुबह ८॥ बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही १ बजकर २ मिनिट पर अगले दिन ता० १४।३।५६ के साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १३ मार्च, १९५६.

मन्साराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५० का उत्तर देखिये)

जनवरी १६५५ से एक से अधिक बार तबादला किये गये आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारियों की सूची

संख्या	नाम	पद से	पद पर	समयान्तर
		आई. ए. एस. अधिकारी।		
१.	श्री भीमसिंह	एस. डी. ओ., सीकर।	एस. डी. ओ., कोटा।	१७. १, ५५
		एस. डी. ओ., कोटा।	डिप्टी सेक्रेट्री एग्रीकल्चर कारपोरेशन।	१७. १. ५६
२.	श्री भंवरलाल रावत	कलेक्टर, बांसवाडा।	सचिव शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग।	२. ५. ५५
		सचिव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग।	कमिश्नर, कोटा।	३०. १२. ५५
३.	श्री विष्णुदत्त शर्मा	डाइरेक्टर सिविलसप्लाइज।	कलेक्टर अलवर।	२. ५. ५५
		कलेक्टर अलवर।	डाइरेक्टरआफ डवलपमेंट।	२४. ६. ५५
४.	श्री आर. डी. थापर,	डिप्टी सेक्रेट्री होमविभाग।	कलेक्टर कोटा।	२. ५. ५५
		कलेक्टर कोटा।	एडीशनल डाइरेक्टर। ऑफ एजूकेशन।	१६. १. ५६
५.	श्री सुरेन्द्रसिंह	कलेक्टर सीकर।	सैटिलमेंट ऑफिसर अलवर।	२. ५. ५५
		सैटिलमेंट आफिसर अलवर।	कलेक्टर कोटा।	३०. १२. ५५
६.	श्री सम्पतमल भंडारी	कलेक्टर भरतपुर।	कलेक्टर कोटा।	१०. १०. ५५
		कलेक्टर कोटा।	रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज।	३०. १२. ५५
७.	श्री एम. यू. मैनन,	कलेक्टर झालावाड।	स्थानापन्न कमिश्नर, कोटा।	२६. १. ५५
		कमिश्नर कोटा।	कमिश्नर स्टेट कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग्स।	३०. १२. ५५
		आर. ए. एस. अधिकारी।		
८.	श्री नरेन्द्रसिंह	असिस्टेन्ट कलेक्टर (जागीर)। नागौर।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट चूरू।	१७. १. ५५
		असिस्टेन्ट कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट चूरू।	सब डिवीजनल ऑफिसर छावड़ा।	२५. ११. ५५

संख्या	नाम	पद से	पद पर	समयान्तर
९.	श्री गोपाललाल कपडदार	एस. डी. ओ. परबतसर ।	एस. डी. ओ. हुरडा ।	१७. १. ५५
		एस. डी. ओ. हुरडा ।	असिस्टेन्ट कमिश्नर, खुदकाश्त, सीकर ।	३. ११. ५५
१०.	श्री रामसिंह	एस. डी. ओ. हुरडा ।	एस. डी. ओ. जैसलमेर	१७. १. ५५
		एस. डी. ओ. जैसलमेर ।	डिप्टी कलैक्टर (जागीर) पाली ।	३. ११. ५५
११.	श्री आर. सी. गुप्ता	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर ।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सांभर ।	१७, १. ५५
		असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सांभर ।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीग ।	२५. ११. ५५
१२.	श्री एस. एन. भार्गव	एस. डी. ओ., कपासन ।	सिटी मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।	१७. १. ५५
		सिटीमजिस्ट्रेट, भरतपुर ।	असिस्टेन्ट, कमिश्नर, देवस्थान, जयपुर ।	११. ६. ५५
		असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान, जयपुर ।	एक्ससाइज मजिस्ट्रेट, जयपुर ।	२३. १. ५६
१३.	श्री गणपतराय शर्मा,	सिटी मजिस्ट्रेट, भरतपुर,	एस. डी. ओ., झुन्झुनू ।	१७. १. ५५
		एस. डी. ओ., झुन्झनू ।	एस. डी. ओ. मालपुरा ।	६. १२. ५५
१४.	श्री गजराज ओझा,	एस. डी. ओ., झुन्झुनू ।	एस. डी. ओ., नीम-काथाना ।	१७. १. ५५
		एस. डी. ओ., नीमकाथाना ।	एस. डी. ओ., सीरोज ।	
१५.	श्री विद्यासागर शर्मा	असिस्टेन्ट कलक्टर एवं मजिस्ट्रट, उदयपुर ।	एस. डी. ओ., नैनवा ।	१७. १. ५५
		एस. डी. ओ. नैनवा ।	स्पेशल मजिस्ट्रेट, जयपुर ।	२३. १. ५६
१६.	श्री चन्द्रशेखर	एस. डी. ओ., नैनवा	डिप्टी कलैक्टर (जागीर) सवाई मधोपुर ।	१७. १. ५५
		डिप्टी कलैक्टर, (जागीर) सवाई माधोपुर ।	एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल बोर्ड जोधपुर	२२. १०. ५५

संख्या	नाम	पद से	पद पर	समयान्तर
१७.	श्री श्यामलाल	एस. डी. ओ., बयाना।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा	१७. १. ५५
		असिस्टेन्ट कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा।	लैन्ड एक्वीजीशन ऑफिसर, जोधपुर।	११. ११. ५५
१८.	श्री के. जी. राव	असिस्टेन्ट कलक्टर मजिस्ट्रेट, कोटा।	एस. डी. ओ., बयाना।	१७. ११. ५५
		एस. डी. ओ., बयाना।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।	१. ८. ५५
		असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, भीलवाडा	एस. डी. ओ., राजगढ़।	११. ११ ५५
१९.	श्री निरन्जन सिंह	डिप्टी कमिश्नर, कस्टम्स एन्ड एक्साइज, कोटा।	डिप्टी कमिश्नर, कस्टम्स एन्ड एक्साइज, जयपुर।	१८. १. ५५
		डिप्टी कमिश्नर, कस्टम्स एन्ड एक्साइज, जयपुर।	कलैक्टर, बूंदी।	९. ११. ५५
२०.	श्री जगपालसिंह	एस. डी. ओ. करनपुर।	असिसटेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।	१. २. ५५.
		असिस्टेन्ट कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।	एस. डी. ओ., कुशलगढ़।	१. ८. ५५
२१.	श्री मानदातासिंह	डिप्टी सेक्रेट्री टू हिज हाईनेस दी राजप्रमुख।	एस. डी. ओ., टोंक।	१. २. ५५
		एस. डी. ओ. टोंक।	डिप्टी सेक्रेट्री टू हिज हाईनेस दी राजप्रमुख।	२२. ३. ५५
		डिप्टी सेक्रेट्री टू हिज हाई-नेस दी राजप्रमुख।	रेल्वे मजिस्ट्रेट, जयपुर।	११. ११. ५५
२२.	श्री एस.एन मिश्रा,	एस. डी. ओ., भीनमल।	डिप्टी कलेक्टर (जागीर) उदयपुर।	१. २. ५५
		डिप्टी कलैक्टर, (जागीर) उदयपुर।	एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल बोर्ड, जयपुर।	२२. ६. ५५

संख्या. नाम.	पदसे.	पद पर.	समयान्तर.
२३. श्री रोशनलाल माथुर	सेटिलमेन्ट ऑफिसर, जोधपुर।	डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआप-रेटिव सोसाइटीज़।	१६. २. ५५
	डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआप-रेटिव सोसाइटीज़।	रजिस्ट्रार, बोर्ड आफ रेवेन्यू।	१६. ५. ५५
२४. श्री गजानंद	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेटर जयपुर।	रेल्वे मजिस्ट्रेट जयपुर।	२३. २, ५५
	रेल्वे मजिस्ट्रेट, जयपुर।	असिस्टेन्ट कलैक्ट एवं मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना।	११. ११. ५५
२५. श्री रघुराजसिंह	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सांभर।	असिस्टेन्ट कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।	२४. २. ५५
	असिस्टेन्ट कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट जयपुर।	एस. डी. ओ., राजगढ़।	७. १. ५६
२६. श्री भवानीशंकर	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगानगर।	एस. डी ओ., भीम।	२४. २. ५५
	एस. डी. ओ., भीम।	एस. डी. ओ., टोंक।	१. ८. ५५
२७. श्री हजारीचंद	एस. डी. ओ., भीम।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगानगर।	२४. २. ५५
	असिस्टेन्ट कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगानगर।	असिस्टेन्ट कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट बूंदी।	२१. २. ५६
२८. श्री बद्रीदास	एस. डी. ओ., किशनगढ़।	एस. डी. ओ., सोजत।	२४. २. ५५
	एस. डी. ओ., सोजत।	डिप्टी कलैक्टर (जागीर) जोधपुर।	१८. १. ५६
२९. श्री श्रीकिशनदास	एस. डी. ओ., फलौदी।	एस. डी. ओ., बांसवाड़ा।	२४. २. ५५
	एस. डी. ओ., बांसवाड़ा।	एस. डी. ओ., चित्तौड़।	२३. १. ५६
३०. श्री आर.डी. खन्ना,	सेक्रेट्री टू हिज हाईनेस दी राजप्रमुख।	कलेक्टर, बूंदी।	२. ५. ५५
	कलेक्टर, बूंदी।	सेक्रेट्री टू हिज हाईनेस दी राजप्रमुख।	३. ११. ५५

Page No 102

संख्या	नाम	पद से	पद पर	समयान्तर
३१.	श्री नारायणदास मेहता,	सेक्रेटरी बोर्ड आफ रेवेन्यू ।	एडीशनल कलेक्टर जयपुर ।	२४-३-५५
		एडीशनल कलेक्टर जयपुर ।	डिप्टी सेक्रेटरी, रेवेन्यू विभाग ।	२६-६-५५
३२.	श्री मोहनसिंह भंडारी	सिटी मजिस्टरेट, जयपुर ।	एस. डी. ओ., आमेर ।	२६-५-५५
		एस. डी. ओ., आमेर ।	एस. डी. ओ. एन्ड डवलपमेन्ट ऑफिसर, डूंगरपुर ।	६-१२-५५
३३.	श्री चम्पालाल कोपर	एडीशनल कमिश्नर, उदयपुर ।	कलेक्टर, गंगानगर ।	२-५-५५
		कलेक्टर, गंगानगर ।	कोलोनाइजेशन ऑफिसर, राजस्थान कैनेल प्रोजेक्ट, बीकानेर ।	२२-६-५५
३४.	श्री जीवनसिंह चौधरी	एस. डी. ओ., जोधपुर ।	डिप्टी कलेक्टर (जागीर) पाली ।	१७-१-५५
		डिप्टी कलेक्टर, जागीर, पाली ।	डिप्टी कलेक्टर, जागीर, टोंक ।	३-११-५५
३५.	श्री इन्द्रसिंह मेहता	एस. डी. ओ., टोंक ।	डिप्टी कलेक्टर, जागीर, टोंक ।	१७-१-५५
		डिप्टी कलेक्टर, जागीर, टोंक ।	एडीशनल कलेक्टर, सवाई माधोपुर ।	२६-६-५५
३६.	श्री नरेन्द्रमोहन सक्सेना	अवकाश से लौटने पर ।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक ।	१०-६-५५
		असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक ।	सहायक सचिव, रेवेन्यू विभाग ।	१७-२-५६
३७.	श्री हजारीलाल मेहता	अवकाश से लौटने पर ।	एस. डी. ओ., बीकानेर ।	१८-८-५५
		एस. डी. ओ., बीकानेर ।	एडीशनल कलेक्टर, कोटा ।	२६-६-५५
३८.	श्री एम. जी. दलेला	डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज	डिप्टी सेक्रेटरी, कोपरेटिव, इर्रीगेशन ।	७-६-५५
		डिप्टी सेक्रेटरी, कोपरेटिव इर्रीगेशन ।	डिप्टी सेक्रेटरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ।	१७-१-५६

Page No 103

संख्या	नाम	पद से	पद पर	समयान्तर
३६.	श्री नन्दलालसिंह	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, राजगढ़।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बूंदी।	३-११-५५
		असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बूंदी।	असिस्टेन्ट चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर।	१४-२-५६
४०.	श्री रामकरन गुप्ता	असिस्टेन्ट कलेक्टर, जागीर, जोधपुर।	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जोधपुर।	१७-१-५५
		असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जोधपुर	हाउसिंग ऑफिसर, जयपुर	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर देखिये)

जनवरी, ५५ के बाद आई० ए० एस० और आर० ए० एस० केडर में क्रिएट की गई नई पोस्टों की सूची

संख्या.	पद का नाम.	विभाग का नाम.
	आई० ए० एस०	
	स्थायी ।	
१.	एडीशनल चीफ सेक्रेट्री	सचिवालय
	अस्थायी ।	
२.	प्लानिंग कमिश्नर कम् एडीशनल चीफ सेक्रेट्री	,,
	आर० ए० एस०	
	स्थायी ।	
१.	एडीश्नल कलेक्टर, अलवर ।	सामान्य प्रशासन विभाग ।
२.	,, , सवाई माधोपुर ।	,,
३.	,, , उदयपुर ।	,,
४.	,, , कोटा ।	,,
५.	असिस्टेन्ट चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर कम असिस्टेन्ट सेक्रेट्री ।	इलेक्शन विभाग ।
६.	डिप्टी डाइरेक्टर, कंसौलीडेश्न, जयपुर ।	राजस्व विभाग ।
	अस्थायी ।	
७.	डिप्टी सेक्रेट्री पावर प्रोजैक्ट्स स्टैंडिंग कमेटी ।	सचिवालय ।
८.	सहायक सचिव ।	,,
९.	,,	,,
१०.	लाइजन ऑफिसर, एस. आर. डी.	,,

संख्या	पद का नाम	विभाग का नाम
११.	कोलोनाइजेशन ओफिसर, चम्बल ईरिगेशन प्रोजैक्ट, कोटा।	राजस्व विभाग।
१२.	कोलोनाइजेश्न ओफिसर, कैनल प्रोजेक्ट, बीकानेर।	,,
		,,
१३.	असिस्टैन्ट कमिश्नर खुदकाश्त, सीकर।	,,
१४.	,, ,, , नागौर।	,,
१५.	,, ,, , झुन्झुनू।	,,
१६.	डाईरेक्टर आफ रिलीफ एण्ड रिहैबीलीटेशन	रिलीफ एण्ड रिहैबिलीटेशन विभाग।
१७.	फॉरेस्ट सेटिलमेंट ओफिसर, कोटा।	जंगलात विभाग।
१८.	,, ,, उदयपुर।	,,
१९.	कम्यूनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (इन्डस्ट्रीज़)	प्लानिंग एवं डवलपमेंट विभाग।
२०.	हाउसिंग ऑफिसर, जयपुर।	,, ,,
२१.	जोइन्ट डाइरेक्टर, डवलपमेंट (ट्रेनिंग), जयपुर।	,, ,,
२२	असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आफ लैन्ड रैकार्डर्स (भाकरा एरिया) हनुमान गढ़।	इरिगेशन विभाग।
२३	एडीशनल कलेक्टर, गंगानगर।	सामान्य प्रशाशन विभाग।
२४	असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।	
२५	,, बैंगुन।	,,
२६	,, बूँदी।	,,
२७	,, नीम का थाना।	,,
२८	,, मांडलगढ़।	,,
२९	,, सिरोही।	,,
३०	एक्ससाइज मजिस्ट्रेट, जयपुर।	,,
३१	स्पेशल मजिस्ट्रेट, जयपुर।	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६०का उत्तर देखिये)

मानचित्र जागीरदारान जिनको अन्तर्कालीन मुआवजा चुकाये जाने की स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं

क्र० सं०	नाम जिला	संख्या जागीरदारान	अन्तर्कालीन मुआवजा
१	उदयपुर	३०६	११,१४,५२६
२	चित्तौड़गढ़	१२२	५,३०,१६४
३	बांसवाड़ा	६७	३,६५,६१२
४	भीलवाड़ा	७८	३,६३,८४७
५	डूंगरपुर	३२	८६,१३५
६	जयपुर	७४	५,१६, ७१७
७	सीकर	३१	७,६१,६७०
८	सवाई माधोपुर	२१	१,४६,१४६
९	टोंक	४६	४,१८,३००
१०	झुंझनूं	३१	१०,६६,४७१
११	भरतपुर	११	४८,३६१
१२	बीकानेर	२३	३,२३,७८४
१३	चूरू	१६	१,२६,६६३
१४	गंगानगर	१३	१,५१,६७६
१५	जोधपुर	१५	२,८३,२६५
१६	नागौर	४३	५,२३,६८५
१७	पाली	२५	७,७३,५६०
१८	बाड़मेर	३	२८,७२७
१९	सिरोही	२	१६, ३२८
२०	जालौर	४	३६,१००

क्रम सं०	नाम जिला	संख्या जागीरदारान	अन्तर्कालीन मुआवजा
२१	कोटा	८१	३,६७,१२६
२२	झालावाड़	५५	१,२६,२०७
२३	बूंदी	१३	३६,७८३
२४	जैसलमेर	०	----
२५	अलवर	०	—
	योग	१,१२०	८३,४३,६२६

टिप्पणी—भूतपूर्व राजस्थान राज्य में २०० रुपये से ऊपर की आय वाली जागीरें भी खालसा की गई थीं, इसलिये उनकी संख्या अधिक दृष्टिगोचर होती है।

परिशिष्ट ४

(वे प्रश्न जो कि प्रश्नकाल में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

७३. (४२ आर. एस.) श्री शम्भूसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६:—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ठिकाना दूनी जि० टोंक का सैटलमेंन्ट हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो वहां की किस्मवार जमीन की क्या रेट रखी गई है ?

(ग) रेट के लिये ठि० दूनी को कितने सर्किल में तकसीम किया गया है और सर्किल वाइज क्या रेट निर्धारित की गई है ?

उत्तर

क. ठिकाना दूनी जिला टोंक के २६ ग्रामों का बन्दोबस्त संवत २००५ से २०१४ तक १० वर्ष के लिये हो चुका है।

ख. संलग्न सूची में किस्मवार जमीन का सर्किल रेट अंकित है।

ग. ठिकाना दूनी के जो गांव तहसील टोडारायसिंह में हैं उनका एक ही सर्किल रेट रखा गया है। सर्किल रेट संलग्न सूची में अंकित है।

नकशा सर्किल रेट ठिकाना दूनी जिला टोंक

किस्म जमीन	सर्कल रेट
चाही गोरवा	१०) रूपया
चाही अलिफ	६।=)
चाही अव्वल पिलस	८।≡)
चाही अव्वल	७॥)
चाही दोयम पिलस	६॥−)
चाही दोयम	५॥=)
चाही सोयम	३॥।)
नहरी ठिकाना अलिफ	८।≡)
नहरी ठिकाना अव्वल पिलस	७॥)

Page No 109

नहरी ठिकाना अव्वल	६॥ –)
नहरी ठिकाना दोयम	३।≡)
नहरी जमीदारी अलिफ	६॥ –)
नहरी जमीदारी अव्वल	३।≡)
तालाबी अलिफ	६।)
तालाबी अव्वल	४।=)
तालाबी दोयम	३।।।)
नाड़ा अलिफ	५॥=)
नाड़ा अव्वल	४–)
नाडा दोयम	३=)
डहरी अलिफ	४।=)
डहरी अव्वल	४–)
डहरी दोयम	३=)
माल अव्वल	२॥)
माल दोयम	२)॥
बारानी गोरवा	३।≡)
बारानी अलिफ	२।।।–)
बारानी अव्वल पिलस	२।–)॥
बारानी अव्वल	१।।।=)
बारानी दोयम पिलस	१।।≡)।
बारानी दोयम	१।=)॥
बारानी सोयम	।।।≡)
पड़त कदीम	।।।≶)
बीड	॥=)
बंजर पूला	।≡)॥
बंजर डोल व अव्वल	।–)
बंजर दोयम	=)॥

७४. (२५ एम. एल. एम.) श्री सज्जनसिंह एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३२:—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No 110

(क) क्या सरकार के ध्यान में जिला बूंदी के पंचायत विभाग के मौजूदा इन्सपेक्टर के खिलाफ इस समय हो रहे पंचायतों के चुनाव में चुनाव अधिकारी की हैसियत से अवैधनिकता बर्तने तथा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने की शिकायतें हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम १८ फरवरी सन् हाल के देही तहसील नैनवा जिला बूंदी के ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव के समय इस अधिकारी के पक्षपात पूर्ण रवैया तथा अयोग्य संचालन के फलस्वरूप वहां के लोगों के आपस में मारपीट होकर चोटें आई हैं और सरपंच का चुनाव स्थगित हो गया हैं ?

(ग) यदि प्रश्न (क) का उत्तर हां में हो तो इस बाबत क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) यदि प्रश्न (क) का उत्तर ना में है तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

क. एक दो व्यक्तियों की इस मामले में शिकायत आई थी।

ख. पक्षपात किये जाने की कोई वजह नहीं थी कुछ लोगों ने निर्वाचन के समय गड़बड़ कर पत्थर फैंकें जिससे निर्वाचनाधिकारी जी एवं कुछ पुलिस अधिकारियों के चोटें आई।

ग. कलक्टर बूंदी तथा पुलिस की ओर से कार्यवाही जारी है।

घ. ऊपर (ग) के उत्तर के पश्चात इसकी आवश्यकता नहीं रहती।

(६ मार्च, १९५६ के प्रश्नोत्तर)

(६ मार्च का प्रश्न जो कि आज लिये जाने को थे किन्तु प्रश्न काल में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

३. (१आर० एम०) श्री सरदारसिंह, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर १३७ :— क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में चालू वर्ष में तकावी ऋण के लिये कितनी रकम सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी ?

(ख) उपरोक्त रकम किस आधार पर किस २ तहसील को दी गई है ?

(ग) क्या तकावी वितरण करने के लिये प्रत्येक तहसील के लिये किसी एडवाइज़री कमेटी का निर्माण किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या स्थानीय एम० एल० ए० को उक्त कमेटी का सदस्य बनाना आवश्यक माना गया है ?

(ङ) दूनी तहसील की वितरण कमेटी के कौन २ सदस्य हैं ?

उत्तर

(क) १५,००,००० रुपये स्वीकृत हुये हैं ।

(ख) उपरोक्त रकम समस्त तहसीलों को आवश्यकतानुसार वितरित की गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) तहसील दूनी की तकावी वितरण कमेटी के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

१—तहसीलदार चेयर मैन

२—श्री दुलैसिंह, जागीरदार, गांवड़ी, सरपंच, तहसील पंचायत दूनी सदस्य

३—श्री त्रिलोकचन्द्र कोठारी, संयोजक, भूदान समिति एवं भारत सेवक समाज „

श्री त्रिलोकचन्द्र कोठारी को इस समिति में श्री आनन्दीलाल पारीक उस समय के तहसीलदार ने नियुक्त किया था । किन्तु यह कार्यवाही नियमानुसार न होने पर स्थानीय विधान सभा के सदस्य श्री सरदारसिंह को नियुक्त करने के लिये हिदायत करदी गई है ।

(१२ मार्च के **प्रश्नोत्तर** जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये और १३ मार्च को सदन की मेज पर रखे गये)

४१. (६।आर० एम०) श्री चांदमल मेहता, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ८७ :—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १ जनवरी १९५५ के बाद राजस्थान में कुल कितने तहसीलदारों के तबादिले किये गये ?

(ख) ऐसे कौन २ तहसीलदार हैं जिनका तबादला एक से अधिक बार १ जनवरी १९५५ के बाद किया गया है ?

(ग) उक्त तहसीलदारों के तबादले कितने २ दिन बाद होते रहते हैं ?

(घ) ऐसे कौन २ तहसीलदार हैं जिनके तबादिले चार्ज लेने के पहिले ही मंसूख कर दिये गये ?

(उ) ऐसे कौन २ तहसीलदार हैं जो चार्ज लेने पहुँच गये लेकिन उनके तबादले मंसूख कर दिये गये ?

(च) उक्त तहसीलदारों पर टी० ए० व डी० ए० का कितना खर्चा लगा ?

उत्तर

(क) कुल २०३ तहसीलदारों के तबादले हुये। यह नई तहसीलें खुलने, ब्लॉक डवलपमेन्ट खुलने, जागीर के मुलाजिम रखने व कौलोनाईजेशन, कस्टोडियन आदि डिपार्टमैन्ट के मुलाजिमों को ऐबजोर्व करने व तहसीलदारान को होम डिवीजन में रखने, लैंएड रिकार्ड की ट्रेनिंग, नये मजिस्ट्रेट व आर० ए० एस० में तरक्की इत्यादि इत्यादि कारणों से हुये हैं।

(ख) १ जनवरी, १६५५ के बाद १ से अधिक बार जिन तहसीलदारों का तबादला हुआ है उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ग) तबादिले आम तौर पर औसतन ५, ६ महीने या इससे अधिक वा कम समय में उपरोक्त कारणों से जरूरत के वक्त हुये हैं।

(घ) जिन तहसीलदारों के तबादले चार्ज लेने से पहिले ही मंसूख कर दिये गये उनकी सूची भी सदन की मेज पर है।

(ङ) केवल दो तहसीलदार सर्व श्री रूपसिंह व कालूराम ऐसे हैं कि जो चार्ज लेने के लिये पहुँच गये और फिर भी उनके तबादले मंसूख कर दिये गये।

(च) उक्त दो तहसीलदारों के टी० ए० व डी० ए० के सही आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं। अन्दाजन दोनों तहसीलदारों को टी० ए० का खर्चा २०० रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

उदयपुर

१. श्री जयनारायण
२. श्री रामेश्वरलाल
३. श्री सुखवीरसिंह
४. श्री तिलकराम
५. श्री भोंरीलाल
६. श्री रमेशचन्द्र
७. श्री केदारनाथ
८. श्री किशनसिंह
६. श्री गिरधारीलाल
१०. श्री ब्रजबिहारीसिंह
११. श्री श्रीनारायण
१२. श्री फतेहलाल
१३. श्री भूरालाल
१४. श्री भंवरलाल
१५. श्री छीतरमल
१६. श्री भोगीसिंह
१७. श्री कालूराम
१८. श्री रामेश्वरसिंह
१६. श्री बालस्वरूप
२०. श्री अचपलसिंह
२१. श्री ए० एच० कुरेशी

२२. श्री बालकिशन
२३. श्री भौंरीलाल गुप्ता
२४. श्री ब्रिजकिशोर
२५. श्री भौंरीलाल पाटनी
२६. श्री बुधसिंह
२७. श्री भंवरलाल
२८. श्री चिरंजीलाल
२९. श्री देवीप्रसाद
३०. श्री देवीराम गुप्ता
३१. श्री देवेन्द्रमोहन
३२. श्री दुलीचंद
३३. श्री घीसीलाल
३४. श्री गोपाललाल
३५. श्री हाफिजमुहम्मद
३६. श्री जयकुमार
३७. श्री जगपतसिंह
३८. श्री जयसिंह
३९. श्री मदनगोपाल
४०. श्री मोहनसिंह
४१. श्री महावीरप्रसाद
४२. श्री मदनमोहनप्रसाद
४३. श्री मन्नालाल
४४. श्री मदनमोहनलाल
४५. श्री मुरली मनोहर
४६. श्री रामनारायण
४७. श्री रूपसिंह
४८. श्री रामचन्द्रसिंह
४९. श्री रूपनारायण
५०. श्री रामानन्द
५१. श्री शम्भूसिंह
५२. श्री सुरेन्द्रप्रसाद
५३. श्री सवाईसिंह भंडारी
५४. श्री श्रीनारायण
५५. श्री नाहरसिंह
५६. श्री जोरावरमल पाटनी

बीकानेर

५७. श्री रामेश्वरलाल
५८. श्री बन्नीसिंह

कोटा

५९. श्री दीनानाथ
६०. श्री विजयसिंह
६१. श्री सरदारसिंह
६२. श्री महेन्द्रसिंह
६३. श्री रूपसिंह
६४. श्री घनश्यामदास
६५. श्री मनोहरलाल
६६. श्री रतनलाल
६७. श्री रामनारायण राम
६८. श्री भंवरलाल
६९. श्री लक्ष्मीचन्द
७०. श्री मोडसिंह
७१. श्री सी. आर. व्यास
७२. श्री हरदत्त
७३. श्री गौरीवल्लभ
७४. श्री राधाकिशन त्रिपाठी

---

१. श्री रणजीतसिंह
२. श्री रूपराम
३. श्री गोपालसिंह
४. श्री मेघराज
५. श्री दुर्गाचंद
६. श्री उमाचरण
७. श्री शंकररूप
८. श्री गनराज
९. श्री गौरीवल्लभ
१०. श्री दुलीचंद
११. श्री हेमसिंह
१२. श्री गोविन्दसिंह
१३. श्री हरनारायणसिंह
१४. श्री रामप्रसाद

Page No 114

१५. श्री जयनारायण
१६. श्री बलवीरसिंह
१७. श्री रूपसिंह
१८. श्री हुक्मचंद
१९. श्री जोगेंद्रनाथ
२०. श्री दिग्विजयसिंह
२१. श्री चोथमल
२२. श्री रामनारायण सक्सेना
२३. श्री सत्यव्रत
२४. श्री मुबारकखां
२५. श्री अब्दुलरजाक खां
२६. श्री महेंद्रसिंह
२७. श्री नरेंद्रसहाय
२८. श्री ओमप्रकाश
२९. श्री शांतिस्वरूप
३०. श्री किशनगोपाल
३१. श्री गोवर्धनसिंह

बीकानेर : ....

उदयपुर

३२. श्री भेरीलाल
३३. श्री फतेहलाल
३४. श्री भूरालाल
३५. श्री भंवरलाल
३६. श्री छीतरमल
३७. श्री कालूराम
३८. श्री जयनारायण
३९. श्री रामेश्वरसिंह

उदयपुर

४०. श्री शम्भूसिंह
४१. श्री रूपसिंह
४२. श्री भेरीलाल
४३. श्री मन्नालाल
४४. श्री मदनमोहनलाल
४५. श्री चिरंजीलाल
४६. श्री बुद्धसिंह
४७. श्री जगदीशप्रसाद
४८. श्री ए. के. कुरेसी
४९. श्री ब्रिजकिशोर

प्रश्न

४९. (३२ आर. एम.) श्री भवानी सहाय शर्मा एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५ :— क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भू.पू. अलवर राज्य की सेवा के नायब तहसीलदार (१) मोतराम व (२) कन्हैयालाल सैनी जो अब तहसीलदार नियुक्त हो गये हैं की योग्यतायें राज्य की नौकरी में आए थे तब क्या थी और अब क्या हैं ?

(ख) क्या इन्होंने एल. एल. बी. की परीक्षा राज्य की नौकरी में रहते हुये पास की है ?

(ग) क्या इन्होंने परीक्षा काल की छुट्टी ली थी ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

क. श्री मोतराम राज्य सेवा में आये थे तब बी. ए. एल एल. बी. (प्रीवियस) थे और अब बी. ए. एल एल. बी. हैं।

श्री कन्हैयालाल से सम्बन्धित सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी।

ख. श्री मोतराम का कथन है कि वे सन् १९४६-४७ में कानपुर कालेज में नियमित विद्यार्थी थे। लेकिन लॉ की फाइनल परीक्षा में उस समय सफल नहीं हो सके। अतः सन ४८-४९ में जब कि वे मालाखेडा में नायब तहसीलदार थे एक्स विद्यार्थी की हैसियत से परीक्षा दी थी।

ग. यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी।

घ. अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

———

परिशिष्ट ५

(वह प्रश्नोत्तर जो प्रश्न कर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखा गया और जिसके प्रकाशित कराने की सम्बधित मंत्री महोदय की अनुमति है)

७० (३७) आर.एम.) **महाराज केसरीसिंह, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ७५**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) फारमर राजस्थान के जागीरदारों के माली अधिकार लेने के बाद क्या सरकार ने जागीरों के पटेलों की रसूल बराबर दी है ?

(ख) जिला बूंदी की जागीरदार रसूल जो पटेलों को दी गई उसका ब्यौरा क्या सरकार दे सकती हैं ? तहसीलदार बताने की कृपा करें ?

(ग)जिला बूंदी की कितनी जागीरों के पटेलों को रसूल अभी तक नहीं मिली है ?

(घ) इस रसूल को सरकार पटेलों को देना चाहती है अथवा नहीं ?

उत्तर

(क) फारमर राजस्थान के माली अधिकार लेने के बाद जागीरदारों के गांवों के कुल पटेलों को रकम बराबर नहीं मिली है, इस सम्बन्ध में ध्वजों पर प्राप्त उत्तरों का अवलोकन फरमावें ।

(ख) जिला बूंदी में जागीरदारों के ४६ गांवों में रसूल पटेलाई चुकाई गई है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं ।

तहसील हिन्डोली	२१ गांव
तहसील नैनवा	५ ,,
तहसील तालैडा	१३ ,,
तहसील बूंदी	१० ,,
कुल योग	४६ गांव

(ग) जिला बूंदी में जागीर के ६६ गांव में नम्बरदारों को रसूल नहीं मिली है ।

(घ) नम्बरदारी रसूल किसी प्रकार का हक नहीं हैं नौकरी का अलाउन्स हैं जो नम्बरदार नौकरी देंगे उनको नम्बरदारी रसूल दी जावेगी । जागीरदारों के गांव जो रिज्यूम (Resume) हो गये हैं उनमें नम्बरदारों की नियुक्तियां जिन गांवों में होना बाकी है उनकी कार्यवाही जारी है । नम्बरदार नियुक्त होने पर उनको नम्बरदारी चुका दी जावेगी ।

———